55

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2021-2022)
(सत्रहवीं लोक सभा)
पचपनवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा

15 /03/2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना		iv
प्राक्कथन		v
	प्रतिवेदन	
एक.	प्रस्तावना	1-5
दो.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा	6-10
	परिशिष्ट	
* एक.	'बाल उत्पीड़न' विषय से संबंधित दिनांक 26.07.2010 का अता.प्र.सं. 137	11
दो.	'वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति' विषय से संबंधित दिनांक 28.11.2011 का अता.प्र.सं. 1035	12-13
तीन.	'वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्री य नीति की समीक्षा' विषय से संबंधित दिनांक 22.07.2014 का अता.प्र.सं. 1757	14-15
चार.	'वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित नीति' विषय से संबंधित दिनांक 12.08.2014 का अता.प्र.सं. 4750	16
पांच.	'वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या' विषय से संबंधित दिनांक 16.12.2014 का अता.प्र.सं. 3784	17-22
छह.	'वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण' विषय से संबंधित दिनांक 02.08.2016 का अता.प्र.सं. 2625	23-32
सात.	'वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति' विषय से संबंधित दिनांक 07.02.2017 का ता.प्र.सं. 72	33-46
आठ.	'वरिष्ठ नागरिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएं' विषय से संबंधित दिनांक 07.02.2017 का अता.प्र. सं. 835	47-53
नौ.	'राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति' विषय से संबंधित दिनांक 08.08.2017 का अता.प्र.सं. 3518	54-55
दस.	'राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति' विषय से संबंधित दिनांक 06.02.2018 का अता.प्र.सं. 596	56-67
ग्यारह.	'वरिष्ठ नागरिकों हेतु सहायता उपकरण' विषय से संबंधित दिनांक 06.03.2018 का अता.प्र.सं. 1826	68-69
बारह.	'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' विषय से संबंधित दिनांक 11.12.2018 का अता.प्र.सं. 42	70-85

* कार्यान्वयन प्रतिवेदन 09-02-2022 को सभा पटल पर रखा गया।

तेरह.	'सामान्य बजट - वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा' विषय पर दिनांक 16.03.2020 की सामान्य चर्चा (श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य)	86
चौदह.	'गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग' विषय से संबंधित दिनांक 05.08.2014 का ता.प्र.सं. 385 (श्री लक्ष्मण गिलुवा, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	87-111
पन्द्रह.	'वृद्धजन संबंधी राष्ट्रीय नीति' विषय से संबंधित दिनांक 09.12.2014 का अता.प्र.सं. 2593	112-115
सोलह.	'बच्चों में नशे की लत' विषय से संबंधित दिनांक 14.03.2017 का अता.प्र.सं. 1858	116-118
सत्रह.	'वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम केयर सेवाएं' विषय से संबंधित दिनांक 01.08.2017 का ता.प्र.सं. 239	119-122
अठारह.	'वृद्धाश्रम' विषय से संबंधित दिनांक 19.12.2017 का अता.प्र.सं. 523	123
उन्नीस.	'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' विषय से संबंधित दिनांक 06.02.2018 का अता.प्र.सं. 604	124
बीस.	'वृद्धाश्रमों को स्टार रेटिंग' विषय से संबंधित दिनांक 24.07.2018 का अता.प्र.सं. 969	125-132
इक्की स.	'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' विषय से संबंधित दिनांक 07.08.2018 का अता.प्र.सं. 3426	133-144
बाईस.	'राज्य अनुसूचित जाति आयोग' विषय से संबंधित दिनांक 18.12.2018 का ता.प्र.सं. 112	145-146
तेईस.	'अन्य पिछड़ा वर्गों का उप श्रेणीकरण' विषय से संबंधित दिनांक 25.06.2019 का ता.प्र.सं. 59	147-150
चौबीस.	'ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए आयोग' विषय से संबंधित दिनांक 25.06.2019 का अता.प्र.सं. 480	151
पच्चीस.	'अनुसूचित जातियों और अन्य. पिछड़ा वर्गों के लिए योजनाएं' विषय से संबंधित दिनांक 03.12.2019 का अता.प्र.सं. 2422	152-155
छब्बीस.	'पदोन्नतियों में आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में मंत्री का वक्तव्य' विषय से संबंधित दिनांक 10.02.2020 का विशेष उल्लेख	156
सताईस.	'ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल करना' विषय से संबंधित दिनांक 03.03.2020 का अता.प्र.सं. 1927	157-158
अट्ठाईस.	'सामान्य बजट - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा' के संबंध में दिनांक 16.03.2020 की सामान्य चर्चा (श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य)	159-167
उनतीस.	'क्रीमी लेयर का मामला' विषय से संबंधित दिनांक 20.09.2020 का अता.प्र.सं. 1401	168

स.	भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम-पुस्तिका, संसदीय कार्य मंत्रालय से उद्धरण।	169-173
इकतीस.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021) की 28 सितंबर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	174-178
बत्तीस.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की 20 दिसम्बर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	179-180
तैंतीस.	सरकारी आश्वाससनों संबंधी समिति (2020-2021) की संरचना ।	181

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति* (2021-2022)

की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पान्डेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2021 से किया गया है, देखिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202.

CIV

प्राक्कथन

मैं, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का यह वां प्रतिवेदन55 (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021) ने 28 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में लंबित आश्वासनों के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) ने अपनी 20 दिसम्बर, 2021 को हुई बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं ।

5. संदर्भ और सुविधा हेतु समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं ।

नई दिल्ली;..
21 दिसम्बर 2021
अग्रहायण 30,1943 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(v)

प्रतिवेदन

I. प्रस्तावना

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सभा में समय-समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों, किए गए वादों आदि की जांच करती है और इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है कि ऐसे आश्वासनों, वादों, वचनों आदि को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है। सभा में कोई आश्वासन दिए जाने के पश्चात् उसे तीन महीने के अंदर पूरा करना अपेक्षित होता है । भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग आश्वासन को निर्धारित तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में समय-विस्तार की मांग कर सकते हैं। जहां मंत्रालय/विभाग किसी आश्वासन को कार्यान्वित करने में असमर्थ हों, वहां उन्हें आश्वासन को छोड़ने के लिए समिति से अनुरोध करना होता है । समिति ऐसे अनुरोधों पर विचार करती है और यदि वह इस बात से संतुष्ट होती है कि बताए गए आधार तर्कसंगत हैं, तो आश्वासन को छोड़ने की स्वीकृति देती है। समिति इस बात की भी जांच करती है कि क्या आश्वासन का कार्यान्वयन उस प्रयोजनार्थ आवश्यक न्यूनतम समय के अंदर हुआ है अथवा नहीं तथा आश्वासन को किस सीमा तक पूरा किया गया है ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2009-2010) ने लंबित आश्वासनों की समीक्षा करने, विलंब के कारणों की जांच करने, आश्वासनों पर कार्रवाई करने हेतु मंत्रालयों/विभागों में निर्धारित प्रणाली के प्रचालन का विश्लेषण करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से बुलाने का नीतिगत निर्णय लिया । समिति ने सरकार द्वारा कार्यान्वित किये गये आश्वासनों की गुणवत्ता पर विचार करने का भी निर्णय लिया ।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2014-15) ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से बुलाने की सुस्थापित और समय की कसौटी पर खरी उतरी प्रक्रिया का पालन करने और लंबित आश्वासनों की समीक्षा करने का निर्णय लिया । समिति ने एक कदम और बढ़ाते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी बुलाने का निर्णय लिया क्योंकि सभी आश्वासनों का कार्यान्वयन उनके माध्यम से किया जाता है।

4. उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों के कार्यान्वयन में विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को 28.09.2021 को आयोजित अपनी बैठक में बुलाया। समिति ने निम्नलिखित 29 आश्वासनों (परिशिष्ट एक से उनतीस) की विस्तृत जांच की:-

तालिका एक

क्र.सं	ता.प्र.सं/अता.प्र.सं.और दिनांक	विषय
* 1.	अता.प्र.सं.137 दिनांक 26.07.2010	बाल उत्पीड़न (परिशिष्ट -I)
2.	अता.प्र.सं.1035 दिनांक 28.11.2011	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति (परिशिष्ट -II)
3.	अता.प्र.सं.1757 दिनांक 22.07.2014	वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति की समीक्षा (परिशिष्ट -III)
4.	अता.प्र.सं.4750 दिनांक 12.08.2014	वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित नीति (परिशिष्ट -IV)
5.	अता.प्र.सं. 3784 दिनांक 16.12.2014	वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या (परिशिष्ट -V)
6.	अता.प्र.सं.2625 दिनांक 02.08.2016	वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण (परिशिष्ट -VI)
7.	ता.प्र.सं.72 दिनांक 07.02.2017	वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति (परिशिष्ट -VII)
8.	अता.प्र.सं.835 दिनांक 07.02.2017	वरिष्ठ नागरिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएं (परिशिष्ट -VIII)
9.	अता.प्र.सं.3518 दिनांक 08.08.2017	राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति (परिशिष्ट -IX)
10.	अता.प्र.सं.596 दिनांक 06.02.2018	राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति (परिशिष्ट -X)
11.	अता.प्र.सं.1826 दिनांक 06.03.2018	वरिष्ठ नागरिकों हेतु सहायता उपकरण (परिशिष्ट -XI)
12.	अता.प्र.सं.42 दिनांक 11.12.2018	माता नागरिकों कापिता और वरिष्ठ- भरणपोषण - ण अधिनियमऔर कल्या,2007 (परिशिष्ट -XII)
13.	दिनांक 16.03.2020 की सामान्य चर्चा (श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य)	सामान्य बजट - वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा (परिशिष्ट -XIII)

* कार्यान्वयन प्रतिवेदन 09-02-2022 को सभा पटल पर रखा गया।

14.	ता.प्र.सं.385 दिनांक 05.08.2014 (श्री लक्ष्मण गिलुवा, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग (परिशिष्ट -XIV)
15.	अता.प्र.सं.2593 दिनांक 09.12.2014	वृद्धजन संबंधी राष्ट्रीय नीति (परिशिष्ट -XV)
16.	अता.प्र.सं.1858 दिनांक 14.03.2017	बच्चों में नशे की लत (परिशिष्ट -XVI)
17.	ता.प्र.सं.239 दिनांक 01.08.2017	वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम केयर सेवाएं (परिशिष्ट -XVII)
18.	अता.प्र.सं.523 दिनांक 19.12.2017	वृद्धाश्रम (परिशिष्ट -XVIII)
19.	अता.प्र.सं.604 दिनांक 06.02.2018	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (परिशिष्ट -XIX)
20.	अता.प्र.सं.969 दिनांक 24.07.2018	वृद्धाश्रमों को स्टार रेटिंग (परिशिष्ट -XX)
21.	अता.प्र.सं.3426 दिनांक 07.08.2018	राष्ट्रीय वयोश्री योजना (परिशिष्ट -XXI)
22.	ता.प्र.सं.112 दिनांक 18.12.2018	राज्य अनुसूचित जाति आयोग (परिशिष्ट -XXII)
23.	ता.प्र.सं.59 दिनांक 25.06.2019	अन्य पिछड़ा वर्गों का उप श्रेणीकरण (परिशिष्ट -XXIII)
24.	अता.प्र.सं.480 दिनांक 25.06.2019	ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए आयोग (परिशिष्ट -XXIV)
25.	अता.प्र.सं.2422 दिनांक 03.12.2019	अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए योजनाएं (परिशिष्ट -XXV)
26.	दिनांक का 10.02.2020 विशेष उल्लेख	पदोन्नतियों में आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में मंत्री का वक्तव्य (परिशिष्ट -XXVI)
27.	अता.प्र.सं.1927 दिनांक 03.03.2020	ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल करना (परिशिष्ट -XXVII)

28.	दिनांक 16.03.2020 की सामान्य चर्चा (श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य)	सामान्य बजट - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा (परिशिष्ट -XXVIII)
29.	अता.प्र.सं. 1401 दिनांक 20.09.2020	क्रीमी लेयर का मामला (परिशिष्ट -XXIX)

5. भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका, संसदीय कार्य मंत्रालय से आश्वासनों का रजिस्टर बनाए रखने और आश्वासनों के कार्यान्वयन में विलम्ब को न्यूनतम करने हेतु आवधिक समीक्षा किए जाने के अलावा आश्वासन की परिभाषा, इसे पूरा किए जाने हेतु समय-सीमा, आश्वासन को छोड़ने/इसका लोप करने और समय विस्तार, आश्वासन पूरा किए जाने की प्रक्रिया आदि के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करने संबंधी उद्धरणों को परिशिष्ट - तीस में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

6. मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने इस बात पर बल दिया कि मंत्रालयों/विभागों को आश्वासन को तीन माह के भीतर कार्यान्वित करना होता है और यदि वे आश्वासन को इस समयावधि के दौरान पूरा नहीं कर पाते हैं तो यह आवश्यक है कि वे समय-विस्तार की मांग करें। समिति यह भी पाती है कि उनके द्वारा लिए गए 29 आश्वासनों में से 02 आश्वासन 15वीं लोक सभा से , 19 आश्वासन 16वीं लोक सभा से और 08 आश्वासन 17वीं लोक सभा से संबंधित थे। चूँकि 15वीं लोक सभा से संबंधित आश्वासन बहुत पुराने हैं और 9 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं और इन आश्वासनों को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ है, समिति ने यह जानना चाहा कि मंत्रालय में लंबित आश्वासनों की मानीटरिंग और आवधिक समीक्षा कैसे की जाती है तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु कौन-सा तंत्र विद्यमान है । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति को अपने साक्ष्य में निम्नवत् बताया:-

> " महोदय, संसदीय मामलों की समीक्षा हेतु हमारे पास मंत्रालय में एक विस्तृत प्रणाली है । हमारे यहाँ प्रत्येक मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होती है जिसमें मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव और निदेशक मिलकर यह चर्चा करते हैं कि इस पर आगे कैसे कार्रवाई की जाए। इस बैठक में कार्यक्रम और संसदीय मामलों पर चर्चा होती है। अतः, मैं माननीय समिति और माननीय सभापति को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मंत्रालय में इस पर पूरी गंभीरता और ईमानदारी से विचार किया जाए।"

7. इसके बाद समिति ने विशेष रूप से निदेश दिया कि लंबित आश्वासनों की निगरानी के लिए मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठकों के कार्यवाही सारांश समिति को भेजे जाएं । इस पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव ने निम्नवत् उत्तर दिया-

> *"महोदय, हम भेज देंगे।"*

तदुपरांत, सारणी एक में क्र. सं. 16, 25, 26 और 28 पर उल्लिखित चार आश्वासनों को 01.12.21 को कार्यान्वित कर दिया गया है।

टिप्पणियाँ /सिफारिशें

9. समिति यह नोट करती है कि मौखिक साक्ष्य के दौरान उनके द्वारा उठाए गए 29 आश्वासनों में से क्र. सं. 16, 25, 26 और 28 पर उल्लिखित चार आश्वासनों को 01.12.21 को एक वर्ष आठ महीने से लेकर चार वर्ष आठ महीने के विलंब के बाद कार्यान्वित कर दिया गया है। तथापि, क्रम सं 1 और 2 पर उल्लिखित आश्वासन 11 और 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरे नहीं किए जा सके, जबकि क्रमांक 3, 4, 5, 14 और 15 पर उल्लिखित अन्य 5 आश्वासन 7 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं। इसी तरह, क्रम सं 6, 7, 8, 9, 17 और 18 पर उल्लिखित 06 आश्वासन करीब 04 साल से अधिक समय से लंबित हैं जबकि क्रमांक 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 पर उल्लिखित 9 आश्वासन 2 से 3 साल से अधिक समय से लंबित हैं। इसके अलावा, क्रमांक 13, 27 और 29 पर उल्लिखित शेष 03 आश्वासन एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी क्रियान्वयन के लिए लंबित हैं। यद्यपि मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारियों की साप्ताहिक बैठकें कर रहा है, जहां मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव और निदेशक आश्वासन सहित सभी संसदीय मामलों की समीक्षा करते हैं, तथापि आश्वासनों को पूरा करने में अत्यधिक देरी से लंबित आश्वासनों की पूर्ति और निगरानी के लिए मंत्रालय की प्रणाली की कमियों का पता चलता है । इसलिए समिति का मानना है कि आश्वासनों को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा स्थापित मौजूदा तंत्र विशेषकर वह जिसमें अन्य मंत्रालय/विभाग शामिल होते हैं, प्रभावी नहीं है और इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि आश्वासन के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब होता है तो इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। समिति का मानना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता से संबंधित मुद्दे देश में सामने आ रहे कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उससे संबंधित आश्वासनों को लागू करते के लिए और अधिक ठोस प्रयासों की आवश्यकता है । इसके अलावा, आश्वासनों की समयबद्ध पूर्ति शासन में लोगों के विश्वास को बहाल करती है। समिति यह समझती है कि विशेष रूप से नीतिगत मामलों और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय की आवश्यकता वाले कुछ आश्वासनों के कार्यान्वयन के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादित किया जाना कठिन हो सकता है । तथापि, गरिमापूर्ण संसदीय दायित्वों वाले आश्वासनों को लागू करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है । समिति को आशा और विश्वास है कि मंत्रालय इस दिशा में ठोस प्रयास करेगा और लंबित आश्वासनों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधितों के साथ समन्वय को बढ़ाएगा । समिति ने मंत्रालय से आश्वासनों की निगरानी के लिए समय-समय पर मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठकों के कार्यवाही सारांश भेजने का भी आग्रह किया है क्योंकि इससे समिति को आश्वासनों के कार्यान्वयन के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की प्रगति को मापने में मदद मिलेगी । साथ ही, यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा और दस्तावेज की समीक्षा में भी सहायक होगा।

II. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के लंबित आश्वासनों की समीक्षा

10. अनुवर्ती पैराओं में समिति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लंबित आश्वासनों जिनकी समिति द्वारा 28-09-2021 को हुई बैठक में व्यापक जांच की गई है, पर विचार करेगी ।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति

एक. 'वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति' विषय से संबंधित दिनांक **28.11.2011** का अता.प्र.सं. **1035** (क्रम संख्या **2**)

दो. 'वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति की समीक्षा' विषय से संबंधित दिनांक **22.07.2014** का अता.प्र.सं. **1757** (क्रम संख्या **3**)

तीन. 'वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित नीति' विषय से संबंधित दिनांक **12.08.2014** का अता.प्र.सं. **4750** (क्रम संख्या **4**)

चार. 'वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या' विषय से संबंधित दिनांक **16.12.2014** का अता.प्र.सं. **3784** (क्रम संख्या **5**)

पांच. 'वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण' विषय से संबंधित दिनांक **02.08.2016** का अता.प्र.सं. **2625** (क्रम संख्या **6**)

छह. 'वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति' विषय से संबंधित दिनांक **07.02.2017** का ता.प्र.सं. **72** (क्रम संख्या **7**)

सात. 'वरिष्ठ नागरिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएं' विषय से संबंधित दिनांक **07.02.2017** का अता.प्र. सं. **835** (क्रम संख्या **8**)

आठ. 'राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति' विषय से संबंधित दिनांक **08.08.2017** का अता.प्र.सं. **3518** (क्रम संख्या **9**)

नौ. 'राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति' विषय से संबंधित दिनांक **06.02.2018** का अता.प्र.सं. **596** (क्रम संख्या **10**)

दस. 'वरिष्ठ नागरिकों हेतु सहायता उपकरण' विषय से संबंधित दिनांक **06.03.2018** का अता.प्र.सं. **1826** (क्रम संख्या **11**)

ग्यारह. 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' विषय से संबंधित दिनांक **11.12.2018** का अता.प्र.सं. **42** (क्रम संख्या **12**)

बारह. 'सामान्य बजट - वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा' विषय पर दिनांक **16.03.2020** की सामान्य चर्चा (श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य) (क्रम संख्या 13)

11. उक्त पैरा **4** में तालिका **1** में क्रमांक **2** पर सूचीबद्ध प्रश्न के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया कि राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श की प्रक्रिया

हो होने के बाद वरिष्ठ नागरिकों संबंधी नीति के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा । क्रमांक 3 पर सूचीबद्ध प्रश्न के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया कि वृद्धजनों संबंधी राष्ट्रीय नीति, 1999 की समीक्षा की गई है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्रमांक 4 पर सूचीबद्ध प्रश्न के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया कि पिछले दशक में सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकास को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धजनों संबंधी राष्ट्रीय नीति, 1999 में संशोधन किया जा रहा है ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजगार में निरंतरता और/या सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों को बढ़ावा दिया जा सके । क्रमांक 5 और 6 में सूचीबद्ध प्रश्नों के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2010 में गठित समिति द्वारा प्रस्तावित मसौदे के आधार पर मंत्रालय ने जांच और परामर्श के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मसौदा नीति तैयार की है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है । क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 में सूचीबद्ध प्रश्नों के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया कि पिछले दशक में बदलते जनसांख्यिकीय पैटर्न, वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों, सामाजिक मूल्य प्रणाली और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है जो कि वृद्धजनों संबंधी राष्ट्रीय नीति, 1999 को प्रतिस्थापित करेगी ।

12. सितंबर, 2021 को प्रस्तुत किए गए अपने स्थिति नोट में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) ने आश्वासन के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में निम्नवत बताया था:-

> *"वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीएसआरसी) -2016 के मसौदे को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) -1999 का स्थान लेने जा रही है। संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, नीति को अंतिम रूप देने और इसकी अधिसूचना जारी करने में कुछ समय लगने की संभावना है।"*

13. मंत्रालय ने स्थिति नोट में निम्नवत भी बताया है :-

> *"वर्तमान संदर्भ में वित्तीय_सुरक्षा, गरिमा के साथ वृद्धावस्था, स्वस्थ्य के साथ वृद्धावस्था, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि के क्षेत्र, जिनका समाधान राष्ट्रीय नीति में बदलाव लाकर किया जाना प्रस्तावित है, अटल वय अभ्युदय योजना के माध्यम से इनका समाधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए देशभर में पोषण अभियान, सिल्वर इकोनॉमी (एसएजीई), सीएसआर एडवोकेसी, लिवलीहुड, हेल्पलाइन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।"*

14. मौखिक साक्ष्य के दौरान आश्वासनों के कार्यान्वयन के बारे में अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव ने निम्नवत बताया:-

> *"आज माननीय समिति 29 आश्वासनों पर विचार कर रही है। अधिकांश आश्वासन केवल एक विषय अर्थात वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने से संबंधित हैं। यह एक बहुत*

महत्वपूर्ण मुद्दा है और 12 आश्वासन इससे जुड़े हुए हैं। मैं माननीय समिति को सिर्फ यह बताना चाहता था कि अब तक क्या काम हुआ है। फिर, हम आपकी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, नीति एक विस्तृत कार्य का परिणाम है। हमें साक्ष्य आधारित नीति बनानी चाहिए । विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद ही कोई नीति बनाई जाती है। हम वर्ष 2016 से इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। कई ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं। कई विशेषज्ञ समितियों ने भी इस पर विचार किया है। इसके बाद उनके विचारों को भी ध्यान में रखा गया है। मैं माननीय समिति के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि अब प्रारूप नीति तैयार है। यह एक श्रमसाध्य कार्य है। इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा हुई थी। इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों से भी सलाह ली गई थी। इसके बाद, विशेषज्ञों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। अब नीति तैयार है और हम इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले जाने के लिए तैयार हैं। वास्तव में, माननीय समिति ने पिछली बार जब हमें बुलाया था और माननीय सभापति ने हमें सूचित किया था, तो हमने वापस जाकर इसकी जांच की थी। हम पाते हैं कि हम एक ऐसे चरण में पहुंच गए हैं जहां अब हम इस नीति को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में ले जा सकते हैं । मैं यह बात रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि इसमें बहुत काम हुआ है और इस पर बहुत सोच-विचार किया गया है। मंत्रालय द्वारा नीति तैयार कर ली गई है लेकिन यदि इसे आगे ले जाना है तो उसमें भी समय लगेगा ।"

15. उन्होंने आगे निम्नवत बताया:-

"मैं नीति के कुछ घटकों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं आजीविका का उदाहरण देता हूं। ड्राफ्ट पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आ रही है कि कई वृद्ध लोग काम करने के लिए तैयार हैं ।

उनके पास ऊर्जा है, उन्हें अनुभव मिला है और उनके पास इच्छा शक्ति है। इसलिए हमें वृद्धजनों के लिए आजीविका का सृजन करना चाहिए ताकि वे सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। यह उस नीति का हिस्सा है जिसे हमने तैयार किया है लेकिन इसमें कुछ और समय लग सकता है । इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमने इस नीति में कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है । उदाहरण के लिए 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धावस्था दिवस मनाया जाता है। इस दिन, भारत के उपराष्ट्रपति दो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कर रहे हैं जो दोनों ही इस नीति का हिस्सा हैं। नीति में इसका उल्लेख किया गया है लेकिन हमने कार्य योजना पहले ही शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए बुजुर्ग स्वयं सहायता समूहों का गठन ताकि वे कुछ उत्पादक कार्य कर सकें । हम एक इलेक्ट्रॉनिक रोजगार कार्यालय की स्थापना कर रहे हैं। इसे एसएसीआरईडी के नाम से जाना जाएगा। हम सीआईआई, फिक्की और अन्य कंपनियों से कुछ ऐसी नौकरियां सृजित करने के लिए कह रहे हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त हों और फिर हम एक इलेक्ट्रॉनिक रोजगार कार्यालय बनाना चाहते हैं ताकि कई लोग सेवानिवृति के बाद भी सम्मानजनक रोजगार कर सकें । इस तरह कई ऐसे कार्य हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं । इसलिए, मैं माननीय समिति को आश्वस्त करना चाहता था कि अब

जब इतने परामर्श के बाद नीति को अंतिम रूप दिया गया है और कुछ कार्य भी शुरू किए गए हैं, तब हम इसे और आगे बढ़ाएंगे।

टिप्पणियां/सिफारिशें

16. समिति नोट करती है कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर 12 आश्वासन लंबे समय से कार्यान्वयन के लिए लंबित हैं । इस विषय पर पहला आश्वासन नवंबर, 2011 में यानी 10 साल से अधिक समय पहले दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2014, 2016, 2017, 2018 और 2020 में एक के बाद एक 11 ऐसे ही आश्वासन दिए गए। पिछले 10 वर्षों से ऐसे महत्वपूर्ण आश्वासनों को लागू न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव ने मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीएसआरसी) -2016 के मसौदे को अंतिम रूप देने में समय लगा है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) -1999 का स्थान लेने जा रही है क्योंकि यह एक विस्तृत और लंबी प्रक्रिया थी जिसमें विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श शामिल था । मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति को यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय नीति का मसौदा अब तैयार है और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा । इस मामले में मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बावजूद, सच्चाई यह है कि इस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आश्वासनों के कार्यान्वयन में एक दशक से अधिक समय तक विलंब हुआ है और विभाग बताए गए विलंब के कारण न्यायसंगत नहीं हो सकते । घटनाओं के क्रम की जांच से समिति को पता चला है कि इस विषय पर पहला आश्वासन नवंबर, 2011 में दिया गया था, इसी विषय पर समिति की 73वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) 05-04-2018 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी जिसमें समिति ने इच्छा जताई थी कि विभाग/मंत्रालय इस मुद्दे को अविलंबनीय महत्व का मामला माने और आश्वासन को शीघ्र पूरा किया जाए। अत: विभाग को इन आश्वासनों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कम से कम 2018 से ठोस और समन्वित प्रयास करने चाहिए थे। समिति वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर जोर नहीं देती है और वरिष्ठ नागरिकों को देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन समझते हुए, एक ऐसे वातावरण के निर्माण पर जोर देती है जो वरिष्ठ नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है और बड़े पैमाने पर समाज के लिए उन्हें पूरा योगदान देने में सक्षम बनाता है । मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर दिए गए आश्वासन के महत्व पर जोर देते हुए और इस विषय के महत्व और तात्कालिक आवश्यकता पर विचार करते हुए, समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से आश्वासनों को शीघ्र पूरा करने के लिए गंभीर और दृढ़ प्रयास करने की सिफारिश करती है ।

III. कार्यान्वयन प्रतिवेदन

17. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गए विवरण के अनुसार, निम्नलिखित चार आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन दिनांक 01.12.2021 को सभा पटल पर रखे गए हैं :

तालिका 2

क्रम सं.	तालिका 1 में क्रम सं.(पैरा सं.4)	ता./अता. प्रश्न सं. और दिनांक	कार्यान्वयन की तिथि
1.	क्रम सं. 16	'बच्चों में नशे की लत' विषय से संबंधित दिनांक 14.03.2017 का अतारांकित प्रश्न सं. 1858	01.12.2021
2.	क्रम सं. 25	'अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए योजनाएं' विषय से संबंधित दिनांक 03.12.2019 का अतारांकित प्रश्न सं. 2422	01.12.2021
3.	क्रम सं. 26	'पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर मंत्री द्वारा वक्तव्य' संबंधी दिनांक 10.02.2020 का विशेष उल्लेख	01.12.2021
4.	क्रम सं. 28	'सामान्य बजट- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा' के संबंध में दिनांक 16.03.2020 की सामान्य चर्चा (श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य)	01.12.2021

नई दिल्ली;...
21 दिसम्बर 2021
अग्रहायण 30,1943 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

परिशिष्ट - एक

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 137
उत्तर देने की तारीख : 26.07.2010

बाल उत्पीड़न

137. श्री एस0 सेम्मलई :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में बाल उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हुई है; और
(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में बाल हितैषी न्यायालयों की स्थापना सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री डी. नेपोलियन)

(क) देश में बाल उत्पीड़न की घटनाओं संबंधी कोई पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर आंकड़े एकत्र करता है। देश में वर्ष 2006, 2007 और 2008 में बच्चों के विरुद्ध अपराधों के तहत क्रमश: कुल 18967, 20410 और 22500 मामले दर्ज किए गए थे, जिनसे अपराधों में बढ़ोतरी का रूझान प्रदर्शित होता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*****

परिशिष्ट दो

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1035

जिसका उत्तर दिनांक 28.11.2011 को दिया गया

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति

1035. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री गजानन ध॰ बाबर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसूल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2011 बनाने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का संघटन क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनमें की गयी सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) वरिष्ठ नागरिकों के लिए नयी राष्ट्रीय नीति को कब तक अंतिम रूप दिये जाने तथा लागू किये जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी॰ पेपोलियन): (क) और (ख) सरकार ने श्रीमती मोहिनी गिरी की अध्यक्षता में, अन्य बातों के साथ-साथ एक नई राष्ट्रीय वृद्धजन नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 28.01.2010 को एक समिति का गठन किया था। समिति के अन्य सदस्य थे:

(1) श्री एम॰एम॰ सभरवाल, अध्यक्ष इमिरिटस, हेल्प एज इंडिया;

(2) डॉ॰ के॰आर॰ गंगाधरन, अध्यक्ष हेरिटेड फाउंडेशन;

(3) श्रीमती शीलू श्रीनिवासन, अध्यक्ष, डिग्निटी फाउंडेशन;

(4) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि;

(5) आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव/वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रभारी सचिव; और

(6) सदस्य सचिव, के रूप में संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

(ग) और (घ) समिति ने दिनांक 30.03.2011 को राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 2011 का मसौदा प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, वृद्ध महिलाओं तथा ग्रामीण गरीब व्यक्तियों की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। इस नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से वृद्ध महिलाओं के सरोकारों को मुख्य धारा में लाना और इन्हें राष्ट्रीय विकास वाद-विवाद में लाना;
- आय सुरक्षा, होम केयर सेवा, वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य देखरेख बीमा योजनाओं, आवास एवं अन्य कार्यक्रमों/सेवाओं को बढ़ावा देना;
- परिवार के भीतर वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख को बढ़ावा देना और अंतिम आश्रय के रूप में संस्थानिक देखरेख पर विचार करना;
- एक अनन्य, बाधा-मुक्त एवं आयु-अनुकूल समाज बनाने की दिशा में कार्य करना;
- वरिष्ठ नागरिकों को देश के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में मान्यता देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना;
- ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में दीर्घावधिक बचत उपायों एवं क्रेडिट कार्यकलापों को बढ़ावा देना;
- अधिवार्षिता के पश्चात् आय-सृजक कार्यकलापों में रोजगार को बढ़ावा देना;
- परामर्श, जीवन-वृत्ति दिशा-निर्देश एवं प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों को सहायता प्रदान करना; आदि।

समिति ने नीति के उद्देश्यों के कार्यान्वयन की दिशा में केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले हस्तक्षेप के क्षेत्रों का भी सुझाव दिया।

(ङ) राज्य सरकारों की टिप्पणी जानने के लिए मसौदा नीति को उनको परिचालित किया गया है। आम जनता की सूचना एवं फीडबैक, यदि कोई हो, के लिए इसे मंत्रालय की वेबसाइट (www.socialjustice.nic.in) पर भी डाल दिया गया है। राज्य सरकारों एवं संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मसौदा नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

परिशिष्ट -तीन

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1757

उत्तर देने की तारीख 22.07.2014

वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति की समीक्षा

1757. श्री धनंजय महाडीक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री राजीव सातव:
श्री मोहिते पाटील विजयसिंह
शंकरराव:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2011 की जनगणना के अनुसार देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कितनी है और यह जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है;
(ख) क्या सरकार का वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति की समीक्षा करने का विचार है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार का वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनके लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं लागू करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री सुदर्शन भगत)

(क): जनगणना, 2011 के अनुसार, देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 10.38 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत है ।

(ख) और (ग): जनसांख्यिकी पद्धति में हुए परिवर्तन, वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं, सामाजिक मूल्य प्रणाली तथा विगत दस वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999 की पुनरीक्षा की गयी है तथा नई राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(घ) और (ङ): वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ-साथ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय तथा विभाग उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं । इनके ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं ।

अनुबंध

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे

क्रम सं.	योजना का नाम	नोडल मंत्रालय	योजना का संक्षिप्त ब्यौरा
1.	समेकित वृद्धजन कार्यक्रम योजना (आईपीओपी)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	यह योजना 1992 से कार्यान्वित की जा रही है और यह 01.04.2008 से संशोधित की थी। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों/पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय शहरी निकायों और गैर-सरकारी संगठनोंको निम्नलिखित परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :- • वृद्धाश्रम; • दिवा देखभाल केन्द्र; • चल चिकित्सा एकक; • एल्जीमर्स रोग/डिमेंसिया रोगियों के लिए दिवा देखभाल केन्द्र; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन तथा परामर्श केन्द्र; • विशेष रूप से स्कूलों और कालेजों के बच्चों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम; • क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि।
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के व्यक्तियों हेतु 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 200 रुपए प्रतिमाह की दर से तथा 80 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें राज्यों द्वारा अंशदान संपूरित किया जाना अपेक्षित होता है।
3.	राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	2010-11 में आरंभ किए गए इस कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्न हैं :- • समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण; • जिला अस्पतालों/सीएचसी/पीएचसी/उप केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए 10 बिस्तर वार्ड के साथ 100 जिला अस्पतालों में समर्पित सुविधाएं; • नई दिल्ली (एम्स), चेन्नै, मुम्बई, श्रीनगर, वाराणसी, जोधपुर, तिरुवनन्तपुरम और गुवाहाटी में 30 बिस्तर वार्ड सहित वृद्ध व्यक्तियों के लिए समर्पित तृतीयक स्तरीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए 8 क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थानों को सुदृढ़ करना; और • उक्त 8 संस्थाओं में वृद्धों के लिए दवाओं में पीजी पाठ्यक्रमों को आरंभ करना तथा सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण।

परिशिष्ट - चार

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 4750
उत्तर देने की तारीख 12.08.2014

वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित नीति

4750. कुँवर हरिवंश सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव, बुद्धिमत्ता और अकूत ज्ञान के इस्तेमाल के लिए नई नीति बनाने का प्रस्ताव है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री सुदर्शन भगत)

(क) और (ख): राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी), 1999 में यह माना गया है कि 60 वर्ष की आयु के बाद भी जीवन में काफी ऊर्जा बची होती है जिसका उपयोग नहीं किया गया होता है और इसमें प्रस्ताव है कि वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वे अपनी भीतर की संभाव्यता का उपयोग कर सकें। इस बारे में इस नीति की भावनाओं के अनुसार काम करते हुए, विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे– वरिष्ठ नागरिकों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, अन्तः पीढ़ी संबध के लिए स्कूल कार्यक्रम, आदि। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने समाज में विविध विशिष्ट क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दी जा रही मूल्यवान सेवाओं को मान देने के लिए 'वयोश्रेष्ठ सम्मान' नामक राष्ट्रीय पुरस्कार देना शुरू किया है। पिछले दशक में सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकासात्मक कार्यों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999 में संशोधन किया जा रहा है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजगार में बने रहने हेतु और/अथवा सेवा निवृत्ति के पश्चात् रोजगार के अवसरों का संवर्द्धन किया जा सके।

परिशिष्ट पांच

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3784

जिसका उत्तर दिनांक 16.12.2014 को दिया गया

वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या

3784. **श्री चांद नाथ:**
श्रीमती किरण खेर:
श्री बी॰वी॰ नाईक:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने देश में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों सहित वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के संबंध में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पहलू की जांच करने के लिए सरकार द्वारा कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल हो और उनके लिए अन्य कल्याण उपाय किए जाएं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय साम्पला): (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग (जनसंख्या प्रभाग) "विश्व जनसंख्या संभावनाएं: 2012-पुनरीक्षण" नामक रिपोर्ट में वर्ष 2013 और 2050 के लिए भारत में कुल जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिकों (आयु 60-80 वर्ष) का प्रतिशत का अनुमान क्रमश: 8.3 और 18.3 था। इसी अवधि के लिए वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के संबंध में अनुमान क्रमश: 08. और 2.3 थे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2010 में (i) वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की मौजूदा स्थिति का आकलन करने, सामान्यतया और राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) के कार्यान्वयन, विशेष रूप से और (ii) नृजातीय, सामाजिक-आर्थिक, तकनीकी तथा अन्य संगत क्षेत्रों में उभरते हुए रुझानों को ध्यान में रखते हुए एक नई एनपीओपी का मसौदा तैयार करने के लिए

एक समिति गठित की थी। इस समिति द्वारा प्रस्तावित मसौदे के आधार पर, मंत्रालय ने जांच और परामर्श के पश्चात् एक मसौदा नीति तैयार की है जिसकों अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी), 1999 घोषित की है। इस नीति में वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय एवं इनकी अन्य जरूरतों, विकास में न्याय संगत भागीदारी, दुर्व्यवहार, एक शोषण के विरुद्ध संरक्षण तथा सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सहायता परिकल्पित है।

तदनुपरांत, माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम वर्ष 2007 में पारित किया गया ताकि माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का आवश्यकता आधारित भरण-पोषण और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। इस अधिनियम में अधिकरणों के माध्यम से माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों के रिश्तेदारों/बच्चों द्वारा उनके भरण-पोषण को बाध्यकारी एवं न्याय संगत बनाए जाने; वरिष्ठ नागरिकों के संबंधियों द्वारा उनकी अनदेखी किए जाने की स्थिति में संपत्ति के अंतरण को निरस्त करने; वरिष्ठ नागरिकों का परित्याग करने की स्थिति में सजा का प्रावधान करने; निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना करने; वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सीय सुविधा तथा सुरक्षा और उनके जान-माल का संरक्षण करने का प्रावधान है।

वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने और वृद्धजनों द्वारा सम्मानपूर्ण जीवन जीने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रावधान अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने और उनके द्वारा सम्मानपूर्ण जीवन जीना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रावधान

(1) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999 में की गई सिफारिशें और माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत राज्यों के दायित्वों के मद्देनजर, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने 11वीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) की शुरुआत की थी ताकि वृद्धजनों की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सके। एनपीएचसीई का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय स्तरों पर राज्य जन स्वास्थ्य सुविधा प्रदायगी प्रणाली के माध्यम से वृद्धजनों को आउटरीच सुविधाओं सहित समर्पित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। आज की तिथि तक, 24 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल 104 जिलों तथा 8 क्षेत्रीय जराचिकित्सा केन्द्रों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है। अब तक, 930 सीएचसी, 4439 पीएचसी और 28767 उप केन्द्रों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है।

(2) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किसी वरिष्ठ नागरिक (अर्थात एक व्यक्ति, भारत का निवासी जिसकी संगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी समय आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक है) के लिए अनेक प्रोत्साहन किए गए हैं। ऐसे कुछ प्रोत्साहन निम्नवत् हैं:

- एक वरिष्ठ नागरिक आयकर देने के लिए उत्तरदायी है यदि उसकी कुल आय अन्य व्यक्तियों के मामले में लागू 2.5 लाख रुपये की छूट सीमा के विरुद्ध तीन लाख रुपये से अधिक हो। भारत का निवासी कोई व्यक्ति जिसकी संगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी समय आयु 80 वर्ष या इससे अधिक है, आयकर देने के लिए उत्तरदायी है यदि उसकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियमावली 2004 के अंतर्गत किसी खाते में जमा कोई धनराशि, 1.5 लाख की सीमा के अध्यधीन, आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है।
- एक वरिष्ठ नागरिक होते हुए किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर किसी बीमा के लागू होने के लिए अदा किए गए प्रीमियम भुगतान के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80डी के अंतर्गत 20,000 रुपये (अन्य मामलों में 15,000 रुपये) की कटौती अनुमत है।
- किसी वरिष्ठ नागरिक के मामले में विशिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए वास्तविक रूप से खर्च किए गए व्यय की धनराशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80डीडीबी के अंतर्गत 60,000 रुपये (अन्य मामलों में 40,000 रुपये) की कटौती अनुमत है।

- यदि कोई वरिष्ठ नागरिक इस आशय की एक घोषणा करदेयकर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत करता है कि संगत पूर्ववर्ती वर्ष की उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा, आयकर अधिनियम की धारा 193, 194, 194ए, 194ईई अथवा 194 के अंतर्गत स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की जानी अपेक्षित है।

- सेवाकर विधायन के तहत, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत किसी निकाय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों अथवा कौशल विकास में प्रगति संबंधी कार्यकलापों को सेवा कर से छूट प्रदान की गई है।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय

इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का एक घटक है। आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के 60-79 आयु वर्ग के व्यक्ति को प्रतिमाह 200/- रु॰ तथा 80 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को प्रतिमाह 500/- रु॰ की केंद्रीय सहायता दी जाती है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को इस योजना के अंतर्गत समान राशि का अंशदान करने का भी अनुरोध किया गया है।

(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 1992 से एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का क्रियान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सीय सुविधा तथा मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए और उन्हें सृजनशील और सक्रिय वृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत, गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं इत्यादि को वृद्धाश्रमों, राहत देखभाल गृहों एवं सतत देखभाल गृहों, बहुसुविधा केन्द्रों, मोबाइल चिकित्सा केन्द्रों, अल्जाइमर रोग/डिमेंसिया रोग से ग्रसित व्यक्तियों के लिए दिवा देखभाल केन्द्रों, वृद्धजनों के लिए फिज़ियोथेरापी क्लीनिकों इत्यादि के अनुरक्षण हेतु वित्तीय सहायता (जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 95% और शेष देश के लिए 90% तक) प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन मुख्यत: गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जाता है।

(5) रेल मंत्रालय

रेल मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय-समय पर निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं:

- नियमों के अनुसार, न्यूनतम 60 वर्ष की आयु वाले पुरुष वरिष्ठ नागरिकों और न्यूनतम 58 वर्ष की आयु वाली महिला वरिष्ठ नागरिकों को मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/शताब्दी/जन-शताब्दी/दूरंतो ग्रुप की ट्रेनों की सभी श्रेणियों में बुनियादी किराए में रियायत प्रदान की जाती है। पुरूषों के लिए यह रियायत 40% और महिलाओं के लिए 50% तक है।

- टिकटों की खरीद के समय आयु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने संबंधी कोई अनिवार्यता नहीं है। तथापि, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे यथाविहित कागज़ाती प्रमाण-पत्र साथ लेकर यात्रा करें जिसमें उनकी आयु या जन्म तिथि दर्शाई गई हो और उन्हें यह प्रमाण-पत्र यात्रा के दौरान टिकट निरीक्षक स्टॉफ द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होता है। वरिष्ठ नागरिक आरक्षण टिकट की बुकिंग आरक्षण काउंटरों तथा इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं।

- कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में, वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की महिला यात्रियों के लिए स्वत: ही लोअर बर्थ आवंटित किए जाने की व्यवस्था है, भले ही कोई प्राथमिकता न दी गयी हो, ऐसा बुकिंग के समय जगह की उपलब्धता के अध्यधीन है।

- ऐसी सभी रेलगाड़ियां जिनमें स्थल आरक्षित होते हैं, प्रति कोच 2 लोअर बर्थ के मिश्रित कोटा, एसी, एसी 3 टियर तथा एसी 2 टिअर श्रेणियों में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष के अधिक आयु की महिला यात्रियों तथा गर्भवती महिलाओं जब वे अकेली यात्रा कर रही हों, के लिए निर्धारित किया गया है।

- केन्द्रीय तथा पश्चिमी रेलवे द्वारा निर्धारित समय के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए उप नगरीय सैक्शनों पर सीटें भी निर्धारित की जाती हैं।

- सभी स्टेशनों पर व्हील चेयर्स के प्रावधान हेतु अनुदेश विद्यमान हैं। मौजूदा पद्धति के अनुसार भुगतान करने पर, कुलियों द्वारा विधिवत रूप से सुरक्षा के साथ यह सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलवे को स्टेशनों पर विकलांग तथा वृद्ध यात्रियों हेतु बैट्री संचालित वाहन नि:शुल्क उपलब्ध करवाने की सलाह भी दी गई है।

- रेलगाड़ी के प्रस्थान के पश्चात्, यदि रेल में नीचे की सीटें उपलब्ध हों और यदि विकलांग व्यक्ति ने विकलांग रियायत के प्राधिकार पर अथवा किसी वरिष्ठ नागरिक ने बुकिंग करायी हो, जिसे ऊपर/बीच वाली सीट आवंटित की गयी हो, खाली सीट के लिए आवंटन का अनुरोध करता है, रेल में टिकट जांचकर्त्ता स्टाफ को चार्ट में आवश्यक प्रविष्टियों करके उन्हें रिक्त नीचे की सीट आवंटित करने का प्राधिकार है।

- विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केन्द्र जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व-सांसदों विधायकों, मान्यताप्राप्त पत्रकारों तथा स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आरक्षण संबंधी अनुरोधों पर कार्रवाई करते हैं, यदि औसत मांग प्रति शिफ्ट 120 टिकटों के कम न हो, पर अलग काउंटर निर्धारित किए गए हैं। यदि विकलांग व्यक्तियों सहित केवल ऐसे व्यक्तियों की श्रेणियों अथवा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनन्य रूप से काउंटर स्थापित करने के कोई औचित्य न हो, उस स्थिति में कुल मांग के आधार पर इन श्रेणियों के व्यक्तियों हेतु आरक्षण के लिए एक और दो काउंटर निर्धारित किए जाएंगे।

(6) गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 27.03.2008 एवं 30.08.2013 के अपने दो विस्तृत सलाहकारी पत्रों के माध्यमों से अनुरोध किया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों की पहचान, वृद्धजनों की सुरक्षा एवं संरक्षा के बारे में पुलिस कार्मिकों का सुग्राहीकरण,

बीट स्टाफ द्वारा नियमित गश्ती, निःशुल्क वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन की स्थापना, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना, घरेलू नौकरों, ड्राइवरों इत्यादि का सत्यापन करने जैसी पहलों के माध्यम के वृद्धजनों के विरुद्ध होने वाले दुर्व्यवहार, अनदेखी, एवं हिंसा के सभी स्वरूपों को समाप्त करने और सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करें।

(7) नागर विमानन मंत्रालय

यात्रियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों , गर्भवती महिलाओं, विकलांग यात्रियों, प्रथम बार यात्री इत्यादि की सुविधा के लिए सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए हैं कि निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए:

- एयरलाइन/एयरपोर्ट आपरेटर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उस टर्मिनल भवन में जिसमें 50,000 या अधिक की वार्षिक एयरक्राफ्ट आवागमन है, ऐसे सभी एयरपोर्टों पर उपयुक्त पैदल दूरी के आगे अवस्थित बोर्डिंग गेटों के लिए पहुंच सुविधा प्रदान करने हेतु निःशुल्क स्वचालित बग्गियों का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे। यह सुविधा मांग करने पर अन्य जरूरतमंद यात्रियों को निःशुल्क प्रदान की जाए।
- एयरपोर्ट आपरेटर बोर्डिंग गेट तक हैंडबैग (अनुमत विनियम के अनुसार) ले जाने के लिए सुरक्षा जांच के पश्चात छोटी ट्रालियां प्रदान करेंगे।
- एयरपोर्ट आपरेटर टर्मिनल भवन में प्रमुख स्थानों पर स्वचालित बग्गियों तथा छोटी ट्रालियों की उपलब्धता के संबंध में पर्याप्त सूचना प्रदर्शित करेंगे जिसमें ऐसा करने और ऐसा नहीं करने के संबंध में सूचना भी दी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त, एयर इंडिया उच्चतम इकोनोमी क्लास बेसिक किराये पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50. छूट प्रदान करता है। यह छूट उनको प्रदान की जाती है जिन्होंने यात्रा के आरंभ की तिथि पर 63 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
- वरिष्ठ नागरिक, एक निम्न स्तर अग्रिम खरीद भाड़े से जो उच्चतम टिकट की प्रारंभ बिक्री सुकर बनाता है, से आरंभ करते हुए घरेलू सेक्टरों पर यात्रा के लिए प्रत्येक सेक्टर पर एयर इंडिया द्वारा प्रस्तावित बहु-स्तरीय किरायों का भी लाभ उठा सकता है।

परिशिष्ट - छह

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2625
उत्तर देने की तारीख: 02.08.2016

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

2625. श्री राजेश रंजनः
श्री विनसेंट एच. पालाः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वरिष्ठ जनों हेतु एकीकृत कार्यक्रम (आई पी ओ पी) के अंतर्गत वृद्धाश्रम, डे केयर केन्द्र और मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों की स्थापना और देखभाल केन्द्रों, फिजियोथेरेपी क्लीनिकों और परामर्श केन्द्रों इत्यादि के रख-रखाव हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान माता-पिता और वृद्धजनों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत गुजारा भत्ता अधिकरणों में दायर किये गये मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) उन केन्द्रीय अस्पतालों की संख्या कितनी है जहां पर जराचिकित्सा क्लीनिक उपलब्ध हैं और उन क्षेत्रीय जराचिकित्सा केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिनके पास पूर्णतः प्रचालित जराचिकित्सा विभाग है;
(घ) राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद स्थापित करने की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ङ) क्या सरकार के पास वरिष्ठ महिला नागरिकों जो वरिष्ठ पुरुष नागरिकों से संख्या में ज्यादा हैं के लिये कोई विशिष्ट कल्याण उपाय हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय साम्पला)

(क) यह मंत्रालय वृद्धजनों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक एकीकृत कार्यक्रम योजना (आईपीओपी) कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केंद्रों, सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों आदि के संचालन और रख-रखाव हेतु अनुदान दिया जाता है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करके वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है । इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र कार्यान्वयन एजेंसियां पंचायती राज संस्थाएं/स्थानीय निकाय, गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्तशासी/अधीनस्थ निकायों के रूप में सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं अथवा संगठन, सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान, धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम तथा नेहरू युवक केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) जैसे पंजीकृत युवक संगठन तथा अपवादात्मक मामलों में राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या और जारी निधियों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I पर है।

(ख) इस संबंध में केंद्रीय रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, मंत्रालय ने आउटरीच सेवाओं सहित राज्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी तंत्र के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक और विशिष्टिकृत व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के मद्देनजर, 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) आरम्भ किया था। एनपीएचसीई के अंतर्गत जरा चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

i. इंडौर सेवाएं प्रदान करने के लिए ओपीडी देखभाल सेवाओं तथा बिस्तर वाले जर 30क चिकित्सा वार्ड के साथ अभिज्ञात क्षेत्रीय जरा चिकित्सा केन्द्रों में जरा चिकित्सा विभाग की (आरजीसी) स्थापना करना। आरजीसी मानव संसाधन विकसित करने के लिए जरा चिकित्सा में पीजी पाठ्यक्रम भी चलाएंगे।
ii. सभी जिला अस्पतालों में जरा चिकित्सा एककों की स्थापना करना जो विशिष्टिकृत सेवाएं प्रदान करेंगे। एक दस बिस्तर वाला जरा चिकित्सा वार्ड भी इंडौर सेवाएं प्रदान करने हेतु स्थापित किया जाएगा।
iii. सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पुनर्वास एकक और सप्ताह में दो बार जरा (सीएचसी) चिकित्सा क्लीनिक की स्थापना करना।
iv. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा साप्ताहिक जरा (पीएचसी) चिकित्सा क्लीनिक की स्थापना करना।
v. उपगंभीर रोगी की घर में देखभाल और जरूरतमंद वृद्ध ,केन्द्र स्तर पर स्वस्थ जीवन शैली-शिक्षा और सम्प ,व्यक्तियों के लिए सहायक सेवाओं पर सूचनार्क ।(आईईसी)

32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 227 जिलें वित्त वर्ष 2015-16 तक इस कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अभी तक 15 अभिज्ञात चिकित्सा संस्थानों को क्षेत्रीय जरा चिकित्सा केन्द्रों (आरजीसी) के विकास के लिए वित्त घोषित किया गया है।

(घ) राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद दिनांक 22 फरवरी, 2012 को अधिसूचित कर दी गई है और दिनांक 08.07.2016 के आदेश के जरिए गैर-सरकारी सदस्य नामित कर दिए गए हैं।

(ड.) मंत्रालय ने समुचित परामर्श करने के पश्चात् वरिष्ठ नागरिक नीति का मसौदा तैयार किया है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम (आईपीओपी) की मौजूदा योजना के तहत, सभी सुविधाएं समान रूप से वृद्ध महिलाओं के लिए भी उपलब्ध हैं तथा बहु सुविधा देखभाल केंद्र (एमएफसीसी) कार्यक्रम के तहत लाभ विशेष रूप से वृद्ध विधवाओं को प्रदान किए जाते हैं।

*****

वर्ष 2013-14 के दौरान आईपीओपी योजना के अंतर्गत जारी किए गए सहायता अनुदान, सहायता प्राप्त परियोजनाओं और सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी राशि (लाख रुपये में)	परियोजनाओं का ब्यौरा					
आरओसी राज्य			ओएएच की संख्या	डीसीसी की संख्या	एमएमयू की संख्या	अन्य	सहायता प्राप्त एनजीओ	सहायता प्राप्त परियोजनाएं
1	आंध्र प्रदेश	347.24	56	29	4		61	91
2	बिहार	8.21	1	1	0		2	2
3	छत्तीसगढ़	2.44	1	0	0	0	1	1
4	गोवा	0.00	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	0.00	0	0	0	0	0	0
6	हरियाणा	56.45	8	10	0	0	14	18
7	हिमाचल प्रदेश	9.82	0	2	2	0	2	4
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0	0		0	0
9	झारखंड	0.00	0	0	0		0	0
10	कर्नाटक	84.10	15	1	0		17	22
11	केरल	11.33	3	0	1	0	2	4
12	मध्य प्रदेश	11.60	1	0	0	2	3	3
13	महाराष्ट्र	157.04	17	8	1	1	30	40
14	ओडिशा	356.86	38	49	4		44	98
15	पंजाब	16.71	2	3	0		5	6
16	राजस्थान	17.59	4	2	0	0	3	6
17	तमिलनाडु	30.73	7	2	1	1	8	11
18	उत्तर प्रदेश	60.73	6	10	0	0	11	16
19	उत्तराखंड	26.75	4	1	0		4	6
20	पश्चिम बंगाल	182.36	25	26	3	1	23	55
		0.00						

संघ राज्य क्षेत्र								
21	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00					0	0
22	चंडीगढ़	0.00					0	0
23	दादर एवं नगर हवेली	0.00					0	0
24	दमन और दीव	0.00					0	0
25	लक्षद्वीप	0.00					0	0
26	दिल्ली	46.67	2				4	3
27	पांडिचेरी	0.00					0	0
पूर्वोत्तर राज्य		0.00						0
28	अरुणाचल प्रदेश	0.00					0	0
29	असम	50.07	6	3	1		7	10
30	मणिपुर	79.90	11	4	1		14	17
31	मेघालय	0.00					0	0
32	मिजोरम	0.00					0	0
33	नागालैंड	0.00					0	0
34	सिक्किम	0.00					0	0
35	त्रिपुरा	0.00					0	0
कुल		**15.57**	**207**	**151**	**18**	**37**	**255**	**413**

वर्ष 2014–15 के दौरान आईपीओपी योजना के तहत कुल जारी की गई सहायक अनुदान का 31.03.2015 तक का विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	जारी राशि	कुल सहायता प्रदान की गई गैर– सरकारी संगठन की संख्या	सहायता प्रदान की गई परियोजना की संख्या				
	शेष क्षेत्रीय राज्य			वृद्धाश्रम	डे केयर सेंटर	मोबाईल मेडिकेयर यूनिट	अन्य परियोजनायें	कुल परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्रा प्रदेश	352.91	52	47	22	4	0	73
2	बिहार	5.60	2	1	1	0	0	2
3	छत्तीसगढ़	0.00	0	0	0	0	0	0
4	गोवा	0.00	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	0.00	0	0	0	0	0	0
6	हरियाणा	10.22	4	1	3	0	0	4
7	हिमाचल प्रदेश	7.54	2	1	0	1	0	2
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0	0	0	0	0
9	झारखण्ड	0.00	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	114.39	17	17	1	0	4	22
11	केरल	5.00	1	0	0	0	1	1
12	मध्य प्रदेश	25.19	4	3	0	0	1	4
13	महाराष्ट्र	71.92	15	4	5	0	6	15
14	ओडिशा	203.98	29	23	34	1	4	62
15	पंजाब	14.91	6	1	4	0	1	6
16	राजस्थान	10.29	2	2	0	0	0	2
17	तमिलनाडु	190.07	35	32	5	2	3	42
18	तेंलगाना	34.45	7	7	0	0	0	7
19	उत्तर प्रदेश	37.17	7	5	7	0	0	12

क्र. सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	जारी राशि	कुल सहायता प्रदान की गई गैर– सरकारी संगठन की संख्या	सहायता प्रदान की गई परियोजना की संख्या				
शेष क्षेत्रीय राज्य				वृद्धाश्रम	डे केयर सेंटर	मोबाईल मेडिकेयर यूनिट	अन्य परियोजनायें	कुल परियोजनाओं की संख्या
20	उत्तराखण्ड	7.32	3	3	0	0	0	3
21	पश्चिम बंगाल	108.63	20---	15	7	4	1	27
	कुल–शेष राज्य	1199.59	206	162	89	12	21	284
संघ शासित क्षेत्र								
22	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0	0	0	0	0	0
23	चण्डीगढ़	0.00	0	0	0	0	0	0
24	दादर और नागर हवेली	0.00	0	0	0	0	0	0
25	दमन और दीव	0.00	0	0	0	0	0	0
26	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0	0	0	0
27	दिल्ली	55.15	6	1	1	0	5	7
28	पुंडुचेरी	0.00	0	0	0	0	0	0
	कुल–संघ शासित क्षेत्र	55.15	6	1	1	0	5	7
उत्तर–पूर्वीय राज्य								
29	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0	0	0	0
30	असम	99.26	13	12	4	5	0	21
31	मणिपुर	131.26	19	9	14	2	0	25
32	मेघालय	0.00	0	0	0	0	0	0
33	मिज़ोरम	3.10	1	0	1	0	0	1
34	नागालैंड	1.13	1	1	0	0	0	1
35	सिक्किम	0.00	0	0	0	0	0	0
36	त्रिपुरा	9.58	2	2	0	0	0	2
	कुल उत्तर–पूर्वीय क्षेत्र	244.339	36	24	19	7	0	50
कुल योग		1499.07	248	187	109	19	26	341

र्ष 2015-16 के दौरान आईपीओपी योजना के अंतर्गत 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार जारी किए सहायता अनुदान का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि	सहायता प्राप्त एनजीओ की संख्या					
आरओसी राज्य				ओएच की संख्या	डीसीसी की संख्या	एमएमयू की संख्या	अन्य	कुल
1	आंध्र प्रदेश	389.02	67	56	25	5	2	88
2	बिहार	4.43	2	1	1		0	2
3	छत्तीसगढ़	13.85	1	1			0	1
4	गोवा	0.00	0				0	0
5	गुजरात	0.00	0				0	0
6	हरियाणा	45.86	12	4	9		0	13
7	हिमाचल प्रदेश	11.99	2		1	1	0	2
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	0				0	0
9	झारखंड	0.00	0				0	0
10	कर्नाटक	386.18	27	33	1	1	7	42
11	केरल	16.62	4	4			0	4
12	मध्य प्रदेश	29.20	4	4	1		0	5
13	महाराष्ट्र	291.38	30	16	10	1	11	38
14	ओडिशा	324.40	36	33	10		4	47
15	पंजाब	18.26	6	2	3		1	6
16	राजस्थान	16.44	3	3			0	3
17	तमिलनाडु	469.98	47	47	11	5	4	67
18	तेलंगाना	47.24	9	9	1		1	11
19	उत्तर प्रदेश	40.08	9	9	4		0	13
20	उत्तराखंड	12.12	4	3	1		1	5
21	पश्चिम बंगाल	120.00	18	13	7	3	1	24
संघ राज्य क्षेत्र								
22	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0				0	0

23	चंडीगढ़	0.00	0				0	0
24	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0				0	0
25	दमन और दीव	0.00	0				0	0
26	लक्षद्वीप	0.00	0				0	0
27	दिल्ली	60.91	6	2	1		5	8
28	पांडिचेरी	0.00	0				0	0
[illegible]		60.91	6	2	1	0	5	8
पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य								
29	अरुणाचल प्रदेश	1.13	1	1			0	1
30	असम	186.41	15	11	10	5	1	27
31	मणिपुर	252.02	26	17	16	2	1	36
32	मेघालय	0.00	0				0	0
33	मिजोरम	3.77	1		2		0	2
34	नागालैंड	8.10	1	1			0	1
35	सिक्किम	0.00	0				0	0
36	त्रिपुरा	8.67	3	3			0	3
[illegible]		460.10	47	33	28	7	2	70
कुल योग		2758.06	332	273	114	23	39	449

-6-

वर्ष 2016-17 के दौरान आईपीओपी योजना के अंतर्गत 27.07.2016 की स्थिति के अनुसार जारी किए सहायता अनुदान का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि	सहायता प्राप्त एनजीओ की संख्या					
आरओसी राज्य				ओएएच की संख्या	डीसीसी की संख्या	एमएमयू की संख्या	अन्य	कुल
1	आंध्र प्रदेश	115.24	23	26	6	1	0	33
2	बिहार	1.23	1	1	0	0	0	1
3	छत्तीसगढ़	0.00	0	0	0	0	0	0
4	गोवा	0.00	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	0.00	0	0	0	0	0	0
6	हरियाणा	16.61	5	1	5	0	0	6
7	हिमाचल प्रदेश	13.95	2	1	0	1	0	2
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0	0	0	0	0
9	झारखंड	0.00	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	45.53	9	8	1	0	2	11
11	केरल	6.82	3	2	1	0	0	3
12	मध्य प्रदेश	5.60	2	2	0	0	0	2
13	महाराष्ट्र	55.48	18	8	4	1	7	20
14	ओडिशा	183.93	27	9	50	2	8	69
15	पंजाब	2.21	2	0	2	0	0	2
16	राजस्थान	1.24	1	1	0	0	0	1
17	तमिलनाडु	64.23	13	13	0	2	0	15
18	तेलंगाना	23.96	7	5	1	0	1	7
19	उत्तर प्रदेश	19.22	5	2	7	0	0	9
20	उत्तराखंड	8.90	2	2	0	0	0	2
21	पश्चिम बंगाल	67.77	8	8	6	2	0	16
संघ राज्य क्षेत्र -								

22	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0	0	0	0	0
23	चंडीगढ़	0.00	0	0	0	0	0	0
24	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0	0	0	0	0	0
25	दमन और दीव	0.00	0	0	0	0	0	0
26	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0	0	0	0
27	दिल्ली	12.27	3	1	0	0	2	3
28	पांडिचेरी	0.00	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	12.27	3	[illegible]	0	0	2	3
पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य								
29	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0	0	0	0
30	असम	1.44	1	0	0	0	1	1
31	मणिपुर	2.98	1	0	1	0	0	1
32	मेघालय	0.00	0	0	0	0	0	0
33	मिजोरम	0.54	1	0	1	0	0	1
34	नागालैंड	0.00	0	0	0	0	0	0
35	सिक्किम	0.00	0	0	0	0	0	0
36	त्रिपुरा	1.24	1	1	0	0	0	1
	[illegible]	6.20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
कुल योग		650.39	135	91	85	9	21	206

परिशिष्ट - सात

लोक सभा

*तारांकित प्रश्न सं.: *72*
उत्तर देने की तारीख: 07.02.2017

वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति

*72. श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वरिष्ठ नागरिकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक राष्ट्रीय नीति लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) देश में उक्त नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(श्री थावरचन्द गेहलोत)

(क) से (ङ.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 07.02.2017 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 72 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में विवरण

(क) और (ख): गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2014 और 2015 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) के विरुद्ध अपराध के क्रमश: कुल 18,714 मामले और 20,532 मामले सूचित किए गए थे, जो वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में 9.7% वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) के विरुद्ध किए गए अपराध के अंतर्गत सूचित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मामलों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इस प्रकार अपराध की रोकथाम, इनका पता लगाना, दर्ज करना, जांच तथा अभियोजन का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 27.03.2008 और 30.08.2013 को दो सलाह पत्र जारी किए हैं। 27.03.2008 तथा 30.08.2013 के सलाह पत्रों की प्रतियां **अनुबंध-II** तथा **III** पर दी गई हैं।

(घ) और (ड.): मौजूदा राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) की घोषणा 1999 में वृद्धजनों का कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए की गई थी। पिछले दशक के दौरान बदलते जन सांख्यिकीय पैटर्न, वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक अपेक्षाओं, सामाजिक मूल्य प्रणाली तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के मद्देनजर एक नई राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति को एनपीओपी-1999 को प्रतिस्थापित करने हेतु अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अनुबंध - I

वर्ष 2014-15 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध के तहत रिपोर्ट किए गए मामलों (सीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर), आरोप-पत्र दायर किए गए मामलों (सीएस), आरोप-पत्र दायर किए गए व्यक्तियों (पीसीएस), दोषसिद्ध किए गए मामलों (सीवी) तथा दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों (पीसीवी) को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014						2015					
		सीआर	पीएआर	सीएस	पीसीएस	सीवी	पीसीवी	सीआर	पीएआर	सीएस	पीसीएस	सीवी	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	1852	1821	1117	1449	124	155	2495	2283	1572	1761	213	236
2	अरुणाचल प्रदेश	4	4	4	4	0	0	7	8	6	7	0	0
3	असम	0	0	0	0	0	0	17	18	10	17	0	0
4	बिहार	496	711	391	596	2	4	404	508	360	505	10	15
5	छत्तीसगढ़	833	1155	736	1107	74	103	1077	1397	939	1431	157	215
6	गोवा	73	58	36	58	1	1	59	52	38	41	0	0
7	गुजरात	372	465	255	404	0	0	195	290	185	329	1	1
8	हरियाणा	310	417	201	402	4	6	306	252	180	246	18	27
9	हिमाचल प्रदेश	188	254	138	226	1	1	159	287	145	292	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	12	12	11	12	0	0	6	7	1	1	0	0
12	कर्नाटक	642	791	355	576	6	6	742	856	540	879	9	9
13	केरल	758	840	582	755	30	30	551	613	463	605	28	33
14	मध्य प्रदेश	3438	5556	3156	5466	128	208	3456	5739	3304	5825	407	749
15	महाराष्ट्र	3981	4283	1973	3257	79	96	4561	5062	2306	4130	115	142
16	मणिपुर	14	0	0	0	0	0	16	6	4	4	0	0
17	मेघालय	9	4	4	4	0	0	6	5	4	5	0	0
18	मिजोरम	7	7	4	4	1	1	6	8	5	7	3	3
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	383	437	255	430	0	0	423	500	375	443	1	2
21	पंजाब	158	212	82	122	7	11	87	135	80	150	23	40
22	राजस्थान	1034	994	615	994	26	45	685	578	339	578	61	101
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	2	2
24	तमिलनाडु	2121	2454	1054	1337	198	223	1947	2492	1499	1867	409	500
25	तेलंगाना	422	447	196	285	14	15	1519	960	797	931	99	102
26	त्रिपुरा	6	8	3	5	0	0	12	9	7	8	0	0
27	उत्तर प्रदेश	420	993	349	871	40	116	370	966	325	830	41	95
28	उत्तराखंड	1	0	0	0	0	0	5	3	3	3	0	0
29	पश्चिम बंगाल	118	2419	61	2670	0	0	125	149	80	105	0	0
	कुल राज्य	**17652**	**24342**	**11578**	**21034**	**735**	**1021**	**19239**	**23186**	**13570**	**21003**	**1597**	**2272**
30	अं.और नि. द्वीप समूह	12	17	10	15	1	1	12	11	9	9	6	6
31	चंडीगढ़	13	15	3	3	1	1	26	25	24	36	4	7
32	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	1021	722	189	203	16	17	1248	385	271	347	41	57
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	16	40	14	37	0	0	7	8	6	6	1	1
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**1062**	**794**	**216**	**258**	**18**	**19**	**1293**	**429**	**310**	**398**	**52**	**71**
	कुल (संपूर्ण भारत)	**18714**	**25136**	**11794**	**21292**	**753**	**1040**	**20532**	**23615**	**13880**	**21401**	**1649**	**2343**

स्रोत : भारत में अपराध

टिप्पणी : वर्ष के दौरान पुलिस/न्यायालयों द्वारा मामलों/व्यक्तियों का निपटान जिसमें पिछले वर्ष के लंबित मामले/व्यक्ति शामिल हैं।

अनुबंध-II

फा.सं.15011/53/2004-एससी/एसटी (खंड II)
गृह मंत्रालय
सीएस प्रभाग
(एससी/एसटी-डब्ल्यू)
***

नई दिल्ली, दिनांकः 25 मार्च, 2008
27 मई, 2008

सेवा में

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के मुख्य सचिव

विषयः राष्ट्रीय वृद्धजन नीति का कार्यान्वयन - अनुवर्ती कार्रवाई - के बारे में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) के कार्यान्वयन हेतु अंतर मंत्रालयीय समिति (आईएमसी) की वार्षिक बैठक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2008 को आयोजित हुई थी जिसमें वार्षिक कार्य योजना 2007-08 की स्थिति की समीक्षा समिति द्वारा की गई थी और एनपीओपी के तहत अगले वार्षिक कार्य योजना हेतु कुछ नई कार्य मदों का प्रस्ताव रखा गया था।

2. किस मंत्रालय ने दिनांक 24.10.2005 के अपने समसंख्यक पत्र के तहत राज्य सरकारों को एक विस्तृत परामर्शिका जारी की थी जो वर्ष 2005-06 के लिए एनपीओपी के तहत कार्य मदों के बारे में था। इसमें राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा थी। हमने अभी तक कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कार्य मदों के कार्यान्वयन के बारे में फीडबैक प्राप्त की है।

3. अगली वार्षिक कार्य योजना की कार्य मदों में वृद्धजनों के प्रति होने वाले सभी प्रकार की उपेक्षाओं, दुर्व्यवहार और हिंसा को समाप्त करने तथा वृद्धजनों के विरुद्ध किए जाने वाले दुर्व्यवहार के समाधान के लिए सहायक सेवाओं की स्थापना करने के प्रति राज्य सरकारों द्वारा तत्काल प्रयास किए जाने की आवश्यकता दोहराई गई है। इसमें विपत्ति की स्थिति में वृद्धजनों के हितों को संरक्षित करने हेतु संस्थागत और नीतिगत ढांचे को तैयार किया जाना शामिल है।

4. आपको यह जानकर खुशी होगी की विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक कारणों की वजह से पारिवारिक सहायता प्रदान नहीं किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति की वजह से वृद्धजन आपराधिक तत्वों, धोखाधड़ी, शारीरिक तथा भावनात्मक दुर्व्यवहार (कभी-कभी अपने ही परिवार के सदस्यों तथा संबंधियों द्वारा भी), अपने स्वामित्व अधिकारों से वंचित होना विधवाओं के विरासतगत अधिकारों से वंचित होना इत्यादि जैसी समस्याओं से सहज ही शिकार होते रहते हैं। निःसंदेह राज्य सरकारों ने वृद्धजनों के प्रति होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों को दूर करने और उनके अधिकारों का उल्लंघन किए जाने को रोकने के लिए कई पहल की हैं। तथापि, एनपीओपी के कार्यान्वयन हेतु अंतर मंत्रालयीय समिति ने यह पाया है कि इन उपलब्धियों की मापनीय संदर्भों में प्रस्तुति नहीं होने की वजह से समीक्षा नहीं की जा सकी। अतः यह आवश्यकता महसूस की गई थी वृद्धजनों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु कार्यमदों के संदर्भ में **निगरानी योग्य पैरा मीटरों का एक मैट्रिक्स** तैयार किया जाए।

5. इस संदर्भ में, कृपया **कार्य योजना के लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु जवाबदेह सुझायी गई एजेंसियों तथा सुझाए गए लक्ष्य, उपाय और उपलब्धि की प्रगति के आकलन हेतु निगरानी संकेतक अनुबंध में देखें।**

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति

वृद्धजनों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु वार्षिक कार्य योजना

	उपाय (सुझाए गए)	लक्ष्य (सुझाए गए)	जवाबदेह एजेंसी	निगरानी संकेतक
	1. अपराध प्रवण पॉकेटों/वृद्धजनों की आबादी वाले स्थानों की पहचान करना।	ऐसे सभी क्षेत्रों की पहचान मई, 2008 तक कर ली जाए।	जिला का पुलिस अधीक्षक	प्रत्येक जिला से रिपोर्ट 31 मार्च, 2008 तक प्राप्त हुई।
	2. वृद्धजनों की सुरक्षा एवं संरक्षा के बारे में पुलिस कार्मिकों हेतु सुग्राहीकरण कार्यशालाएं।	प्रत्येक जिला द्वारा वर्ष 2008-09 में कम से कम दो ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करना लेकिन प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक	जिला का पुलिस अधीक्षक	जिलावार आयोजित कार्यशालाओं की संख्या
	3. (क) प्रत्येक पुलिस थाने के अंतर्गत वृद्धजनों (स्वयं या दम्पत्ति के साथ अकेले रहते हुए) और अभिज्ञात अपराध प्रवण क्षेत्रों का पंजीकरण करना। (ख) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा थानों में वृद्धजनों से संबंध रजिस्टरों का आवधिक रूप से निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।	पंजीकरण का कार्य 2008 तक पूरा किया जाना है।	थाना प्रभारी थाना प्रभारी से ऊपर किसी भी स्तर का।	पुलिस स्टेशन में पूर्ण सूची की उपलब्धता। जिलावार किए गए निरीक्षणों की संख्या।
	4. (क) अकेले रहने वाले वृद्धजनों की रिहायशी क्षेत्रों में समुदाय/एनजीओ के सदस्य के साथ बीट स्टॉफ का नियमित दौरा। (ख) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा आवधिक रूप से अकेले रहने वाले वृद्धजनों के साथ अंतःसंपर्क भी करना।	सप्ताह में कम से कम एक बार दौरा करना। छह माह पर बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।	बीट कांस्टेबल थाना प्रभारी तथा उसके ऊपर का अधिकार।	प्रत्येक पुलिस थाने के अंतर्गत किए गए दौरों की संख्या। जिलावार की गई बैठकों की संख्या।
	5. वृद्धजनों की संरक्षा एवं सुरक्षा की निगरानी करने तथा उनसे तालमेल करने के लिए राज्य एवं जिला पुलिस मुख्यालयों में वरिष्ठ नागरिक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करना।	राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ तथा असुरक्षित जिलों में प्रकोष्ठों की वर्ष 2008-09 में स्थापना करना।	पुलिस महानिदेशक पुलिस अधीक्षक	राज्य तथा जिला स्तर पर स्थापित किए गए प्रकोष्ठ

	6. 24x7 वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क हेल्प लाइन की स्थापना करना (पुलिस महानिदेशक द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की आबादी के आधार पर अपेक्षित हेल्प लाइनों की संख्या निर्धारित किया जाना)।	वर्ष 2008-09 में राज्य मुख्यालय स्तर पर निःशुल्क हेल्प लाइनों की स्थापना करना।	पुलिस महानिदेशक	स्थापित किए गए निःशुल्क हेल्प लाइन।
	7. वृद्धजनों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में समुदाय नीति-निर्धारण कार्यक्रमों की स्थापना करना।	जिले के दो सर्वाधिक असुरक्षित क्षेत्रों में कार्यक्रम स्थापित करना।	पुलिस अधीक्षक	स्थापित किए गए समुदाय नीति कार्यक्रमों की संख्या
	8. वृद्धजनों के लिए करें तथा न करें दिशा-निर्देश जारी करना जिनका गृह सुरक्षा उपायों हेतु उनके द्वारा अनुपालन किया जाना है, जब नौकरों की नियुक्ति करनी हो, जब विक्रेताओं से बातचीत करनी हो, जब बाजार के लिए बाहर जाना हो, जब बैंक जाना हो इत्यादि तथा दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी वितरित करना तथा/या मीडिया के माध्यम से इसके बारे में विज्ञापन जारी करना।	जून, 2008 तक दिशा-निर्देश जारी करना और जिले के सर्वाधिक असुरक्षित क्षेत्रों में उन्हें परिचालित करना।	पुलिस महानिदेशक पुलिस अधीक्षक	जारी दिशा-निर्देश उन क्षेत्रों का ब्यौरा जहां लक्ष्य समूहों को जानकारी वितरित की गई।
	9. पुलिस हेल्प लाइनों के बारे में वृद्धजनों के लिए सुग्रहीकरण कार्यक्रम आयोजित करना। करें-मत करें दिशा-निर्देश जारी करना। उनके लिए विशेष रूप से विधिक सहायता सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराना।	प्रत्येक जिला में कम से कम एक कार्यक्रम आयोजित करना।	पुलिस अधीक्षक	वर्ष में आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
	10. इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त प्रख्यात गैर-सरकारी संगठनों की पहचान करना तथा जब कभी-भी आवश्यक हो उनके साथ परामर्श और तालमेल स्थापित करना।	जून, 2008 तक अभिज्ञात गैर-सरकारी संगठन तथा महीने में एक बार आयोजित अंतः संपर्क बैठकें।	पुलिस अधीक्षक	ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की उपलब्धता तथा उनके साथ किए गए अंतः संपर्कों की संख्या।
	11. थाना प्रभारी द्वारा नियमित रूप से वृद्धाश्रमों, यदि कोई उनके क्षेत्राधिकार में हो, का दौरा करना तथा उनमें रहने वाले व्यक्तियों की समस्याओं से अवगत होना।	महीना में कम से कम एक दौरा करना।	थाना प्रभारी	महीने में किए गए दौरों की संख्या।
	12. उत्पीड़न, धोखा तथा उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों इत्यादि के बारे में वृद्धजनों द्वारा की गई शिकायतों पर तुरंत उपस्थित होना।	शिकायत के आधार पर सबसे कम संभावित समय	सभी स्तर	प्राप्त शिकायतों की संख्या और संतोषजनक निपटान में लगा समय।
	13. वृद्धजनों की शिकायतें या उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की	प्रति तिमाही एक निरीक्षण	थाना प्रभारी से ऊपर स्तर का कोई।	किए गए निरीक्षणों की संख्या।

	शिकायतों के मामले की जांच की प्रगति का आवधिक रूप से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करना।			
	14. राज्य/जिला स्तर पर प्रख्यात वरिष्ठ नागरिकों की सलाहकारी निकाय की स्थापना करना जो आवधिक रूप से वृद्धजनों की संरक्षा एवं सुरक्षा के बारे में पुलिस से अंतः संपर्क करना।	सितंबर, 2008 तक सलाहकारी निकाय स्थापित करना।	पुलिस महानिदेशक	थानों में ऐसे निकायों की संख्या।

अनुबंध-III

फा.सं.15011/129/2010-एससी/एसटी प्रकोष्ठ
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(केंद्र राज्य प्रभाग)

***

नई दिल्ली, दिनांकः 30 अगस्त, 2013

सेवा में

1) **सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव**
2) **दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप के प्रशासक**

विषयः वरिष्ठ नागरिकों की जानमाल की संरक्षा।

महोदय,

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी), 1999 के कार्यान्वयन के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा पहले दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 को एक परामर्शिका भेजी गई थी। इस परामर्शिका में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वरिष्ठ नागरिकों (अर्थात 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति) के जानमाल का पूर्णरूपेण संरक्षण किया जाता है।

2. विगत दशकों में वृद्धजनों की देखभाल करने हेतु परिवार का सहायक तंत्र और युवाओं की जवाबदेही में कुछ सामाजिक परिवर्तनों की वजह से कमी आयी है जैसे युवाओं का प्रवाह, निम्न प्रजनन स्तर, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और एकल परिवार का अस्तित्व में आना इत्यादि। चार महानगरों के बारे में बी पी आर एंड डी द्वारा कराए गए अध्ययन (सितंबर, 2009) में यह बताया गया कि वृद्धजनों को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करने में कई तरह की समस्याएं हैं। संशोधित राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 2011 (एनपीएससी, 2011) में वृद्धजनों से संबंधित मुद्दों के बारे में एक नया दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धावस्था के बारे में एक राष्ट्रीय सम्मेलन इस संबंध में दिनांक 06-07 नवंबर, 2012 को आयोजित की गई थी। विचार-विमर्श के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के और अधिक प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन हेतु सिफारिशें तैयार की हैं।

4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 को अधिनियमित किया था। इस अधिनियम में यह परिकल्पित किया गया है कि राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिकों की जानमाल को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विहित करेंगी।

5. वृद्धजनों के अपराध के प्रति असुरक्षित रहने को विशेषकर मद्देनजर रखते हुए वृद्धजनों के लिए निम्नलिखित अपराध नियंत्रण उपाय किया जाना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं।

क) **मौजूदा पॉलिसी निर्धारण व्यवस्थाओं की समीक्षा करनाः** प्रत्येक महानगर/राज्य मुख्यालय की पुलिस ढांचे की *तत्काल समीक्षा* की जानी चाहिए ताकि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और इसके वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करना के लिए और इसे बेहतर बनाने के लिए पुनः संगठित किया जा सके। इससे वृद्धजनों सहित सभी व्यक्तियों की सुरक्षा में स्वतः सुधार हो जाएगा। फिलहाल, महानगरों/राज्य मुख्यालयों के थानों में पुलिस पर काफी कार्य का दबाव है। पुलिस मुख्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय अपेक्षाओं के संदर्भ में वृद्धजनों के संरक्षण हेतु प्रत्येक थाने में एक सुरक्षा योजना है, जिसका नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ रात और दिन दोनों समय के दौरान पेट्रोलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिस को इस योजना को प्रवृत्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त प्रकार्यात्मक तथा पर्यवेक्षणात्मक स्टॉफ की उपलब्धता कराई जानी चाहिए। पुलिस को वृद्धजनों के बारे में डाटा

बेस रखना चाहिए और इसका नियमित रूप से अद्यतन करना चाहिए तथा वृद्धजनों के लिए उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक प्राप्त करना चाहिए। पुलिस कार्मिकों को वृद्धजनों की देखभाल करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा पुनः उन्मुख बनाना चाहिए। सुरक्षा और प्लेसमेंट एजेंसियों का भी सहयोग लेना चाहिए और उन्हें इस बाबत प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे वृद्धजनों की देखभाल करने हेतु कुशल गार्डों एवं घरेलू सेवकों की उपलब्धता करा सकें। उनकी सुरक्षा दृष्टि से क्लियरेंश दी जानी चाहिए ताकि धनी वरिष्ठ नागरिक, जिनकी असुरक्षा का खतरा अधिक है, को योग्य एवं विश्वसनीय व्यक्तिगत तथा सुरक्षा स्टॉफ प्राप्त हो सके। पुलिस को सेवकों, ड्राइवरों, अन्य घरेलू सेवकों तथा किरायेदारों के संबंध में पूर्व जानकारी के सत्यापन हेतु विशेष मुहिम आयोजित करना चाहिए। महानगर/राज्य मुख्यालय के प्रत्येक जिला पुलिस कार्यालय तथा प्रत्येक पुलिस मुख्यालय में एक वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ होना चाहिए और निःशुल्क हेल्प लाइन की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही, एक अंतः संपर्क वेबसाइट होनी चाहिए जिससे कि वो आसानी से अंतः संपर्क कर सकें। जब कभी भी वृद्धजनों के विरोध, अपराध की गंभीर घटनाएं घटित हों, हुई चूकों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जांच आयोजित किए जाने चाहिए और इन जांचों के परिणाम के आलोक में विशेष उपचारी उपाय/कार्रवाई आरंभ की जानी चाहिए/की जानी चाहिए। साथ ही, पुलिस कार्मिक तथा पुलिस के सदस्य, जो वृद्धजनों के विरुद्ध होने वाले अपराध की रोकथाम करने और इसकी संसूचना देने में मदद करते हैं, को अच्छा पुरस्कार/सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए।

ख) **समुदाय नीति-निर्धारण का सुदृढ़ीकरणः** पुलिस-जनता के बीच संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के बारे में पुलिस में पंजीकरण कराने, बीट पुलिस सिस्टम का सुदृढ़ीकरण करने, बीट कांस्टेबलों का और अधिक दौरा करने, पुलिस पेट्रोल वाहनों तथा स्थानीय समुदायों से स्वयं सेवकों, अकेले अथवा दंपति के साथ रहने वाले व्यक्तियों के लिए जिन्हें विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में नामांकित किया गया है, पैदल रात और दिन दोनों समय पेट्रोलिंग करने इत्यादि जैसे मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। पुलिस और क्षेत्र विशेष में रहने वाले निवासियों यथा संभव अधिक अंतः संपर्क होने चाहिए। पुलिस समुदाय अंतः संपर्क समूहों की स्थापना कर सकती है। जो उन स्वंय सेवकों को संगठित कर सकते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों से नियमित रूप से मिल सकें, उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें तथा उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रह सकें। पड़ोस निगरानी योजनाएं स्थापित की जा सकती हैं जिनमें आरडब्ल्यूए, वरिष्ठ नागरिक कल्याण एशोसिएसन, वरिष्ठ नागरिक पड़ोस सोसाइटियां शामिल हो सकती हैं तथा पड़ोस निगरानी योजनाओं को बना सकती हैं और उन्हें लागू कर सकती हैं।

ग) **रेजीडेंट वेलफेयर एशोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को तैनात करनाः** सुरक्षोपायों के बारे में लोगो/आरडब्ल्यूए को सुग्राहीकृत करना आवश्यक है। आरडब्ल्यूए वरिष्ठ नागरिकों से संबंद्ध छोटे-छोटे विवादों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। वे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित मामलों के बारे में पुलिस परामर्शिकाओं का अनुसरण करने, घरेलू सेवक तथा किरायेदारों की पूर्व जानकारी का सत्यापन कराने तथा पुलिस के साथ उसका पंजीकरण कराने के बारे में राजी कर सकती हैं और वे वरिष्ठ नागरिकों को अपनी समस्याओं को परस्पर रूप से समाधान करने के लिए अपना स्वंय का समूह संगठित करने में उनकी मदद कर सकती हैं। आरडब्ल्यूए बेहतर स्थानीय क्षेत्र सुरक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। वे बाहरी व्यक्तियों जैसे नियमित कामगारों, विक्रेताओं, व्यापारियों के वृद्धजनों के परिसरों में प्रवेश को और अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित कर सकते हैं। आरडब्ल्यूए सुरक्षा जांच किए गए बिजली मिस्त्रियों, नलसाजों तथा अन्य ट्रेइसमैन को उनके परिसरों में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक पैनल बना सकते हैं और वृद्धजनों के परिसरों में घरों में विश्वसनीय घरेलू सेवक उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत प्रतिष्ठानों/प्लेसमेंट एजेंसियों की व्यवस्था कर सकती हैं।

घ) **स्व सहायता समूहों की स्थापनाः** आम जनता, आरडब्ल्यूए, एनजीओ, यूथ क्लब तथा महिला समूहों के सदस्यों की प्रेरणा से वरिष्ठ नागरिकों को डाक्टर, वकील, सुरक्षा विशेषज्ञों इत्यादि जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों का अपना समूह/संगठन बनाने में सुविधा प्राप्त होगी ताकि उनकी अपनी विशेषज्ञता उन्हें

अपनी समस्याओं को परस्पर रूप से समाधान करने में उपयोगी हो सके और अकेले रहने वाले नागरिकों को भावनात्मक सहायता प्राप्त हो सके। राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए वरिष्ठ नागरिक समूहों/संगठनों को आंशिक रूप से वित्त पोषण कर सकती हैं।

ङ.) **व्यापक जागरुकता की आवश्यकता:** वृद्धजनों के लिए साक्षरता कार्यक्रमों को आरंभ किए जाने की आवश्यकता है जिससे उनके शोषण की आशंका कम होगी। इससे उन्हें अपने अधिकारों से संबंधित ज्ञान को सुदृढ़ करने, अपने अधिकारों एवं सुविधाओं की अभिगम्यता प्राप्त करने, भेदभाव से निजात पाने में सक्षमता प्राप्त करने में तथा उपयुक्त करें या मत करें दिशा-निर्देशों के माध्यम से हिंसा का विरोध करने की सक्षमता प्राप्त करने में सुविधा भी होगी। वृद्धजनों की जीवन एवं सुरक्षा से संबंधित संगत सूचना एवं शिक्षा सामग्री (आईईसी) तैयार की जानी चाहिए तथा इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित करके इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। विद्यालय के पाठ्यक्रमों में उन सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए जिनमें संवेदनशीलता और जीवन मूल्य समाहित हों, जो वृद्धजनों की देखभाल एवं आदर करने के लिए उपयुक्त सोच को बढ़ावा दें तथा वृद्धजनों को देखभाल एवं भावनात्मक सहायता प्राप्त करने का कौशल विकसित करे तथा युवा पीढ़ी में उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में सहायक हो।

7. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऊपर उल्लिखित उपायों तथा कोई अतिरिक्त उपाय जो वृद्धजनों के विरुद्ध अपराध के प्रति प्रभावी प्रबंधन करने के लिए अपेक्षित हो, को अपनाने पर विचार करें। इस परामर्शिका के अनुबंध में एक टेम्पलेट कार्य योजना की निगरानी हेतु दी गई है जिसके लिए सूचना तिमाही आधार पर भेजी जाए। की गई कार्रवाई के बारे में कृपया सूचना दी जाए। कृपया पत्र की पावती दें।

भवदीय,

(एस सुरेश कुमार)
संयुक्त सचिव (सीएस)
टेलीफैक्स:23438100
ई-मेल: jsc@nic.in

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु की प्रति प्रेषित:

i सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रधान सचिव/सचिव (गृह)
ii सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के महानिदेशक
iii महानिदेशक बीपीआरएण्डडी
iv सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अनुबंध-IV

कार्य योजना की निगरानी
वृद्धजनों की संरक्षा एवं सुरक्षा

क्र.सं.	उपाय (सुझाए गए)	निगरानी संकेतक (तिमाही रूप से दर्शाए जाने वाले)
1.	अपराध प्रवण पॉकेटों/वृद्धजनों की आबादी वाले स्थानों की पहचान करना।	तिमाही की अंतिम तिथि तक पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों की सूची के लिए। सूचना कृपया **प्रारूप क** में प्रदान की जाए।
2.	वृद्धजनों की सुरक्षा एवं संरक्षा के बारे में पुलिस कार्मिकों हेतु सुग्राहीकरण कार्यशालाएं।	तिमाही में विभिन्न जिलों द्वारा आयोजित की गई कार्यशाला की संख्या दर्शाई जाए।
3.	(क) प्रत्येक पुलिस थाने के अंतर्गत वृद्धजनों (स्वयं या दम्पति के साथ अकेले रहते हुए) और अभिज्ञात अपराध प्रवण क्षेत्रों का पंजीकरण करना।	पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों की पुलिस थानावार सूची (तिमाही की अंतिम सूची तक) **प्रारूप ख** में प्रदान की जानी है।
	(ख) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा थानों में वृद्धजनों से संबंध रजिस्टरों का आवधिक रूप से निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।	जिलावार किए गए निरीक्षणों की संख्या निम्नलिखित है:
4.	(क) अकेले रहने वाले वृद्धजनों की रिहायशी क्षेत्रों में समुदाय/एनजीओ के सदस्य के साथ बीट स्टॉफ का नियमित दौरा।	प्रत्येक पुलिस थाने के अंतर्गत किए गए दौरों की संख्या **प्रारूप ग** में दी गई है।
	(ख) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा आवधिक रूप से अकेले रहने वाले वृद्धजनों के साथ अंतःसंपर्क भी करना।	अंतिम तिमाही में जिला/जोनवार आयोजित बैठकों की संख्या निम्नलिखित है:
5	वृद्धजनों की संरक्षा एवं सुरक्षा की निगरानी करने तथा उनसे तालमेल करने के लिए राज्य एवं जिला पुलिस मुख्यालयों में वरिष्ठ नागरिक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करना।	अधिसूचना की तिथि तथा वह तिथि कार्य आरंभ किए गए।
6.	24x7 वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क हेल्प लाइन की स्थापना करना (पुलिस महानिदेशक द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की आबादी के आधार पर अपेक्षित हेल्प लाइनों की संख्या निर्धारित किया जाना)।	निःशुल्क नम्बर आरंभ किया गया तथा कॉल आउटकम दिया जा सका।
7.	वृद्धजनों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में समुदाय नीति-निर्धारण कार्यक्रमों की स्थापना करना।	आरंभ किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा तथा उनके कार्यकलाप दिए जा सकें।
8.	वृद्धजनों के लिए करें तथा न करें दिशा-निर्देश जारी करना जिनका गृह सुरक्षा उपायों हेतु उनके द्वारा अनुपालन किया जाना है, जब नौकरों की नियुक्ति करनी हो, जब विक्रेताओं से बातचीत करनी हो, जब बाजार के लिए बाहर जाना हो, जब बैंक जाना हो इत्यादि तथा दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी वितरित करना तथा/या मीडिया के माध्यम से इसके बारे में विज्ञापन जारी करना।	पुलिस को इसे जारी करना चाहिए तथा अपने वेबसाइटों तथा मीडिया अंतःसंपर्क के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना चाहिए। करें तथा मत करें जारी किए जाने की स्थिति।
9.	पुलिस हेल्प लाइनों के बारे में वृद्धजनों के लिए सुग्रहीकरण कार्यक्रम आयोजित करना। करें-मत करें दिशा-निर्देश जारी	पिछली तिमाही में जिला/जोनवार आयोजित बैठकों की संख्या निम्नलिखित है:

	करना। उनके लिए विशेष रूप से विधिक सहायता सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराना।	
10.	इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त प्रख्यात गैर-सरकारी संगठनों की पहचान करना तथा जब कभी-भी आवश्यक हो उनके साथ परामर्श और तालमेल स्थापित करना।	तिमाही में अभिज्ञात गैर-सरकारी संगठनों की संख्या और उनके कार्यकलाप।
11.	थाना प्रभारी द्वारा नियमित रूप से वृद्धाश्रमों, यदि कोई उनके क्षेत्राधिकार में हो, का दौरा करना तथा उनमें रहने वाले व्यक्तियों की समस्याओं से अवगत होना।	वृद्धाश्रमों को किए गए दौरों की संख्या।
12.	उत्पीड़न, धोखा तथा उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों इत्यादि के बारे में वृद्धजनों द्वारा की गई शिकायतों पर तुरंत उपस्थित होना।	प्राप्त शिकायतों की संख्या, निपटान किए गए शिकायतों की संख्या, अन्य अधिकारियों को अग्रेषित की गई शिकायतों की संख्या इत्यादि।
13.	वृद्धजनों की शिकायतें या उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की शिकायतों के मामले की जांच की प्रगति का आवधिक रूप से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करना।	अंतिम तिमाही में जिला/जोनवार किए गए निरीक्षणों की संख्या निम्नलिखित है:
14.	राज्य/जिला स्तर पर प्रख्यात वरिष्ठ नागरिकों की सलाहकारी निकाय की स्थापना करना जो आवधिक रूप से वृद्धजनों की संरक्षा एवं सुरक्षा के बारे में पुलिस से अंतः संपर्क करना।	अधिसूचना की तिथि परामर्शी बोर्ड द्वारा आयोजित बैठकों की तिथि।

प्रारूप क

----------की स्थिति के अनुसार ----------में जिला/जोनवार वरिष्ठ नागरिक

क्र.सं.	जिला/जोन	वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या

उम्रवार वरिष्ठ नागरिकों का वर्गीकरण

क्र.सं.	जिला/जोन	वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या

----------की स्थिति के अनुसार ----------जिला/जोन में पुलिस थाना वार वरिष्ठ नागरिक

----------जिला/जोन

क्र.सं.	पुलिस थाना	वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या

प्रारूप ग

----------की स्थिति के अनुसार ----------जिला/जोन में वरिष्ठ नागरिकों से बीट स्टॉफ द्वारा किए गए दौरे का पुलिस थानेवार ब्यौरा

----------जिला/जोन

क्र.सं.	पुलिस थाना	वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या	बीट कांस्टेबलों का दौरा

परिशिष्ट - आठ

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 835

उत्तर देने की तारीख: 07.02.2017

वरिष्ठ नागरिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएं

835. **श्री धर्मेन्द्र यादवः**
श्री आनंदराव अडसुलः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
श्री विनायक भाऊराव राऊतः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक और प्रतिशत के संदर्भ में राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत योजना-वार कितनी राशि आवंटित की गई और कितना व्यय है;

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण के संबंध में जागरूकता फैलाने, वरिष्ठ नागारिकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों की हेल्पलाइन की स्थापना करने, वृद्धों हेतु राष्ट्रीय न्यास बनाने और वरिष्ठ ना०रिकों हेतु राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन पर कोई राशि खर्च नहीं का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री विजय साम्पला)

(क): जनगणना 2011 के अनुसार तथा भारत के महापंजीयक की वेबसाइट (http://www.censusindia.gov.in/2011census/C-series/C-14.html) पर उपलब्ध आंकड़ा से यथा संगृहीत, देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या के संबंध में पूर्ण रूप से और प्रतिशत के रूप में राज्य-वार आंकड़ा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): यह मंत्रालय एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम (आईपीओपी) संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों, मोबाइल मेडिकेयर यूनिटों, वृद्ध विधवाओं के लिए बहु सुविधा देखभाल केन्द्रों आदि के संचालन और रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी सुविधाएं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर आदि प्रदान करके वृद्धजनों के जीवन-स्तर में सुधार लाना है। इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र क्रियान्वयन एजेंसियां हैं, नामत: पंचायती राज संस्थाएं/स्थानीय निकाय, गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन, सरकार द्वारा स्वायत्त/अधीनस्थ निकायों के रूप में स्थापित संस्थाएं या संगठन, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान, धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम और मान्यता प्राप्त युवा संगठन जैसे नेहरु युवक केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) और अपवाद मामलों में राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन। वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 (25.01.2017 तक) के दौरान आईपीओपी की योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	आवंटन (करोड़ रुपए में)	जारी निधि (करोड़ रुपए में)
2016-17 (25.01.2017 तक)	37.00	29.36
2015-16	55.00	27.58
2014-15	50.00	14.99
2013-14	50.00	15.56

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्धजनों की स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान "राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम" (एनपीएचसीई) शुरू किया था। एनपीएचसीई का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अभिज्ञात चिकित्सा संस्थाओं में क्षेत्रीय जराचिकित्सा केन्द्रों के रूप में जराचिकित्सा विभाग की स्थापना करना और राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के माध्यम से जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) और उप केन्द्र स्तर पर समर्पित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं :-

- क्षेत्रीय जरा चिकित्सा केन्द्रों (आरजीसी) में जरा चिकित्सा ओपीडी, भर्ती रोगियों की देखभाल आदि के लिए 30 बिस्तर वाला जरा चिकित्सा वार्ड।
- जिला अस्पतालों में जरा चिकित्सा ओपीडी तथा 10 बिस्तर वाला जरा चिकित्सा वार्ड।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) में सप्ताह में दो बार जरा चिकित्सा क्लीनिक।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में साप्ताहिक जरा चिकित्सा क्लीनिक।

- उपकेन्द्रों में सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराना।

इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय कार्यक्रम के तीसरे संघटक के अंतर्गत, दो राष्ट्रीय वृद्धजन केन्द्र - एक एम्स अंसारी नगर, नई दिल्ली में और दूसरा मद्रास मेडिकल कालेज, चेन्नै में, विकसित करने के कार्य में सहायता प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-II** तथा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। आईजीएनओएपीएस के लिए पात्रता हेतु आयु 60 वर्ष है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (बीपीएल) के लिए तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार, 60-79 वर्ष के व्यक्तियों के लिए पेंशन 200 रुपए प्रतिमाह है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	आवंटित/जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
2016-17 (आज की तारीख तक)	4751.61
2015-16	5562.69
2014-15	4180.98

(ग) और (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक की सिफारिशों के अनुसार, आईपीओपी की पहले से मौजूदा योजना के विभिन्न संघटकों के साथ निम्नलिखित योजनाओं को मिला दिया गया था :-

i) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के लिए जागरूकता का सृजन।
ii) राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन की स्थापना।
iii) जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन की स्थापना।
iv) नई राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति के कार्यान्वयन संबंधी योजना।

और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव के मद्देनजर "राष्ट्रीय वृद्धजन न्यास की स्थापना" संबंधी योजना को छोड़ दिया गया था और मौजूदा राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद को सुदृढ़ करने संबंध प्रस्ताव के मद्दे नजर "राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक आयोग

की स्थापना" संबंधी योजना को छोड़ दिया गया था। अत: वर्ष 2016-17 में उपर्युक्त योजनाओं पर कोई राशि व्यय करने का कोई प्रश्न ही नही उठता है।

(ड.): वृद्धजनों की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करते हुए, वर्ष 1999 में मौजूदा राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) की घोषणा की गई थी। पिछले दशक के दौरान जनसांख्यिकी पैटर्न, वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं, सामाजिक मूल्य प्रणाली में परिवर्तन होने और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति के मद्दे नजर, एनपीओपी-1999 के स्थान पर एक नई वरिष्ठ नागरिक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अनुबंध -I

दिनांक 07.02.2017 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 835 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जनगणना 2011 के अनुसार, देश में पूर्ण रूप से और प्रतिशत रूप से वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जनगणना 2011 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	जनगणना 2011 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों (60+) की कुल जनसंख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिशत
1	जम्मू और कश्मीर	1,25,41,302	9,22,656	7.36
2	हिमाचल प्रदेश	68,64,602	7,03,009	10.24
3	पंजाब	2,77,43,338	28,65,817	10.33
4	चंडीगढ़	10,55,450	67,078	6.36
5	उत्तराखंड	1,00,86,292	9,00,809	8.93
6	हरियाणा	2,53,51,462	21,93,755	8.65
7	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,67,87,941	11,47,445	6.83
8	राजस्थान	6,85,48,437	51,12,138	7.46
9	उत्तर प्रदेश	19,98,12,341	1,54,39,904	7.73
10	बिहार	10,40,99,452	77,07,145	7.40
11	सिक्किम	6,10,577	40,752	6.67
12	अरुणाचल प्रदेश	13,83,727	63,639	4.60
13	नागालैंड	19,78,502	1,02,726	5.19
14	मणिपुर	28,55,794	2,00,020	7.00
15	मिजोरम	10,97,206	68,628	6.25
16	त्रिपुरा	36,73,917	2,89,544	7.88
17	मेघालय	29,66,889	1,38,902	4.68
18	असम	3,12,05,576	20,78,544	6.66
19	पश्चिम बंगाल	9,12,76,115	77,42,382	8.48
20	झारखंड	3,29,88,134	23,56,678	7.14
21	ओडिशा	4,19,74,218	39,84,448	9.49
22	छत्तीसगढ़	2,55,45,198	20,03,909	7.84
23	मध्य प्रदेश	7,26,26,809	57,13,316	7.87
24	गुजरात	6,04,39,692	47,86,559	7.92
25	दमन और दीव	2,43,247	11,361	4.67
26	दादरा और नागर हवेली	3,43,709	13,892	4.04
27	महाराष्ट्र	11,23,74,333	1,11,06,935	9.88
28	आंध्र प्रदेश	8,45,80,777	82,78,241	9.79
29	कर्नाटक	6,10,95,297	57,91,032	9.48
30	गोवा	14,58,545	1,63,495	11.21
31	लक्षद्वीप	64,473	5,270	8.17
32	केरल	3,34,06,061	41,93,393	12.55
33	तमिलनाडु	7,21,47,030	75,09,758	10.41
34	पुडुचेरी	12,47,953	1,20,436	9.65
35	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,80,581	25,424	6.68
		1,21,08,54,977	10,38,49,040	8.58

टिप्पणी :- तेलंगाना राज्य की जनसंख्या अविभक्त आंध्र प्रदेश राज्य की जनसंख्या में शामिल है।

अनुबंध-II

दिनांक 07.02.2017 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 835 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

योजना का नाम :				वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम					
									करोड़ रुपए में
		2013-14		2014-15		2015-16*		2016-17*	
क्रम सं.	राज्य का नाम	आवंटन/ निर्मुक्ति	उपयोग	आवंटन/ निर्मुक्ति	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0	1.21	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.01	0.00	0.00	17.66	0	17.49	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81	0	7.81	0.02
4	असम	0.00	1.29	1.42	0.54	44.44	1.18	44.44	0.94
5	बिहार	0.00	0.83	1.50	0.84	36.43	0.18	36.08	0.05
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0	0.42	0.00
7	छत्तीसगढ़	0.51	1.21	0.99	1.27	14.99	0.26	14.85	1.17
8	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.15	1.09	0.13
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.24	0.00	0.47	0	0.78	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0	6.72	0.00
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0	0.46	0.00
12	गुजरात	0.00	1.00	2.16	2.31	21.53	1.91	21.32	1.02
13	हरियाणा	0.00	1.34	0.78	0.49	7.67	0.68	7.6	0.39
14	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.19	0.12	0.68	6.55	0.47	6.48	0.16
15	जम्मू और कश्मीर	0.00	1.27	0.00	0.85	14.73	0.91	14.59	0.37
16	झारखंड	0.00	0.18	1.11	0.56	15.26	0	15.11	0.32
17	कर्नाटक	0.00	1.58	1.71	0.16	21.56	0.92	21.34	0.63
18	केरल	0.00	1.23	1.50	7.50	9.33	0.76	9.24	1.28
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.96	0.11	0.12	0.25	0.21	0.004
20	मध्य प्रदेश	0.00	2.37	2.15	0.82	35.75	1.05	35.4	0.24
21	महाराष्ट्र	0.00	1.45	2.04	2.39	38.05	1.86	37.68	0.32
22	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.60	5.00	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31	0	5.31	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00	1.19	0.00	2.85	0.07	2.85	0.25
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0	3.66	0.00
26	ओडिशा	- 0.34	3.54	1.16	1.41	19.74	0.81	19.55	0.43
27	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0	0.52	0.001
28	पंजाब	0.00	1.71	1.11	0.48	8.43	0.82	8.35	0.02
29	राजस्थान	0.00	0.64	0.87	0.86	36.05	8.26	35.7	3.42
30	सिक्किम	0.31	0.43	0.44	0.00	1.27	0.51	1.27	0.09
31	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.004	0.00	21.66	0	21.45	0.00
32	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0	5.32	0.00
33	उत्तर प्रदेश	0.00	1.89	0.00	0.00	72.51	6.28	71.81	2.59
34	उत्तराखंड	0.00	0.94	0.00	0.11	8.99	0	8.9	0.00
35	पश्चिम बंगाल	0.00	0.89	1.50	0.19	25.09	0.24	24.85	0.12
36	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	0	12.5	0.00
	कुल	**1.16**	**23.99**	**22.95**	**21.57**	**527.33**	**28.17**	**527.36**	**13.97**

टिप्पणी : * वर्ष 2015-16 से एनएचएम द्वारा एनसीडी फ्लैक्सीबल पूल के अंतर्गत पांच कार्यक्रमों के लिए निधियां आवंटित की गई थी तथा व्यय सिर्फ एनपीएचसीई से संबंधित है।

दिनांक 07.02.2017 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 835 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

योजना का नाम :				वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम					
									करोड़ रुपए में
		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
क्रम सं.	संस्था का नाम	आवंटन/ निर्मुक्ति	उपयोग	आवंटन/ निर्मुक्ति	उपयोग	आवंटन/ निर्मुक्ति	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार उपयोग	आवंटन/ निर्मुक्ति	30.09.2016 की स्थिति के अनुसार उपयोग
	आजीजी								
1	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम, केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बीएचयू, उत्तर प्रदेश	0.00	0.09	0.00	0.52	0.00	0.37	1.25	0.16
3	गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी, असम	0.00	1.23	0.00	0.71	0.00	0.56	0.88	0.33
4	एस.एन. मेडिकल कालेज जोधपुर, राजस्थान (इंस्टीट्यूट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.46
5	मद्रास मेडिकल कालेज, चेन्नै, तमिलनाडु	0.00	2.76	0.00	0.05	0.50	0.07	0.50	0.00
6	ग्रान्ट्स मेडिकल कालेज एंड जेजे हास्पिटल, मुम्बई, महाराष्ट्र	0.00	1.53	0.00	0.54	0.50	0.27	0.00	0.00
7	शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	0.00	0.65	0.00	0.30	0.50	0.00	0.00	0.00
8	आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स), नई दिल्ली	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.47	0.00
10	कोलकाता मेडिकल कालेज, कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.47	0.00
11	निजाम'स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.0	1.00	0.00	2.47	0.00
12	एस.सी.बी. मेडिकल कालेज, कटक	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.47	0.00
13	किंग जार्ज'स मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.47	0.00
14	राजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00
15	बंगलौर मेडिकल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलुरु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00
16	बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
17	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नागपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18	अगरतला मेडिकल कालेज, अगरतला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00
19	पटना मेडिकल कालेज, पटना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20	राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
	उप योग	0.00	6.90	0.00	2.12	7.00	1.27	30.39	0.95
	नेशनल सेन्टर फॉर एजिंग (एनसीए)								
21	मद्रास मेडिकल कालेज, चेन्नै	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	19.97
22	आल इंडियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	21.00	
	उप योग	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	41.00	19.97

परिशिष्ट - III

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3518
उत्तर देने की तारीख: 08.08.2017

राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति

3518. **श्री राजू शेट्टी:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति, 2011 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई समिति बनाई गई है;
(ख) यदि हां, तो इस समिति की क्या संरचना है;
(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;
(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय साम्पला)

(क) और (ख) : सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999 की समीक्षा करने तथा एक नई राष्ट्रीय वृद्धजन नीति का मसौदा तैयार करने के लिए श्रीमती (डा.) मोहिनी गिरि की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति की संरचना का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : समीक्षा समिति ने 'राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति' के मसौदे सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसमें 'अपने घर में ही वृद्धजनों' को रखने, अंतिम उपाय के रूप में संस्थागत देखभाल, वृद्ध महिलाओं का कल्याण, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्ति, बाधा रहित आयु-अनुकूल समाज, दीर्घावधिक बचत लिखत, आय सर्जक कार्य-कलाप, प्रौद्योगिकीय प्रगति, इत्यादि शामिल हैं।

(ङ.) : विगत दशक के दौरान बदलते हुए जनसांख्यिकीय पैटर्न, वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं, सामाजिक मूल्य प्रणाली और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के मद्देनजर एनपीओपी, 1999 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नई राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

******

अनुबंध

'राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति' के बारे में दिनांक 8.8.2017 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3518 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999 की समीक्षा करने हेतु वर्ष 2010 में सरकार द्वारा गठित की गई समिति की संरचना

डा. (श्रीमती) मोहिनी गिरि	अध्यक्ष
श्री एम.एम. सभरवाल	सदस्य
श्री के.आर. गंगाधरन	सदस्य
डा. (सुश्री) शीलू श्रीनिवासन	सदस्य

निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि:

1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
2) ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
3) वित्त मंत्रालय	सदस्य
4) गृह मंत्रालय	सदस्य
5) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य

सचिव, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार	सदस्य
सचिव, समाज कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
सचिव, समाज कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
सचिव, समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
सचिव, समाज कल्याण विभाग, असम सरकार	सदस्य

संयुक्त सचिव (समाज रक्षा), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य सचिव

*****

परिशिष्ट – दस

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 596
उत्तर देने की तारीख: 06.02.2018

राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति

596. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की समाजार्थिक आवश्यकताओं, सामाजिक मानवीय मूल्य प्रणाली, बदलते जनांकिकीय पैटर्न के आलोक में नई राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति तैयार/लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण हेतु क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय साम्पला)

(क): जी, हां। विगत दशक में बदलते जनसांख्यिकी प्रतिमान, बढ़ती उम्र में महिलाओं की अत्यधिक सक्रियता, वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं, सामाजिक मूल्य तंत्र, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उन्नति को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) इस समय संशोधनाधीन है।

(ख) से (ग): राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) का नाम बदलकर राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति (एनपीएसआरसी) कर दिया गया है। मसौदा एनपीएसआरसी में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दों को मुख्य धारा में लाना, समावेशी बाधामुक्त तथा वृद्धावस्था अनुकूल वातावरण सृजित करना, 'एजिंग इन प्लेस' की अवधारणा को बढ़ावा देना, वृद्धों में सबसे वृद्ध तथा वृद्ध महिलाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना वरिष्ठ नागरिकों को उपेक्षा, दुर्व्यवहार अथवा शोषण से संरक्षित करना, स्वास्थ्य देखभाल और सहायता, आश्रय, वित्तीय स्वतंत्रता इत्यादि प्रदान करने की व्यवस्था है। इस तथ्य के आलोक में कि इस नीति में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के विभिन्न पहलु शामिल हैं, इसलिए इसको शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(घ): केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मंत्रालय/विभाग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न लाभ/सुविधाएं प्रदान करते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए ऐसे उपायों की एक सूची **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

***

वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार के पहल-कार्य
(जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

1. राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी), 1999

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों के बेहतर जीवन को सुनिश्चित करने की वचनबद्धता को दोहराते हुए जनवरी, 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की घोषणा की गई। इस नीति में वित्तीय एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और वृद्धजनों की अन्य जरूरतों, विकास में समान भागीदारी, दुरुपयोग और शोषण के विरूद्ध संरक्षण तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य का समर्थन परिकल्पित है। मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: लोगों को अपनी और अपने जीवन साथी की वृद्धावस्था हेतु स्वयं व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करना; परिवारों को अपने परिवार के वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना; परिवार द्वारा की जा रही देखभाल में अभिवृद्धि करने के लिए स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों को समर्थ बनाना और सहायता करना; दुर्बल वृद्धजनों की देखरेख और संरक्षण प्रदान करना; वृद्धजनों को स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराना; वृद्धजनों को जराचिकित्सा देखभाल करने वाले और सेवाओं का संगठन करने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं को प्रोत्साहित करना; और सृजनशील एवं स्वतंत्र जीवन जीने में सहायता करने में वृद्धजनों को सहायता पहुंचाने के संबंध में जागरूकता लाना।

विगत दशक में बदलते जनसांख्यिकी प्रतिमान, बढ़ती उम्र में महिलाओं की अत्यधिक सक्रियता, वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता, सामाजिक मूल्य तंत्र, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उन्नति को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) इस समय संशोधनाधीन है।

2. माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों और उनके कल्याण के लिए जरुरत आधारित जीवन निर्वाह सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 को दिसम्बर, 2007 में अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है तथा हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपना अधिनियम है। इस अधिनियम के लाभ विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकता के साथ वरिष्ठ नागरिकों पर भी लागू हैं। इस अधिनियम में निम्नलिखित के लिए प्रावधान है: अधिकरणों के माध्यम से माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों का उनके बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा जीवन-निर्वाह अनिवार्य और न्यायोचित बनाया गया है; रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के

हस्तान्तरण का प्रतिसंहरण; वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग हेतु दण्डात्मक प्रावधान; निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना; और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त मेडिकल सुविधाएं और सुरक्षा। इस अधिनियम को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है। ऐसे राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र, जिन्होंने अधिनियम को अधिसूचित किया है, द्वारा धारा 32 के तहत नियम तैयार करना, धारा 18 के तहत भरण-पोषण अधिकारी की नियुक्ति करना, अधिनियम की धारा 7 और 15 के तहत भरण-पोषण और अपीलीय अधिकरण गठित करना अपेक्षित हैं।

तथापि, एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम का संशोधन सरकार द्वारा गठित शिक्षा और सामाजिक विकास से संबद्ध सचिवों के समूह की अनुशंसा के अनुसरण में, इस मंत्रालय में विचाराधीन है।

3. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद (एनसीएसआरसी)

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के अनुसरण में, 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद का गठन इस नीति के कार्यान्वयन को देखने तथा वृद्धजनों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने और इनका कार्यान्वयन करने में सरकार को सलाह देने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद का पुनर्गठन करके अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद कर दिया गया है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित समस्त मुद्दों पर सलाह देगी। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। परिषद में देश के प्रत्येक क्षेत्र से आने वाले गैर-सरकारी सदस्य होते हैं तथा इसमें 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष परिषद की बैठक होती है।

4. अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन समारोह मनाना (आईडीओपी)

वृद्धजनों विशेष रूप से निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने में लगे प्रख्यात वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं के प्रयासों की सराहना के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई राष्ट्रीय पुरस्कार योजना तैयार की है ताकि सरकार की चिंता और समाज में उनके उचित स्थान को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिकों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता दर्शायी जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना भारत के राजपत्र में 22.01.2013 को अधिसूचित कर दी गई है। वर्ष 2013 के दौरान पहली बार 01 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 'वयोश्रेष्ठ सम्मान' प्रदान किए गए।

वरिष्ठ नागरिक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में देश भर के प्रख्यात अथवा उत्कृष्ट संस्थाओं अथवा संगठनों और व्यक्तियों को वृद्धावस्था के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु सर्वोत्तम संस्था,

वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने तथा जागरूकता सृजन करने हेतु सर्वोत्तम संस्था, वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम जिला पंचायत, वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम शहरी स्थानीय निकाय, माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का क्रियान्वयन करने वाला और वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने वाला सर्वोत्तम राज्य, वरिष्ठ नागरिकों की तंदुरूस्ती एवं कल्याण को बढ़ावा देने वाला निजी क्षेत्र का सर्वोत्तम संगठन और वरिष्ठ नागरिकों की तंदुरूस्ती एवं कल्याण का बढ़ावा देने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वोत्तम संगठन, शतायु, आजीवन उपलब्धि, सर्जनात्मक कला के लिए प्रदान किए जाते हैं।

प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा मीडिया कर्मियों इत्यादि के साथ विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सिविर, अन्तर-पीढ़ी सैर इत्यादि का भी आयोजन करता है।

5. वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना (आईपीओपी)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना (आईपीओपी) संचालित करता है। इस योजना के अंतर्गत, वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केंद्रों और सचल चिकित्सा देखभाल एककों की स्थापना और रखरखाव के लिए सरकारी/गैर सरकारी संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों आदि को परियोजना लागत के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कई नवीन परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। इनमें से कुछ इस प्रकार है:

- राहत देखभाल गृहों तथा सतत देखभाल गृहों का रख-रखाव;
- अल्जाइमर रोग/डिमेंशिया रोगी हेतु दिवा देखभाल केन्द्रों का संचालन;
- वृद्धजनों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक;
- वृद्धजनों के लिए हेल्पलाइन तथा परामर्श केंद्र जिसमें मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तथा जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शामिल है;
- विद्यालयों और महाविद्यालयों के बच्चों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम;
- क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र;
- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 तथा में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति से संबंधित कार्यक्रमों सहित जागरूकता सृजन कार्यक्रम;
- वृद्धसंघ/वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन/स्व-सहायता समूहों का गठन।

इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप/परियोजना इस प्रकार हैं:-

- संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत शामिल वरिष्ठ नागरिकों सहित कम से कम 25 निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, केयर और आवास प्रदान करने के लिए वृद्धाश्रमों का रख-रखाव।

- ग्रामीण, विलग और पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को मेडिकल केयर प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकेयर यूनिटों का रख-रखाव।
- कम से कम 25 वरिष्ठ नागरिकों, जो वृद्धाश्रमों में रहते हैं लेकिन गम्भीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें निरंतर नर्सिंग केयर तथा राहत की आवश्यकता है, के लिए राहत देखभाग गृहों और सतत देखभाल गृहों का रख-रखाव।

6. **राष्ट्रीय वयोश्री योजना - बीपीएल श्रेणी से संबद्ध वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक यंत्रों और जीवन सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराने की योजना।**

वित्त वर्ष 2016-17 में आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य बीपीएल श्रेणी से संबद्ध और बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाली निर्योग्यता/कमजोरी जैसे दिखाई कम पड़ना, सुनाई कम पड़ना, दांतों का क्षय होना तथा चलन विकलांगता से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे जीवन सहायक उपकरण प्रदान करना है जिससे कि वे उत्पन्न होने वाली निर्योग्यता/कमजोरी पर काबू पाते हुए अपने शारीरिक प्रकार्यों को सामान्य रूप से निष्पादित कर सकें। ये जीवन सहायक उपकरण उच्च गुणवत्ता वाले तथा भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप, जहां तक व्यवहार्य हों, होंगे।

यह योजना नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में 01 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ की गई थी। 31 जनवरी, 2018 तक कुल 19 शिविर आयोजित किए गए थे, जिनमें 27368 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के लिए 52,512 उपकरण वितरित किए गए थे।

7. **वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि**

वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वरिष्ठ नागरिकों का पोषण, वृद्ध विधवाओं का कल्याण को बढ़ावा देने संबंधी योजनाएं, वरिष्ठ नागरिकों इत्यादि के लिए वृद्धाश्रम, अल्प प्रवास गृह तथा दिवा-देखभाल गृहों से संबंधित योजनाओं सहित राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के अनुरूप वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के लिए 2016 में वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि की स्थापना की गई थी। यह निधि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नोडल मंत्रालय के रूप में एक अंतर मंत्रालयीय समिति द्वारा प्रशासित होगी। सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंतर मंत्रालयीय समिति के अध्यक्ष होंगे।

वरिष्ठ नागरिकों के मामलों से संबंधित विषयों का काम देखने वाले भारत सरकार मंत्रालयों/विभागों से वरिष्ठ नागरिक के कल्याण के लिए नई और नव-प्रवर्तनकारी योजनाओं के लिए प्रस्ताव अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से वित्त-पोषित, एक केन्द्र क्षेत्र की योजना है। आवीवाई योजना के अंतर्गत, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों जो किसी आयु संबंधी निर्योग्यता/कमजोरी यथा निम्न दृष्टि, श्रवण बाधिता, दंत विहीनता और चलन संबंधी

दिव्यांगता से पीड़ित हैं, को शारीरिक सहायक यंत्र एंव जीवन सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। शारीरिक सहायक यंत्र एवं जीवन सहायक उपकरण अर्थात छड़ी, एल्बो-क्रेचेज, वॉकर/क्रेचेज, ट्राइपॉड्स/क्वेडपॉड्स, श्रवण उपकरण, व्हील चेयर, नकली दांत और चश्मे पात्र लाभार्थियों को दिए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित, 08 विमानपत्तनों पर 30 इलेक्ट्रिक ऑपरेटिड गोल्फ कार्ट्स के प्रापण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी एक परियोजना राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुमोदित कर दी गई है।

8. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी)

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान जो इस मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है, समाज रक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेपों के लिए नोडल प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान है। संस्थान के उद्देश्य भारत सरकार के समाज रक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना और उन्हें तकनीकी इनपुट प्रदान करना है तथा समाज रक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित जनशक्ति संसाधनों को विकसित तथा प्रशिक्षित करना है। यह संस्थान मुख्यतः वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, नशीली दवा दुरुपयोग की रोकथाम तथा भिक्षावृत्ति, ट्रांसजेंडर इत्यादि जैसे अन्य समाज रक्षा के मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। एनआईएसडी समाज रक्षा के क्षेत्र में नीतियों तथा कार्यक्रमों पर परामर्श/सेमिनार भी आयोजित करता है ताकि समाज रक्षा से संबंधित समस्याओं की पहचान की जा सके और इनके रोकथाम, उपचार तथा पुनर्वास के लिए कार्यक्रम विकसित किए जा सकें।

<u>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</u>

1. राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई), 2011

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम एनपीएचसीई) की शुरूआत 2011 में आऊट रीच सेवाओं सहित प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली के माध्यम से वृद्धजनों को समर्पित देखभाल सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य से की गई है। एनपीएचसीई 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 418 जिलों में कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित है। 2 राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र निर्माणाधीन है। 8 क्षेत्रीय जरा-चिकित्सा केंद्र मौजूद हैं तथा 12 निर्माणाधीन हैं।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के तहत बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। वर्तमान वर्ष में 457 जिलों के 413 लाख बीपीएल परिवारों को कवर किया गया

है। आरएसबीवाई के टाप अप के रूप में वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को अनन्य रूप से कवर करती है।

3. **भारत में व्यापक एवं सतत् वृद्धावस्था अध्ययन (एलएएसआई)**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में वृद्धजनों के स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 2016 में व्यापक एवं सतत् वृद्धावस्था अध्ययन की शुरूआत की है। यह अपनी तरह का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। इसमें 25 वर्षों की योजना तक 60 हजार वृद्धजनों से अधिक व्यक्तियों का सर्वेक्षण शामिल है। यह सर्वेक्षण वृद्धजनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर वैज्ञानिक रूप से अद्यतन आंकड़ें उपलब्ध कराएगा।

4. **पृथक लाइन**

सभी प्रयोजनों के लिए अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक लाइन का प्रावधान है।

<u>वित्त मंत्रालय</u>

1. **वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय छूट और लाभ**

वित्त मंत्रालय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत बचतों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा आयकर छूट, युवा पीढ़ी के लिए उनके माता-पिता, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान हेतु आयकर छूट प्रदान करता है।

2. **वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना**

वित्तीय सेवाएं विभाग वरिष्ठ पैंशन बीमा योजना - 2003 और 2014 कार्यान्वित करता है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है, यह अंशदान राशि पर गारंटी कृत न्यूनतम रिटर्न के आधार पर उन्हें सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है। यह पेंशन अंशदान की तारीख से अथवा 15 वर्ष तक जो भी पहले हो, की मृत्यु तक, अंशदाता की मृत्यु होने पर नामिति को अथवा 15 वर्ष के पश्चात पोलिसी को अभ्यर्पित करने पर अंशदाता को अंशदान राशि को पे-बेक के साथ पैंशन का भुगतान परिकल्पित है। ये योजनाएं भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। 31.03.2016 तक वीपीबीवाई 2003 और 2014 के तहत क्रमशः लाभ पाने वाले कुल 284699 लाभार्थी और 317991 लाभार्थी हैं। 2017 में एक नई योजना "प्रधानमंत्री व्योवंदना योजना" की शुरूआत की गई है जो एक वर्ष के लिए खुली रहेगी। यह योजना भी एलआईसी के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)

आईजीएनओएपीएस की इस योजना के तहत 60-79 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों को 200 रुपए प्रतिमाह तथा 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपए प्रतिमाह की वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। राज्य सरकार केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त कतिपय राशि का अंशदान करती है। वर्तमान वर्ष में लगभग 200 लाख वरिष्ठ नागरिक इसके लाभार्थी हैं।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

1. अन्नपूर्णा योजना

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, अन्नपूर्णा योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमानित अपेक्षाओं के अनुसार खाद्य सामग्री आबंटित करते हैं, इसमें निराश्रित वरिष्ठ नागरिक जिन्हें आईजीएनओएपीएस के तहत पेंशन नहीं मिलती, उन्हें प्रतिमाह दस किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

2. अंत्योदय अन्न योजना

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग अंत्योदय अन्न योजना कार्यान्वित करता है जिसके तहत चावल और गेंहू उच्च सब्सिडी कृत लागत पर उन परिवारों को प्रदान किया जाता है जिनके मुखिया विधवा/अत्यधिक बीमार/विकलांग व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके पास भरण-पोषण और सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।

वस्त्र मंत्रालय

1. 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरस्कार प्राप्तकर्ता हस्तशिल्प कारीगरों को वित्तीय सहायता

वस्त्र मंत्रालय की एक योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे हस्तशिल्प कारीगरों को 3500 रुपए प्रतिमाह की मासिक सहायता प्रदान की जाती है जिनकी वार्षिक आय 50000 रुपए से कम है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

1. सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग यह निगरानी तथा सुनिश्चित करता है कि सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जांए ताकि वे सेवानिवृत्ति के पश्चात् सक्रिया और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।

गृह मंत्रालय

1. व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जारी सलाह पत्र

गृह मंत्रालय ने दिनांक 27.03.2008 और 30.08.2013 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दो विस्तृत सलाह पत्र जारी किए हैं जिसमें उन्हें वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करने, वृद्धजनों की सुरक्षा के संबंध में पुलिस कार्मिकों को सुग्राही करने, बीट स्टॉफ के नियमित दौरा, टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्प लाइन की स्थापना, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना, घरेलू सहायता, ड्राइवरों आदि का सत्यापन जैसी पहलों के माध्यम से वृद्धजनों की उपेक्षा, दुर्व्यहार और हिंसा के सभी रूपों का उन्मूलन करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने की सलाह दी गई है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

1. सुगम्य भारत अभियान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुलभता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में 2015 में सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत की है। सुगम्य भारत अभियान का लक्ष्य सार्वभौमिक पहुंच, विकास के समान अवसर, स्वतंत्र जीवन तथा समावेशी समाज के सभी पहलुओं में भागीदारी के लिए दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना है। इसमें भवनों, सार्वजनिक शौचालयों, बसों, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर वृद्धजन अनुकूल शहरों का सृजन करने के लिए वृद्धजन अनुकूल बाधामुक्त वातावरण का सृजन करना शामिल है।

शहरी विकास मंत्रालय

1. बाधामुक्त वातावरण हेतु मानक

शहरी विकास मंत्रालय ने 2016 में-दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए बाधामुक्त वातारण का निर्माण करने के लिए 'हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस एण्ड स्पेस स्टेण्डर्ड्स' जारी किए हैं। इन दिशा

निर्देशों का आशय दिव्यांगजनों और वृद्धजनों की जरूरतों को सुलभता घटक और मानकों की व्यापक रेंज के साथ पूरा करना है तथा यह केवल दिव्यांगजनों तक सीमित नहीं है। अत: इससे सार्वभौमिक सुलभता और समावेशी भारत बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, 2013 में जारी अर्बन बस स्पेसिफिकेशन - II शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित बसों में यात्रियों की सहज पहुंच के लिए उपयुक्त रेम्प तथा के साथ, लो फ्लोर बसों के प्रापण तथा दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लाभार्थ बसों में व्हील चेयर हेतु उपयुक्त स्थान होने पर बल दिया गया है।

<u>आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय</u>

1. **भूतल पर आवासीय यूनिट का आबंटन**

आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 2015 में "सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना" की शुरूआत की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवास की मांग को पूरा करने के लिए मिशन दिशा-निर्देश परिचालित किए गए हैं। इनमें विनिर्दिष्ट किया गया है कि आवासीय यूनिट के आबंटन में वरीयता वरिष्ठ नागरिकों को दी जाए तथा आबंटन करते समय वरिष्ठ नागरिकों वाले परिवारों को प्रमुखत: भूतल पर अथवा नीचे के तलों पर आवास का आबंटन किया जाए।

<u>रेल मंत्रालय</u>

1. **सीटों में आरक्षण तथा किराए में छूट**

- नियमों के अनुसार न्यूनतम 60 वर्ष के पुरूष वरिष्ठ नागरिकों तथा न्यूनतम 58 वर्ष की महिला वरिष्ठ नागरिकों को रेलगाड़ियों के मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी/दुरंतों सभी श्रेणियों में मूल किराए में छूट प्रदान की जाती है। छूट की दर पुरूषों के लिए 40 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत है। टिकट खरीदते समय आयु के किसी प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं होती। तथापि, उन्हें यथा निर्धारित अपनी आयु/जन्मतिथि को दर्शाने वाले कुछ दस्तावेजी प्रमाण पत्र पास रखने होते हैं तथा टिकट चैकिंग स्टॉफ के मांगने पर इसे दिखाना होता है। वरिष्ठ नागरिक आरक्षण काउंटर के साथ-साथ इंटरनेट के माध्यम से भी आरक्षित टिकटें बुक कर सकते हैं।

- कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला यात्रियों के लिए यदि कोई विकल्प नहीं दिया गया है तो बुकिंग के समय बर्थ की उपलब्धता के आधार पर स्वत: लोअर बर्थ आबंटित करने का प्रावधान है।

- आरक्षित सीटों वाली सभी ट्रेनों में स्लीपर, एससी 3 टायर और एससी 2 टायर क्लास में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिला पेसेंजरों और अकेले यात्रा करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रत्येक कोच में दो लोअर बर्थ का संयुक्त कोटा निर्धारित है।

- सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे द्वारा सब-अर्बन सेक्शंस पर विनिर्दिष्ट घंटों के दौरान भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें निर्धारित हैं।

- स्टेशनों पर व्हील चेयर के प्रावधान हेतु निर्देश हैं। यह सुविधा वर्तमान में कुली को भुगतान करने पर विधिवत सहायक के साथ उपलब्ध है। तथापि, क्षेत्रीय रेलवे को रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांग और वृद्ध यात्रियों के लिए नि:शुल्क बैटरी वाले रिक्शा उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया है।

- ट्रेन के निकलने के पश्चात् यदि ट्रेन में कोई लोअर बर्थ खाली है तथा यदि किसी शारीरिक विकलांग व्यक्ति ने विकलांगता छूट पर टिकट बुक कराया है अथवा किसी वरिष्ठ नागरिक को अपर/मिडिल बर्थ आबंटित किया गया है तो ऑनबोर्ड टिकट चैकिंग स्टॉफ को चार्ट में आवश्यक प्रविष्टि करते हुए खाली लोअर बर्थ उन्हें आबंटित करने का प्राधिकार है।

2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक लाइन

शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, भूतपूर्व-संसद सदस्यों, विधायकों, प्रत्यायित पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों से आरक्षण मांग पत्र देखने के लिए यदि औसत मांग प्रति शिफ्ट 120 टिकट से कम नहीं है, तो विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्र पर अलग से कांउटर निर्धारित हैं। दिव्यांग व्यक्तियों अथवा वरिष्ठ नागरिकों सहित इन श्रेणियों में से किसी के लिए एक अनन्य कांउटर निर्धारित करने के लिए कोई औचित्य न होने के मामले में इन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के आरक्षण अनुरोधों का निपटान करने के लिए कुल मांग पर निर्भर करते हुए एक अथवा दो काउंटर निर्धारित होने चाहिए।

3. मैट्रो रेल में सीटों का आरक्षण

देश में क्रियान्वित/कार्यान्वयनाधीन सभी मैट्रो रेल परियोजनाओं में स्टेशनों पर उपयुक्त रैम्प/लिफ्ट, पेसेंजरों को चढ़ाने के लिए लेवल बोर्डिंग आदि जैसी दिव्यांग जन और वृद्धजन अनुकूल अवसंरचना है। मैटो रेल के डिब्बों में भी भिन्न प्रकार से सक्षम व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

<u>नागर विमानन मंत्रालय</u>

1. किराए में छूट

- एयरलाइन/एयरपोर्ट आपरेटर को 50000 अथवा इससे अधिक की वार्षिक एयरक्राफ्ट मूवमेंट वाले सभी एयरपोर्टों पर समुचित पैदल दूरी से दूर स्थित बोर्डिंग गेट तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग में सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए नि:शुल्क ऑटोमेटिड बोगियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। यह सुविधा अन्य जरूरतमंद यात्रियों को मांग पर नि:शुल्क प्रदान की जाए।

- एयरपोर्ट आपरेटर को सुरक्षा जांच के पश्चात्, (विनियम के अनुसार अनुमत) समान को बोर्डिंग गेट तक ले जाने के लिए छोटी ट्रोलियां उपलब्ध करानी चाहिए।

- एयरपोर्ट आपरेटर को टर्मिनल बिल्डिंग की प्रमुख अवस्थितियों पर आटोमेटिड बोगियों और स्माल ट्रालियों की उपलब्धता के बारे में सूचना तथा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए की सूचना उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करनी चाहिए। इसे एयरपोर्ट आपरेटर की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

- इसके अतिरिक्त, एयर इंडिया वरिष्ठ नागरिकों को उच्चतम इकानामी क्लास के मूल किराए पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान करती है। यह छूट यात्रा की तारीख को 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है।

- वरिष्ठ नागरिक डोमेस्टिक सेक्टरों पर यात्रा करने के लिए प्रत्येक सेक्टर पर एयर इंडिया द्वारा दिए जा रहे बहुस्तरीय किरायों का लाभ उठा सकते हैं; यह पेशकश कम स्तरीय अग्रिम खरीद किराए से शुरू होती है जिसके अंतर्गत उच्चतम किराए वाली सीट को पहले बेचा जाता है।

परिशिष्ट – ग्यारह

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1826
उत्तर देने की तारीख: 06.03.2018

वरिष्ठ नागरिकों हेतु सहायक उपकरण

1826. श्री बी. श्रीरामुलु:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को छड़ी, चश्में, अनुश्रवण सहायक तथा ऐसे ही अन्य सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु एक योजना की शुरूआत की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या देश में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचारों में बढ़ोत्तरी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और
(ङ) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों हेतु पहले ही एक राष्ट्रीय नीति आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय साम्पला)

(क) और (ख): जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने "राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)" की शुरूआत की है जिसका उद्देश्य बीपीएल श्रेणी से संबद्ध तथा बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाली निर्योग्यताओं/कमजोरियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है जिनसे उन्हें शारीरिक कार्य करने में यथा संभव आसानी हो सके। इस योजना के तहत, लाभार्थी वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण जैसे छड़ी, एल्बो क्रचिज, वॉकर्स/क्रचिज, ट्राइपॉइस/क्वाडपॉड्स, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, कृत्रिम दांत, चश्मे नि:शुल्क वितरित किए जाते हैं। इस योजना का कार्यान्वयन "कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)" जो इस मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, द्वारा किया जा रहा है। अभिज्ञात लाभार्थियों को सहायक यंत्रों का वितरण शिविर के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना को 1 अप्रैल, 2017 से नेल्लौर (आंध्र प्रदेश) में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 188 जिलों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वितरण शिविरों का आयोजन करने के लिए चयन किया गया है। अब तक, जिला स्तर पर 21 वितरण शिविर आयोजित किए गए हैं जिनमें 31,304 वरिष्ठ नागरिकों को 58,325 सहायक यंत्र एवं जीवन सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग): गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार :

1. ब्यूरो द्वारा विशिष्ट सूचना नहीं रखी जाती है।
2. तथापि, वरिष्ठ नागरिक के विरुद्ध कुल अपराध के अंतर्गत वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान क्रमशः 18,714, 20,532 तथा 21,410 कुल मामलों की सूचना दी गई थी जो 2014 की तुलना में 2015 में 9.7% तथा 2015 की तुलना में 2016 में 4.3% की वृद्धि का रुझान प्रदर्शित करते हैं।
3. 2014-16 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा अपराध शीर्ष-वार दर्ज मामलों का ब्यौरा **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है।
4. 2014-16 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आरोप-पत्र दाखिल मामलों, दोषसिद्धि में समाप्त मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप-पत्र दाखिल व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों का ब्यौरा **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न है।

(घ): गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" और "कानून व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। कानून-व्यवस्था को बनाए रखना, नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा का मूल दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें मौजूदा कानून के उपबंधों के अंतर्गत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 27.03.2008 और 30.08.2013 को दो विस्तृत सलाह-पत्र जारी किए हैं जिसमें उन्हें वरिष्ठ नागरिकों की पहचान; वृद्धजनों की सुरक्षा, संरक्षा के बारे में पुलिस कार्मिकों का सुग्राहीकरण; बीट स्टॉफ का नियमित दौरा; निःशुल्क वरिष्ठ नागरिक हेल्प-लाइन की स्थापना; वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना; घरेलू नौकरों, ड्राइवरों का सत्यापन इत्यादि जैसे पहल-कार्यों के माध्यम से वृद्धजनों के विरुद्ध सभी प्रकार की उपेक्षा, दुरुपयोग तथा हिंसा को दूर करने के लिए उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु तत्काल उपाय करने की सलाह दी गई है।

सरकार ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिदेश है कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की जान एवं माल की सुरक्षा करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना निर्धारित करेगी।

(ङ.): मौजूदा राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) वृद्ध व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए 1999 में घोषित की गई थी। गत दशक में जनसांख्यिकी प्रतिमान, वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों, सामाजिक मूल्य तंत्र में परिवर्तन और विज्ञान और प्रद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति को देखते हुए, एनपीओपी-1999 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नई राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

****

परिशिष्ट – बारह

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 42
उत्तर देने की तारीख: 11.12.2018

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007

+ 42. **श्री गोपाल शेट्टी:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार देश में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के कार्यान्वयन की राज्य-वार क्या स्थिति है; और
(ग) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति शुरू करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय साम्पला)

(क) और (ख): जी, हां। भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुबंध-क** में संलग्न है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति **अनुबंध-ख** में संलग्न है।

(ग): वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दों को मुख्यधारा में लाने, एक समावेशी सुगम्य तथा आयु अनुकूल वातावरण सृजित करने, 'एजिंग इन प्लेस' की संकल्पना को बढ़ावा देने, वृद्ध व्यक्तियों में सबसे अधिक वृद्ध व्यक्तियों और महिलाओं की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने, उपेक्षा, दुरुपयोग अथवा शोषण से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा करने, स्वास्थ्य देखभाल और सहायता, आश्रय, वित्तीय स्वतंत्रता आदि के प्रयोजन के लिए सरकार मौजूदा राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

अनुबंध-क

[दिनांक 11.12.2018 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध]

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा निम्नलिखित योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं :-

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय :

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय **"एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम"** (जिसे पहले एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम कहा जाता था) नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों)/सतत देखभाल गृहों, मोबाइल मेडिकेयर यूनिटों आदि का संचालन और अनुरक्षण करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (पंजीकृत सोसाइटियों के माध्यम से)/पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों; गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पिछले अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात अनुदान जारी किया जाता है।

2. इसके अलावा, इस मंत्रालय ने **"राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)"** भी 1 अप्रैल, 2017 को आरंभ की है, जिसका उद्देश्य बीपीएल श्रेणी से संबद्ध तथा बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाली निर्योग्यताओं/कमजोरियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है जिनसे उन्हें शारीरिक कार्य करने में यथा संभव आसानी हो सके। इस योजना के तहत, अभिज्ञात लाभार्थी वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण जैसे छड़ी, एल्बो क्रचिज, वॉकर्स/क्रचिज, ट्राइपॉड्स/क्वाडपॉड्स, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, कृत्रिम दांत, चश्मे नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं। यह योजना कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो इस मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) है। अभिज्ञात लाभार्थियों को सहायक उपकरणों का वितरण शिविर आयोजित करके किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) से किया जा रहा है।

3. बजट घोषणा, 2015-16 के अनुसरण में, वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा का संवर्धन करने, वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिक आहार, वृद्ध विधवाओं के कल्याण, वृद्धाश्रमों से संबंधित योजनाओं, अल्पावधि विश्रामगृहों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवा देखभाल केन्द्रों आदि, वरिष्ठ नागरिक के कल्याण को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं के उपयोग के

लिए **"वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि"** का सृजन किया गया है। इस निधि में केन्द्रीय सरकार की लघु बचत और अन्य बचत योजनाएं जैसे डाक घर बचत खाता, डाक घर आवर्ती जमा खाता आदि, सार्वजनिक भविष्य निधि खाता और कर्मचारी भविष्य निधि खाता सहित योजनाओं में पड़ी ऐसी निधि वाली प्रत्येक संस्था द्वारा अन्तरित अदावी राशि शामिल है जिनमें उनके निष्क्रिय खाता घोषित होने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि से अदावी राशियां पड़ी हुई हैं।

4. इस निधि का संचालन अन्तर-मंत्रालयीय समिति द्वारा किया जाता है जिसमें वित्तीय सेवाएं विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शामिल हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस निधि के प्रशासन हेतु नोडल मंत्रालय है।

5. राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) के अनुसरण में, एक नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करने और वृद्धजनों के लिए नीति और कार्यक्रमों को तैयार तथा कार्यान्वित करने संबंधी कार्य में सरकार को सलाह देने के लिए वर्ष 1999 में **राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद (एनसीओपी)** का गठन किया गया था। राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद (एनसीओपी) को वर्ष 2012 में पुन:गठित किया गया था और उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद (एनसीएसआरसी) किया गया था। एनसीएसआरसी के अधिदेश में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके जीवन की गुणवत्ता से संबंधित सम्पूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना शामिल है। माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता इस परिषद के अध्यक्ष हैं।

6. वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता प्रदान करने की दृष्टि से, समाज को दिए उनके योगदान को मान्यता देने के लिए **'वयोश्रेष्ठ सम्मान'** प्रदान करने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2005 से अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी) आयोजित करना शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, समाज में वरिष्ठ नागरिकों के यथोचित स्थान को सुदृढ़ करने की दिशा में वरिष्ठ नागरिकों के हितों के प्रति सरकार की चिंता और उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाने की दृष्टि से, वयोश्रेष्ठ सम्मान को **राष्ट्रीय पुरस्कार** के रूप में अपग्रेड किया गया था और राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार योजना को भारत के राजपत्र में दिनांक 22.01.2013 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत तेरह श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार वर्ष 2013 के दौरान, 1 अक्टूबर को, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी) के अवसर पर दिए गए थे। प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न शहरों में स्वास्थ्य शिविर, अंतरपीढ़ी वॉकाथन आदि का भी आयोजन करता है जिसमें वरिष्ठ नागरिक, युवा लोग, नामी व्यक्ति और मीडिया के लोग आदि सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना है। एनएसएपी एक समाज सुरक्षा/समाज कल्याण कार्यक्रम है जो वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के प्राथमिक कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु पर ऐसे पीड़ित परिवारों पर लागू है। वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे रहने वाले परिवारों को **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** के अंतर्गत दी जाती है। 60-79 आयु के व्यक्तियों को प्रतिमाह 200 रुपये और 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रतिमाह 500 रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान, लाभ की स्वीकृति एवं वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

8. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दिए गए अनुसार **टॉप-अप ब्यौरा:**

क्र.सं.	टॉप-अप प्रति व्यक्ति प्रति माह	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	कोई टॉप-अप नहीं	अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर
2.	50/- रुपए का टॉप-अप	मेघालय, मिजोरम
3.	75/- रुपए का टॉप-अप	मध्य प्रदेश
4.	100/- रुपए का टॉप-अप	छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश
5.	200/- रुपए का टॉप-अप	असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर
6.	250/- रुपए का टॉप-अप	केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल
7.	300/- रुपए का टॉप-अप	राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक
8.	400/- रुपए का टॉप-अप	बिहार, महाराष्ट्र, सिक्किम
9.	600/- रुपए का टॉप-अप	उत्तराखंड
10.	800/- रुपए का टॉप-अप	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्ष्यद्वीप
11.	1000/- रुपए का टॉप-अप	चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना
12.	1200/- रुपए का टॉप-अप	हरियाणा
13.	1800/- रुपए का टॉप-अप	गोवा, पुडुचेरी

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

9. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, **अन्नपूर्णा योजना** के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमानित अपेक्षाओं के अनुसार खाद्य सामग्री आबंटित करते हैं, इसमें निराश्रित

वरिष्ठ नागरिक जिन्हें आईजीएनओएपीएस के तहत पेंशन नहीं मिलती, उन्हें प्रतिमाह दस किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

10. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग **अंत्योदय अन्न योजना** कार्यान्वित करता है जिसके तहत चावल और गेंहू उच्च सब्सिडी कृत लागत पर उन परिवारों को प्रदान किया जाता है जिनके मुखिया विधवा/अत्यधिक बीमार/विकलांग व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके पास भरण-पोषण और सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।

वित्त मंत्रालय:

11. **'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' (पीएमवीवीवाई):** सरकार ने बाजार की अनिश्चित स्थितियों के कारण 60 वर्ष या अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी ब्याज आय में भविष्य में गिरावट को रोकने, इसके साथ-साथ वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' नामक एक योजना आरंभ की है। यह योजना **भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)** के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में दस वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से मासिक रूप से अदा किए जाने योग्य आश्वासित आय का प्रावधान है। विभेदक आय अर्थात एलआईसी द्वारा सृजित आय और 8% प्रतिवर्ष की आश्वासित आय के बीच अंतर को वार्षिक आधार पर सब्सिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना एक वर्ष की अवधि के लिए अंशदान हेतु दिनांक 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक खोली गई थी। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम खरीद मूल्य 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति परिवार और 5,000/- रुपये प्रति माह की अधिकतम पेंशन के लिए 7.5 लाख रुपये प्रति परिवार थी।

12. बजट घोषणा 2018-19 के अनुसरण में, मंत्रिमंडल ने दिनांक 2 मई, 2018 को हुई अपनी बैठक में **31 मार्च, 2020 तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तार अनुमोदित किया** है और इस योजना के अंतर्गत 7.5 लाख रुपये प्रति परिवार के अधिकतम खरीद मूल्य की सीमा को बढ़ाकर प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपये भी किया गया है। दिनांक 30.6.2018 की स्थिति के अनुसार पीएमवीवीवाई के अंतर्गत 17,704.65 करोड़ रुपये की संचित निधि से युक्त 2,82,155 अभिदाता लाभान्वित हो रहे हैं।

13. इसके अलावा, वित्त मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए **आयकर दरों में छूट** की व्यवस्था करता है। 60 वर्ष से अधिक और इससे अधिक आयु 80 वर्ष से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख रुपए तक की आय पर छूट प्राप्त है। 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के बीच की आय पर केवल 5% आयकर वसूला जाता है। 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को 5,00,000/- रुपये तक की आय पर छूट प्राप्त है। विनिर्दिष्ट बीमारियों के संबंध में व्यय पर आयकर अधिनियम की धारा 80घघख के तहत प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों के मामले में कटौती में

वृद्धि की गई है। युवा पीढ़ी को अपने माता-पिता की चिकित्सीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, आयकर अधिनियम की धारा 80घ में माता-पिता अथवा कर निर्धारिती के माता-पिता के स्वास्थ्य पर प्रवृत्त बीमा को जारी रखने पर कटौती का प्रावधान है। हिंदू अविभाजित परिवार के लिए भी ऐसी ही कटौती हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य पर बीमा को प्रारंभ करने अथवा जारी रखने के लिए किसी भी तरीके द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रीमियम बीमा के संदर्भ में उपलब्ध है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 207 के मौजूदा उपबंध निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60+वर्ष) को पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अग्रिम कर से छूट प्रदान करता है जिनके पास "व्यवसाय अथवा पेशा से लाभ एवं मुनाफा" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय नहीं हो।

14. **सेवा कर** कानून के तहत, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक के तहत पंजीकृत किसी इकाई (एंटिटी) द्वारा किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों से संबंधित शिक्षा कार्यक्रमों या कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रमों के एडवांसमेंट से संबंधित कार्यकलापों को सेवा कर से छूट प्राप्त है। **बैंकों और डाकघरों में बचत खाता धारक** वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों को उच्चतर ब्याज दरें दी जाती हैं।

15. **प्रतिकूल बंधक योजनाः**

यह योजना 2007 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति को बैंक के पास बंधक रख सकते हैं और रिहायशी संपत्ति के मूल्य के 60 प्रतिशत तक अधिकतम ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं। बंधक की अधिकतम अवधि 15 वर्ष है और न्यूनतम अवधि 10 वर्ष है। कुछ बैंक 20 वर्ष की अधिकतम अवधि का भी प्रस्ताव कर रहे हैं।

16. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने अपने पत्र दिनांक 25.5.2009 द्वारा सभी सामान्य **स्वास्थ्य बीमा** कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा के संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातें सम्मिलित हैं:

- 65 वर्ष की आयु होने तक स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रवेश की अनुमति।
- प्रभारित प्रीमियम में पारदर्शिता।
- वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने वाले सभी बीमा उत्पादों पर किसी प्रस्ताव आदि के संबंध अस्वीकार करने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करना होगा।
- इसी प्रकार विशिष्ट कारणों के बिना बीमा कंपनियां नवीकरण से मना नहीं कर सकती।

वस्त्र मंत्रालय

17. वस्त्र मंत्रालय की एक योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे हस्तशिल्प कारीगरों को 3500 रुपए प्रतिमाह की मासिक सहायता प्रदान की जाती है जिनकी वार्षिक आय 50000 रुपए से कम है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

18. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग यह निगरानी तथा सुनिश्चित करता है कि सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाएं ताकि वे सेवानिवृत्ति के पश्चात् सक्रिया और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।

गृह मंत्रालय

19. गृह मंत्रालय ने दिनांक 27.03.2008 और 30.08.2013 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दो विस्तृत सलाह पत्र जारी किए हैं जिसमें उन्हें वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करने, वृद्धजनों की **सुरक्षा और संरक्षा** के संबंध में पुलिस कार्मिकों को सुग्राही करने, बीट स्टॉफ के नियमित दौरा, टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्प लाइन की स्थापना, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना, घरेलू सहायता, ड्राइवरों आदि का सत्यापन जैसी पहलों के माध्यम से वृद्धजनों की उपेक्षा, दुर्व्यहार और हिंसा के सभी रूपों का उन्मूलन करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने की सलाह दी गई है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

20. सामाजिक न्याय और -अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुलभता प्राप्त करने के लिए **राष्ट्रव्यापी अभियान** के रूप में 2015 में **सुगम्य भारत अभियान** की शुरूआत की है। सुगम्य भारत अभियान का लक्ष्य सार्वभौमिक पहुंच, विकास के समान अवसर, स्वतंत्र जीवन तथा समावेशी समाज के सभी पहलुओं में भागीदारी के लिए दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना है। इसमें भवनों, सार्वजनिक शौचालयों, बसों, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर वृद्धजन अनुकूल शहरों का सृजन करने के लिए वृद्धजन अनुकूल बाधामुक्त वातावरण का सृजन करना शामिल है।

रेल मंत्रालय

21. भारतीय रेल ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) नियमों के अनुसार न्यूनतम 60 वर्ष के पुरूष वरिष्ठ नागरिकों तथा न्यूनतम 58 वर्ष की महिला वरिष्ठ नागरिकों को रेलगाड़ियों के मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/शताब्दी/ जनशताब्दी/दुरंतों सभी श्रेणियों में **मूल किराए में छूट** प्रदान की जाती है। छूट की दर पुरूषों के लिए 40 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत है।
टिकट खरीदते समय आयु के किसी प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं होती। तथापि, उन्हें यथा निर्धारित अपनी आयु/जन्मतिथि को दर्शाने वाले कुछ दस्तावेजी प्रमाण पत्र पास रखने होते हैं तथा टिकट चेंकिंग स्टॉफ के मांगने पर इसे दिखाना होता है। वरिष्ठ नागरिक आरक्षण काउंटर के साथ-साथ इंटरनेट के माध्यम से भी आरक्षित टिकटें बुक कर सकते हैं।

(ii) कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में **वरिष्ठ नागरिकों**, 45 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला यात्रियों के लिए यदि कोई विकल्प नहीं दिया गया है तो बुकिंग के समय बर्थ की उपलब्धता के आधार पर स्वत: **लोअर बर्थ आबंटित** करने का प्रावधान है।

(iii) आरक्षित सीटों वाली सभी ट्रेनों में स्लीपर, स्लीपर श्रेणी में प्रति कोच छह (6) लोअर बर्थ का और एससी 3 टायर में प्रति कोच तीन(3) लोअर बर्थ और एससी 2 टायर क्लास में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिला पेसेंजरों और अकेले यात्रा करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए संयुक्त कोटा निर्धारित है। राजधानी, दुरंतो और पूर्णत: वातानुकूलित/एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में सामान्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रति कोच तीन(3) लोअर बर्थ की तुलना में 3एसी में इस कोटा के तहत प्रति कोच चार(4) लोअर बर्थ निर्धारित हैं।

(iv) सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे द्वारा **सब-अर्बन सेक्शंस** पर विनिर्दिष्ट घंटों के दौरान भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें निर्धारित हैं।

(v) **स्टेशनों पर व्हील चेयर** के प्रावधान हेतु निर्देश हैं। यह सुविधा वर्तमान में कुली को भुगतान करने पर विधिवत सहायक के साथ उपलब्ध है। तथापि, क्षेत्रीय रेलवे को रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांग और वृद्ध यात्रियों के लिए **नि:शुल्क बैटरी वाले रिक्शा** उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यात्री आईआरसीटीसी पोर्टल www.irctc.co.in के माध्यम से ऑन-लाइन ई-व्हील चेयर्स बुक करा सकते हैं।

(vi) स्टेशनों में सहायता चाहने वाले वृद्ध तथा दिव्यांग यात्रियों को मदद करने तथा मौजूदा सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए, व्हील चेयर सेवाएं सह कुली सेवाएं आदि बुक करने

के लिए यात्रियों को सक्षम बनाने हेतु प्रमुख स्टेशनों पर आईआरसीटीसी के माध्यम से **'यात्री मित्र सेवा'** प्रदान की जा रही है।

(vii) ट्रेन के निकलने के पश्चात् यदि ट्रेन में कोई लोअर बर्थ खाली है तथा यदि किसी शारीरिक विकलांग व्यक्ति ने विकलांगता छूट पर टिकट बुक कराया है अथवा किसी वरिष्ठ नागरिक अथवा किसी गर्भवती महिला को अपर/मिडिल बर्थ आबंटित किया गया है तो ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग स्टॉफ को चार्ट में आवश्यक प्रविष्टि करते हुए खाली लोअर बर्थ उन्हें आबंटित करने का प्राधिकार है।

(viii) शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, भूतपूर्व-संसद सदस्यों, विधायकों, प्रत्यायित पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों से आरक्षण मांग-पत्र देखने के लिए यदि औसत मांग प्रति शिफ्ट 120 टिकट से कम नहीं है, तो विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्र पर **अलग से कांउटर** निर्धारित हैं। दिव्यांग व्यक्तियों अथवा वरिष्ठ नागरिकों सहित इन श्रेणियों में से किसी के लिए एक अनन्य कांउटर निर्धारित करने के लिए कोई औचित्य न होने के मामले में इन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के आरक्षण अनुरोधों का निपटान करने के लिए कुल मांग पर निर्भर करते हुए एक अथवा दो काउंटर निर्धारित होने चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

22. भारत सरकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, आउटरीच सेवा सहित, हेतु राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदायगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2010-11 से **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)** को कार्यान्वित कर रही है।

23. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) के दो घटक हैं जिनमें देश के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(1) **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) घटक** - कार्यक्रम की जिला और निम्न गतिविधियों को एनएचएम की असंक्रमणीय रोग (एनसीडी) फ्लेक्सीबल पूल के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है जो निम्नलिखित हैं:

- जिला अस्पतालों में जरा-चिकित्सा ओपीडी और 10 बिस्तर वाला जरा-चिकित्सा वार्ड।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सप्ताह में दो बार जरा-चिकित्सा क्लीनिक।

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में साप्ताहिक जरा-चिकित्सा क्लीनिक।
- उप-केंद्रों में शारीरिक सहायक यंत्रों एवं जीवन सहायक उपकरणों की व्यवस्था।

इस कार्यक्रम को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) और एनपीएचसीई के प्रावधानों के अंतर्गत उसकी व्यवहारिता के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। आज की तारीख तक कार्यक्रम की जिला और निम्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 599 जिलों को अनुमोदित किया गया है।

(2) **तृतीयक घटक:** इस कार्यक्रम के एनएचएम घटक के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जरा-चिकित्सा देखभाल के प्रति मानव संसाधन सृजित करने हेतु प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त रेफरेल की स्थिति अनुकूल नहीं हैं, यह मंत्रालय 19 क्षेत्रीय जरा-चिकित्सा केंद्रों (आरजीसी) के विकास में सहायता देने और एम्स, नई दिल्ली और एमएमसी चेन्नै में दो राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र स्थापित करने, जिनमें जरा-चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध हैं, की स्थापना के लिए सहायता प्रदान कर रहा है:

- जरा-चिकित्सा ओपीडी, अंतरंग मरीजों की देखभाल के लिए आरजीसी की दर पर 30 बिस्तर वाला जरा-चिकित्सा वार्ड और एनसीए की दर पर 200 बिस्तर वाला जरा चिकित्सा वार्ड।
- जरा-चिकित्सा में आरजीसी के लिए दो पीजी सीटें और एनसीए के लिए 15 पीजी सीटें।
- अनुसंधान संबंधी गतिविधियां, प्रशिक्षण प्रदान करना और प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।

24. **भारत में देशांतरीय वृद्धावस्था परियोजना (एलएएसआई):** इस परियोजना का प्रारंभ वर्ष 2016 में वरिष्ठ नागरिकों (आयु 45-60) की स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया गया था। यह परियोजना 61,000 के नमूना आकार के साथ विश्व में सबसे बड़ी व्यापक वृद्धावस्था सर्वेक्षणों में से एक है। एलएएसआई परियोजना का कार्यान्वयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, आईआईपीएस, (मानद विश्वविद्यालय), मुम्बई द्वारा किया जा रहा है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। भारत में, एलएएसआई का निष्पादन आईआईपीएस द्वारा हावर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड रैंड कारपोरेशन के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूएनएफपीए इंडिया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच)/नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ

एजिंग (एनआईए), यूएसए के वित्तीय सहायता से किया जाना है। अब तक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 29.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

25. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई):** एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन 2008 से गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए 'असंगठित कामगार' सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया था। आरम्भ में इस योजना को बीपीएल परिवारों के लिए तैयार किया गया था लेकिन बाद में इसमें असंगठित कामगरों (यूओडब्ल्यू) की 11 अन्य श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया था। अब इस योजना को 2015 से स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। इस योजना में प्रत्येक नामांकित परिवार सरकारी तथा इसके साथ-साथ सूचीबद्ध गैर-सरकारी अस्पताल में 30,000/- रुपए प्रति वर्ष तक अस्पताल में भर्ती होने के लाभ का पात्र है। 1,000/- रुपए प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन लाभार्थी परिवार को 100/- रुपए प्रति दौरा की परिवहन लागत भी अदा की जाती है। वर्तमान (2018-19) में 12 राज्य आरएसबीवाई का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

26. **वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस):** इस योजना का कार्यान्वयन 2016 से किया जा रहा है जिसमें मौजूदा आरएसबीवाई योजना के अतिरिक्त टॉप-अप के रूप में वरिष्ठ नागरिकों को बीमा कवर देने की व्यवस्था है। इस योजना में पात्र आरएसबीवाई लाभार्थी परिवार में 30,000 रुपए प्रति वरिष्ठ नागरिक का अतिरिक्त वार्षिक कवरेज का प्रावधान किया गया है। एससीएचआईएस 30,000 रुपए का एक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरएसबीवाई के अंतर्गत 30,000 रुपए के कवरेज के अतिरिक्त उपलब्ध है। यदि किसी आरएसबीवाई नामांकित परिवार में एक से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं, तो अतिरिक्त कवर 30,000 रुपए प्रति वरिष्ठ नागरिक के गुणक में होगा। आरएसबीवाई के अंतर्गत 1516 पैकेज के अतिरिक्त एससीएचआईएस के अंतर्गत 211 उपचार पैकेज कवर किए गए हैं।

27. **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई):** मार्च, 2018 में, सरकार ने 10 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को कवर करने के लिए 2018-19 के दौरान आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई शुरू करने का अनुमोदन दिया है जिसमें द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल भर्ती के लिए 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष के कवरेज की व्यवस्था है। पीएमजेएवाई 23 सितम्बर, 2018 को शुरू की गई है। पीएमजेएवाई प्रारंभ होने से, आरएसबीवाई और एससीएचआईएस का इसमें विलय कर दिया जाएगा। आरएसबीवाई तथा एससीएचआईएस के सभी नामांकित लाभार्भी परिवार पीएमजेएवाई के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं।

संचार मंत्रालय:

28. संचार मंत्रालय के अंतर्गत **भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)** ने सूचित किया है कि 65 वर्ष और उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को लेंडलाइन टेलिफोन क्नेक्शन के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के छूट प्राप्त है।

29. इसके अतिरिक्त, संचार मंत्रालय के अंतर्गत **महानगर टेलिफोन लिमिटेड (एमटीएनएल)** 65 वर्ष और उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में प्लान 250 के अंतर्गत लेंडलाइन क्नेक्शन के लिए इंस्टालेशन/एक्टीवेशन प्रभार और मासिक सेवा/किराया प्रभार में 25% की छूट प्रदान करता है।

नागर विमानन मंत्रालय

30. यात्रियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, विकलांग यात्रियों, प्रथम बार यात्री इत्यादि की सुविधा के लिए सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए हैं कि निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए:

- एयरलाइन/एयरपोर्ट आपरेटर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उस टर्मिनल भवन में जिसमें 50,000 या अधिक की वार्षिक एयरक्राफ्ट आवागमन है, ऐसे सभी एयरपोर्टों पर उपयुक्त पैदल दूरी के आगे अवस्थित बोर्डिंग गेटों के लिए पहुंच सुविधा प्रदान करने हेतु **निःशुल्क स्वचालित बग्गियों** का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे। यह सुविधा मांग करने पर अन्य जरूरतमंद यात्रियों को निःशुल्क प्रदान की जाए।

- एयरपोर्ट आपरेटर बोर्डिंग गेट तक हैंडबैग (अनुमत विनियम के अनुसार) ले जाने के लिए **सुरक्षा जांच के पश्चात छोटी ट्रालियां** प्रदान करेंगे।

- एयरपोर्ट आपरेटर टर्मिनल भवन में प्रमुख स्थानों पर स्वचालित बग्गियों तथा छोटी ट्रालियों की उपलब्धता के संबंध में पर्याप्त सूचना प्रदर्शित करेंगे जिसमें ऐसा करने और ऐसा नहीं करने के संबंध में सूचना भी दी जाएगी। इसे एयरपोर्ट आपरेटर की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

- इसके अतिरिक्त, **एयर इंडिया उच्चतम इकोनोमी क्लास के बेसिक किराये में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% छूट** प्रदान करता है। यह छूट उनको प्रदान की जाती है जिन्होंने यात्रा आरंभ करने की तिथि पर 63 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

- वरिष्ठ नागरिक, एक निम्न स्तर अग्रिम खरीद भाड़े से जो उच्चतम टिकट की प्रारंभ बिक्री सुकर बनाता है, से आरंभ करते हुए घरेलू सेक्टरों पर यात्रा के लिए प्रत्येक सेक्टर पर एयर इंडिया द्वारा प्रस्तावित बहु-स्तरीय किरायों का भी लाभ उठा सकता है।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय :

31. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी विकास विभाग ने माडल भवन उप-नियम, 2016 (एमबीबीएल) जारी किए हैं जिसके अध्याय 8 के अंतर्गत भवनों, शौचालयों आदि के संदर्भ में **बुजुर्गों के अनुकूल अवरोध मुक्त वातावरण** सृजित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय, माडल भवन उप-नियम, 2016 का अनुसरण करके इस नीति को कार्यान्वित करेंगे। विभाग ने वर्ष, 2016 में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए अवरोधकमुक्त वातावरण का निर्माण करने हेतु सुव्यवस्थित दिशा-निर्देश और स्थान संबंधी मानदंड जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का आशय व्यापक किस्म के गम्य घटकों को और मानदण्डों के साथ और जो केवल दिव्यांगता तक ही सीमित नहीं होंगे, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की आवश्यकताएं पूरी करना है तथा सार्वभौमिक गम्यता और समावेशी भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।

32. वर्ष 2013 में जारी किए गए शहरी बस विनिर्देश-II के अंतर्गत, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित बसों के संबंध में **लो-फ्लोर बसों** की खरीद करने, जिनमें यात्रियों के लिए आसानी से प्रवेश करने हेतु उपयुक्त रैम्प की सुविधा और दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए बस में व्हील-चेयर में रखने की व्यवस्था हो, पर जोर दिया गया है।

33. देश में क्रियान्वित की गई/क्रियान्वित की जा रही सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं में दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुकूल आधारभूत जैसेकि स्टेशनों पर **उपयुक्त रैम्प/लिफ्टें,** यात्रियों के उतरने-चढ़ने के लिए लेवल बोर्डिंग आदि की सुविधा उपलब्ध है। विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए **मेट्रो रेल के डिब्बों में सीटों के आरक्षण** का प्रावधान है।

34. सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा 17 जून, 2015 को अनुमोदित की गई थी और उसे 25 जून, 2015 को लागू किया गया था। मिशन के दिशा-निर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आवास की मांग पूरी करने के लिए परिचालित किए गए हैं। पीएमएवाई - एचएफए (यू) दिशा-निर्देशों के पैरा 4.8.10 में अन्य बातों के साथ-साथ, यह शामिल किया गया है कि 'आवंटन करते समय, वरिष्ठ नागरिकों के परिवारों को **भू-तल अथवा निचले तलों पर आवंटन के लिए प्राथमिकता** दी जाए'।

महिला और बाल विकास मंत्रालय :

35. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने संरख बंगर, वृंदावन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में विधवाओं के लिए एक गृह का निर्माण किया है जिसमें 1000 विधवाओं को रहने का सुरक्षित और संरक्षित स्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषक भोजन, कानूनी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था है। विधवाओं के लिए कृष्णा कुटीर नामक एक नये गृह का निर्माण 1.424 हेक्टेयर भूमि पर किया गया है। इस गृह का डिजाइन वृद्धावस्था अनुकूल है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रैम्प, लिफ्ट, पर्याप्त बिजली की आपूर्ति, पानी और अन्य सुविधाओं के साथ भू-तल और तीन तल हैं। इस गृह का पूर्णत: वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन 31.08.2018 को किया गया है। यह गृह 01.09.2018 की प्रभावी तिथि से प्रचालनरत है और इसका प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।

*****

अनुबंध-ख

[दिनांक 11.12.2018 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध]

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के कार्यान्वयन से संबंधित स्थिति रिपोर्ट

अधिनियम का अध्याय II : माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अधिनियम की अधिसूचना की तारीख	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अधिनियम के लागू होने की नियत तारीख	नियमावली की अधिसूचना की तारीख	भरण-पोषण अधिकारी की अधिसूचना की तारीख	भरण-पोषण अधिकरण की अधिसूचना की तारीख	अपीलीय अधिकरण की अधिसूचना की तारीख
1.	आंध्र प्रदेश	22.04.2008	28.04.2008	28.12.2011	की गई कार्रवाई	19.08.2008	19.08.2008
2.	बिहार	28.09.2011	19.10.2011	07.09.2012	09.11.2011	09.11.2011	09.11.2011
3.	छत्तीसगढ़	26.09.2008	26.09.2008	07.05.2010	24.01.2009	24.01.2009	24.01.2009
4.	गोवा	23.09.2008	01.10.2008	01.10. 2009	24.09.2009	24.09.2009	24.09.2009
5.	गुजरात	07.10.2008	07.10.2008	19.05.2009	19.05.2009	19.05.2009	19.05.2009
6.	हरियाणा	22.10.2008	22,10.2008	19.06.2009	28-8-2009	23-11-2010	23-11-2010
7.	हिमाचल प्रदेश	राज्य का अपना अधिनियम है					
8.	जम्मू और कश्मीर	अधिनियम लागू नहीं					
9.	झारखंड	12.04.2008	01.04.2008	2014	14.02.2009	14.02.2009	14.02.2009
10.	कर्नाटक	27.03.2008	01.04.2008	19.11.2009	13.09.2010	19.02.2009	19.02.2009
11.	केरल	24.09.2008	24.09.2008	28.08.2009	17.08.2009	17.08.2009	17.08.2009
12.	मध्य प्रदेश	23.08.2008	23.08.2008	02.07.2009	02.07.2009	02.07.2009	02.07.2009
13.	महाराष्ट्र	27.02.2009	01.03.2009	23.06.2010	•	28.09.2010	28-9-2010
14.	ओडिशा	20.09.2008	01.10.2008	24.09.2009	01.10.2009	01.10.2009	01.10.2009
15.	पंजाब	15.07.2008	15.07.2008	17.10.2012	27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008
16.	राजस्थान	31.07.2008	01.08.2008	18.06.2010	19.09.2008	19.09.2008	19.09.2008
17.	तमिलनाडु	29.09.2008	29.09.2008	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2009
18.	तेलंगाना	22.04.2008	28.04.2008	28.12.2011	की गई कार्रवाई	19.08.2008	19.08.2008
19.	उत्तर प्रदेश	25.09.2012	25.09.2012	24-2-2014	31-10-2014	20-10-2014	20.10.2014
20.	उत्तराखंड	11.11.2008	01.11.2008	19.12.2011	07.08.2014	07.08.2012	07.08.2012
21.	पश्चिम बंगाल	05.12.2008	05.12.2008	12.01.2009	20.01.2009	20.01.2009	20.01.2009
पूर्वोत्तर राज्य:							
22.	मेघालय	22.06.2012	22.06.2012	2012	25.09.2012	8-5-2014	8-5-2014
23.	सिक्किम	03.05.2012	01.02.2012	2014	27.06.2012	18-12-2011	18-12-2011
24	त्रिपुरा	14.08.2008	15.08.2008	22.08.2008	15.12.2008	15.08.2008	15.08.2008
25.	असम	04.10.2008	04.10.2008	27.09.2012	02.08.2008	02.08.2008	02.08.2008
26.	मणिपुर	29.10.2009	30.10.2009	02.12.2011	06.07.2012	•	14-9-2012
27.	मिजोरम	29.12.2008	01.01.2009	9-7-2014	1-12-2014	1-12-2014	1-12-2014
28.	नागालैंड	22.04.2008	22.04.2008	•	7-2-2014	7-2-2014	7-2-2014
29.	अरुणाचल प्रदेश	08.08.2008	06.08.2008	•	19.06.2012	19.06.2012	19.06.2012

क्रम सं.	राज्य संघ राज्य/ क्षेत्र का नाम	अधिनियम की अधिसूचना की तारीख	राज्य संघ राज्य/ क्षेत्र में अधिनियम के प्रवर्तन की तय की गई तारीख	नियमावली की अधिसूचना की तारीख	भरणपोषण - अधिकारी की अधिसूचना की तारीख	भरणपोषण - अपीलीय अधिकरण की अधिसूचना की तारीख	अपीलीय अधिकरण की अधिसूचना की तारीख
संघ राज्य क्षेत्र :							
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21.05.2008	21.05.2008	29-2-2012	04.03.2010	04.03.2010	04.03.2010
31.	चंडीगढ़	21.10.2008	22.10.2008	12.8.2009	17.04.2012	22.12.2008	22.12.2008
32.	दादरा और नागर हवेली	17.09.2008	17.09.2008	6-5-2010	07.04.2010	07.04.2010	07.04.2010
33.	दमन और दीव	17.09.2008	17.09.2008	04.05.2010	07.04.2010	07.04.2010	07.04.2010
34.	दिल्ली	08.09.2008	01.09.2008	30.06.2009	01.10.2009	01.10.2009	11.02.2011
35.	लक्षद्वीप	25.10.2008	22.09.2008	16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015
36.	पुडुचेरी	31.10.2008	01.11.2008	27.10.2011	27.10.2011	27.10.2011	27.10.2011

कार्रवाई लंबित।

******

श्री थावर चंद गहलोत: सर, आप इन्हें बिठाइए...(व्यवधान) आप सुनिए तो सही...(व्यवधान) साहब, सुन तो लो, ऐसे क्यों करते हो?...(व्यवधान)

खर्चा हुआ था 94.15 करोड़ और लाभार्थियों की संख्या 1,56,890 थी। अभी लाभार्थियों की संख्या 16,05,203 है। हमें 190.65 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे, जबकि हमने 190.62 करोड़ रुपये खर्च किए। जितना मंजूर हुआ, उतना हमने खर्च करने की कोशिश की है। अन्य बहुत सारी बातें आपने बताईं कि इसमें शून्य है, इसमें शून्य है, इसमें शून्य है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी थीं, जो उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही थीं, उनको हमने दूसरी योजनाओं के साथ क्लब कर दिया। आप वे आंकड़े कहीं से लेकर आए हैं। जो आपने बातें कही हैं, उसका मैं बाद में जवाब आपके पास भिजवा दूँगा। वह जो आपने जल्दी-जल्दी बोला, खूब जल्दी-जल्दी आपने बोला, मैं उसको पढ़कर उसका व्यवस्थित जवाब आपके पास भिजवाने की कोशिश कर दूँगा।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप बुजुर्गों के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाइए।...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: बुजुर्गों के लिए नेशनल पॉलिसी बनाने का काम जारी है।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अच्छी बात है। आप जल्द से जल्द बनाइए।...(व्यवधान) अभी हिन्दुस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग हैं।...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति बनाने का काम जारी है। हम पहले वाली नीति में काफी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में जो विधेयक हम लाए हैं, उसमें डे केयर सेंटर की भी व्यवस्था की है। ओल्ड ऐज होम की भी व्यवस्था की है। हर पुलिस थाने में एक अलग विंग होगी और वह उनकी देख-रेख करने का काम करेगा। एक पुलिस अधिकारी अधिकृत होगा और वह उनके घरों में जाकर भी जाँच-पड़ताल करेगा। एनजीओ के माध्यम से, जो वरिष्ठ नागरिक ओल्ड ऐज होम या डे केयर सेंटर में नहीं जा सकते हैं या जाने की स्थिति में नहीं हैं, उनके घरों में जाकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। यह ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। आपने कुछ किया हो तो बता देना, अगर अभी याद न आ रहा हो तो बाद में बता देना।...(व्यवधान)

परिशिष्ट – चौदह

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *385
उत्तर देने की तारीख 05.08.2014

गैर–सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

*385. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री निशिकान्त दुबे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करती है;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन गैर–सरकारी संगठनों को स्वीकृत की गई/इनके द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि का झारखंड सहित योजना–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन गैर–सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के कथित दुरुपयोग के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;
(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे गैर–सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और
(ङ) सरकार ने इन गैर–सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के समुचित उपयोग की निगरानी करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(श्री थावर चन्द गेहलोत)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

दिनांक 5.8.2014 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 385 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

सरकार अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, मद्यपान तथा नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के पीड़ितों तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान उपलब्ध करवाती है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा वर्तमान वर्ष में गैर-सरकारी संगठनों की संख्या, स्वीकृत की गई/जारी की गई तथा प्रयुक्त निधि का योजना-वार, राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है । अनुदान प्राप्तकर्ता गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के कथित दुरूपयोग के 26 मामले सरकार की जानकारी में आए हैं । ऐसे गैर-सरकारी संगठन, जिन्हें तथाकथित रूप से निधियों के दुरूपयोग में लिप्त पाया गया था तथा इस मामले में उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे अनुबंध-II पर दिए गए हैं । मंत्रालय निम्नलिखित तरीकों से पारदर्शिता तथा जवाबदेही में वृद्धि कर इन योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करता है:-

(i) कार्यान्वयन एजेंसियों को वर्ष के दौरान नई/अनुवर्ती अनुदान की निर्मुक्ति पूर्ववर्ती वर्ष के अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद ही की जाती है ।

(ii) मंत्रालय के अधिकारियों के राज्यों में दौरों के दौरान योजनाओं/कार्यक्रमों की पुनरीक्षा भी की जाती है ।

(iii) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी निगरानी रखी जाती है ।

(iv) मंत्रालय समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों के उपयुक्त उपयोग की जांच करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करता है ।

(v) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों का निरीक्षण ।

किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा निधियों का दुर्विनियोजन साबित होने पर, मंत्रालय उस गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में डालने की कार्रवाई आरंभ करता है ।

गैर–सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरूपयोग के संबंध में श्री लक्ष्मण गिलुवा तथा श्री निशिकान्त दुबे द्वारा पूछे गए दिनांक 5.8.2014 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 385 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी निधियों का राज्यवार एवम् योजनावार ब्यौरा

I. **अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता**

क्रम सं.	राज्य का नाम	मंजूर और उपयोग की गई निधियां (लाख रू. में)											
		2011-12			2012-13			2013-14			2014-15 (दिनांक 31.07.2014 तक)		
		एनजीओ की संख्या	सस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	सस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	सस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	सस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि*
1	आंध्र प्रदेश	14	123.50	123.50	9	80.81	80.81	7	54.18	27.62	1	0.28	NA
2	गुजरात	11	81.83	81.83	12	23.28	23.28	15	50.27	28.94	5	9.75	2.49
3	हरियाणा	4	34.11	34.11	0	0.00	0.00	4	15.59	14.22	0	0	0
4	हिमाचल प्रदेश	2	3	6.53	1	6.42	6.42	1	6.53	0	0	0	0
5	जम्मू और कश्मीर	1	11.00	11.00	1	6.72	6.72	1	10.89	7.5	0	0	0
6	कर्नाटक	21	251.30	251.30	15	135.97	135.97	19	224.80	113.6	10	58.72	46.73
7	केरल	1	2.86	2.86	1	0.69	0.69	1	0.69	0.69	0	0	
8	मध्य प्रदेश	21	69.04	6	16	82.59	82.59	28	194.27	173.73	2	8.83	8.83
9	महाराष्ट्र	35	315.85	315.85	31	316.20	316.20	37	379.46	244.26	14	97.86	93.24
10	ओडिशा	21	240.88	240.88	12	110.54	110.54	21	192.25	141.7	8	65.03	65.03
11	राजस्थान	14	101.31	101.31	24	98.00	98.00	18	115.61	115.61	8	40.72	40.72
12	तमिलनाडु	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	40.60	22.41	0	0	0
13	उत्तर प्रदेश	22	183.21	183.21	24	339.33	339.33	19	201.55	143.76	8	44.78	34.97
14	उत्तराखण्ड	4	36.35	36.35	3	31.32	31.32	1	9.81	0	0	0	0
15	पश्चिम बंगाल	6	76.81	76.81	4	50.59	50.59	5	77.33	36.88	3	9.71	9.34
16	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	22	329.37	329.37	9	120.80	120.80	19	208.00	144.02	11	64.24	64.24
17	असम	6	28.15	28.15	6	60.48	60.48	7	63.17	43.57	3	13.51	13.51
18	मणिपुर	8	41.59	41.59	6	18.82	18.82	8	50.49	28.38	1	6.04	6.04
19	त्रिपुरा	1	1.71	1.71	1	3.51	3.51	0	0.00	0.00	0	0	0
	कुल	**214**	**1931.87**	**1931.87**	**175**	**1486.07**	**1486.07**	**213**	**1895.49**	**1286.89**	**74**	**419.46**	**385.14**

* ये राशि–पूर्ववर्ती वर्षों के सस्वीकृत सहायता अनुदान की राशि है इस राशि का उपयोग एनजीओ द्वारा किया गया है, जिनकी प्रतिपूर्ति उन्हे वर्ष 2014–2014 के दौरान की गई है।

II. अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क कोचिंग

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर और उपयोग की गई निधियां (लाख रू॰ में)											
		2011-12			2012-13			2013-14			2014-15 (दिनांक 31.07.2014 तक)		
		एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि*
1	दिल्ली	2	130.98	44.51	0	0	0	6	217.23	45.24	2	10.18	10.18*
2	गुजरात	0	0	0	0	0	0	2	31.50	0	0	0	0
3	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	1	16.74	8.37	1	8.37	8.37*
4	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	13.38	13.38	0	0	0
5	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	केरल	1	27.12	13.56	0	0	0	1	27.81	13.56	0	0	0
7	मध्य प्रदेश	0	0	0	1	24.00	0	6.00	106.39	18.00	1	6.00	6.00*
8	महाराष्ट्र	1	19.12	9.56	0	0	0	4	75.35	17.24	2	21.93	7.68*
9	मणिपुर	0			0	0	0	1	14.70	7.35	1	7.35	7.35*
10	ओडिशा	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	राजस्थान	0			0	0	0	2	27.37	0	0	0	0
12	तमिलनाडु	1	8.25	8.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	उत्तर प्रदेश	1	26.57	17.97	1	8.59	8.59	2	47.00	0	2	33.50	0
	कुल	**6**	**212.04**	**93.85**	**2**	**32.59**	**8.59**	**26**	**577.47**	**123.14**	**9**	**87.33**	**39.58***

* प्रतिपूर्ति के रूप में दूसरी किस्त जारी की गई।

१०

iii. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)

(लाख रू. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013-14		
		एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि
1	असम	2	309.6	0
2	बिहार	1	162.00	0
3	गुजरात	1	67.17	0
4	हरियाणा	1	158.4	0
5	मध्य प्रदेश	1	180.00	0
6	महाराष्ट्र	4	495.24	0
7	मणिपुर	2	177.91	45.00
8	उत्तर प्रदेश	1	28.59	0
	कुल	**13**	**1578.91**	**45.00**

(वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान कोई सहायता अनुदान मंजूर नहीं किया गया)

IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

(लाख रू. में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15 (दिनांक 31.07.2014 तक)		
		एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि
1.	असम	5	12.23	12.23	2	5.24	5.24	2	2.08	0	0	0	0
2.	दिल्ली	1	1.75	1.75	0	0	0	3	202.21	161.30	1	180.00	0
3.	गुजरात	2	2.31	2.31	1	6.20	6.20	3	11.50	5.30	0	0	0
4.	हरियाणा	1	4.52	4.52	3	6.52	6.52	1	4.15	4.15	0	0	0
5.	महाराष्ट्र	11	27.02	23.88	5	11.26	11.26	15	38.81	0	0	0	0
6.	मणिपुर	16	45.90	43.24	4	7.83	5.61	17	40.94	0	0	0	0
7.	ओडिशा	2	4.39	0.69	1	2.50	0	1	2.00	0	0	0	0
8.	राजस्थान	0	0	0	3	0.16	0.16	6	16.78	8.82	3	7.41	0
9.	उत्तराखण्ड	0	0	0	1	2.39	2.39	1	2.34	0	0	0	0
10.	पश्चिम बंगाल	2	3.61	3.61	2	3.61	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	40	101.73	92.23	22	45.71	37.38	49	320.81	179.57	4	187.41	0

V. मद्यपान तथा नशीले पदार्थ (दवा) दुरूपयोग की रोकथाम के लिए सहायता

(लाख रू. में)

	राज्य का नाम	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15 (दिनांक 31.07.2014 तक)		
		एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि
1	आंध्र प्रदेश	14	156.81	156.81	6	36.73	36.73	14	165.42	165.42	0	0.00	0.00
2	बिहार	10	150.11	150.11	4	33.40	33.40	12	131.19	131.19	2	17.29	17.29
3	छत्तीसगढ	2	35.61	35.61	1	9.42	9.42	1	3.93	3.93	2	21.21	21.21
4	गोवा	1	10.46	10.46	1	3.52	3.52	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5	गुजरात	1	55.46	55.46	2	6.62	6.62	2	38.39	38.39	1	3.60	3.60
6	हरियाणा	10	92.26	92.26	6	62.82	62.82	4	65.64	65.64	2	12.32	12.32
7	हिमाचल प्रदेश	1	37.37	37.37	2	15.84	15.84	2	22.28	22.28	0	0.00	0.00
8	जम्मू और कश्मीर	0	20.00	20.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	18.14	18.14
9	झारखंड	1	4.91	4.91	1	6.00	6.00	1	6.91	6.91	0	0.00	0.00
10	कर्नाटक	21	270.28	270.28	14	175.46	175.46	13	118.84	118.84	4	30.17	30.17
11	केरल	19	164.10	164.10	10	78.85	78.85	16	130.69	130.69	7	67.73	67.73
12	मध्य प्रदेश	5	143.73	143.73	8	61.25	61.25	11	107.06	107.06	1	7.38	7.38
13	महाराष्ट्र	42	401.09	401.09	26	271.45	271.45	43	417.19	417.19	4	24.49	24.49
14	ओडिशा	22	260.55	260.55	14	128.09	128.09	23	296.89	296.89	3	26.93	26.93
15	पंजाब	13	151.04	151.04	9	115.78	115.78	2	31.61	31.61	1	9.08	9.08
16	राजस्थान	9	103.80	103.80	8	101.73	101.73	11	159.46	159.46	2	13.21	13.21
17	तमिलनाडु	25	234.70	234.70	13	138.36	138.36	12	107.12	107.12	2	10.50	10.50
18	उत्तर प्रदेश	21	264.77	264.77	19	163.96	163.96	19	207.36	207.36	7	60.96	60.96
19	उत्तराखण्ड	3	30.16	30.16	2	29.26	29.26	2	33.78	33.78	0	0.00	0.00
20	पश्चिम बंगाल	5	161.76	161.76	3	22.48	22.48	9	130.00	130.00	2	21.79	21.79
21	अंडमान और निकोबार		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
22	चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5	0.00	0.00	0	0.00	0.00
23	दादरा और नागर हवेली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
24	दिल्ली	7	140.03	140.03	0	19.33	19.33	0	76.59	76.59	2	2.51	2.51
25	दमन और दीव	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
26	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
27	पुडुचेरी	0	0.00	0.00	0	0.50	0.50	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	(आरओसी)	245	2889.00	2889.00	155	1480.85	1480.85	202	2259.35	2259.35	43	347.31	347.31

1	अरूणाचल प्रदेश	I	9.95	9.95	0	0.00	0.00	1	19.90	19.90	0	0.00	0.00
2	असम	14	128.86	128.86	4	56.61	56.61	7	64.35	64.35	0	0.00	0.00
3	मणिपुर	19	250.45	250.45	14	137.60	137.60	11	95.88	95.88	7	106.65	106.65
4	मेघालय	2	20.06	20.06	I	3.84	3.84	2	16.77	16.77	0	0.00	0.00
5	मिजोरम	9	145.80	145.80	8	83.62	83.62	6	80.22	80.22	0	0.00	0.00
6	नागालैण्ड	5	74.99	74.99	5	29.42	29.42	I	3.48	3.48	1	6.19	6.19
7	त्रिपुरा	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
8	सिक्किम	I	14.93	14.93	0	0.00	0.00	I	9.95	9.95	1	9.95	9.95
	कुल (एनई)	51	645.04	645.04	32	311.09	311.09	29	290.55	290.55	9	122.79	122.79
	कुल (आरओरी+एनई)	**296**	**3533.45**	**3533.45**	**187**	**1791.94**	**1791.94**	231	**2540.90**	**2540.90**	**52**	**470.10**	**470.10***

*** वर्ष 2014–15 के दौरान निमुक्त राशि वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए लंबित एनजीओ के प्रस्तावों हेतु है।**

VI समेकित वृद्धजन कार्यक्रम

(लाख रू. में)

S. No.	Name of State	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15 (दिनांक 31.07.2014 तक)		
		एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि *	उपयोग की गई राशि **
1	आंध्र प्रदेश	92	478.74	478.74	68	365.07	365.07	61	347.24	347.24	12	39.87	0
2	बिहार	1	2.44	2.44	3	20.44	20.44	2	8.21	8.21	0	0.00	0
3	छत्तीसगढ़	2	9.03	9.03	3	12.22	12.22	1	4.88	4.88	0	0.00	0
4	गोवा	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
5	गुजरात	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
6	हरियाणा	11	50.73	50.73	11	48.28	48.28	14	56.45	56.45	0	0.00	0
7	हिमाचल प्रदेश	2	4.99	4.99	1	6.10	6.10	2	9.82	9.82	1	1.31	0
8	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
9	झारखंड	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
10	कर्नाटक	37	237.03	237.03	32	229.33	229.33	17	84.10	84.10	0	0.00	0

11	केरल	2	6.90	6.90	0	0.00	0.00	2	11.33	11.33	0	0.00	0
12	मध्य प्रदेश	2	14.79	14.79	2	21.52	21.52	3	11.60	11.60	0	0.00	0
13	महाराष्ट्र	21	133.32	133.32	22	152.23	152.23	30	157.04	157.04	1	12.96	0
14	ओडिशा	41	356.90	356.90	37	303.06	303.06	44	354.43	354.43	3	11.61	0
15	पंजाब	8	31.62	31.62	2	5.79	5.79	5	16.71	16.71	2	5.14	0
16	राजस्थान	3	8.89	8.89	1	4.88	4.88	3	17.59	17.59	1	3.78	0
17	तमिलनाडु	45	242.14	242.14	46	257.72	257.72	8	30.73	30.73	0	0.00	0
18	तेलंगाना	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
19	उत्तर प्रदेश	13	39.29	39.29	15	83.88	83.88	11	60.73	60.73	0	0.00	0
20	उत्तराखण्ड	2	5.87	5.87	2	23.22	23.22	4	26.75	26.75	0	0.00	0
21	पश्चिम बंगाल	22	141.43	141.43	10	42.14	42.14	23	182.36	182.36	5	13.27	0
संघ राज्य क्षेत्र													
22	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
23	चंड़ीगढ़	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
24	दादरा और नागर हवेली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
25	दमन और दीव	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0

26	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
27	दिल्ली	3	18.76	18.76	5	43.46	43.46	4	46.67	46.67	0	0.00	0
28	पुडुचेरी	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य													
29	अरूणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	1	4.08	4.08	0	0.00	0.00	0	0.00	0
30	असम	13	77.48	77.48	12	77.71	77.71	7	50.07	50.07	0	0.00	0
31	मणिपुर	24	121.67	121.67	21	112.12	112.12	14	79.90	79.90	0	0.00	0
32	मेघालय	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
33	मिजोरम	1	6.18	6.18	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
34	नागालैण्ड	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
35	सिक्किम	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
36	त्रिपुरा	3	10.81	10.81	2	7.78	7.78	0	0.00	0.00	0	0.00	0
कुल		348	1999.01	1999.01	296	1821.03	1821.03	255	1556.61	1556.61	25	87.94	0

* वर्ष 2014-15 के दौरान निर्मुक्त राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए एनजीओ के संबित प्रस्तावों के लिए है।

** उपयोग प्रमाण-पत्र वर्ष 2014-15 के दौरान निर्मुक्त राशि के लिए अभी देय नहीं है।

VII. सहायक यंत्रों एवम् उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता.

(लाख रू. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		1013-14		2014-15 (दिनांक 31.07.2014 तक)	
		एनजीओ की संख्या	जारी की गई राशि	एनजीओ की संख्या	जारी की गई राशि	एनजीओ की संख्या	जारी की गई राशि	एनजीओ की संख्या	जारी की गई राशि
1	आंध्र प्रदेश	1	126.00	2	68.50	1	75.00	-	-
2	बिहार	5	77.25	7	68.00	7	143.99	-	-
3	चंड़ीगढ़	-	-	1	18.00	3	12.00	-	-
4	गोवा	1	3.00	1	6.00	-	-	-	-
5	गुजरात	3	103.80	11	79.80	7	40.40	-	-
6	हरियाणा	2	8.50	4	24.65	3	12.40	-	-
7	हिमाचल प्रदेश	-	-			-	-	-	-
8	जम्मू और कश्मीर	-	-	1	3.60	1	25.90	-	-
9	झारखंड	-	-	1	9.00	2	20.86	-	-
10	कर्नाटक	1	31.00	3	19.50	1	16.50	-	-
11	केरल	-	-	1	42.10	-	-	-	-
12	मध्य प्रदेश	-	-	6	90.90	4	87.18	-	-
13	महाराष्ट्र	6	115.75	12	185.40	13	182.73	-	-
14	ओडिशा	5	124.00	5	110.50	6	148.75	-	-
15	पंजाब	3	21.88	2	9.12	1	6.00	-	-
16	राजस्थान	2	302.00	2	208.50	2	151.33	-	-
17	तमिलनाडु	4	94.36	1	10.05	1	9.60	-	-
18	उत्तर प्रदेश	12	280.67	11	110.30	13	126.59	-	-
19	उत्तराखण्ड	4	23.00	2	8.00	1	3.00	-	-
20	पश्चिम बंगाल	2	23.33	4	45.05	2	23.25	-	-

21	अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	-	-	-	-
22	चंड़ीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
23	दादरा और नागर हवेली	1	3.00	-	-	1	2.25	-	-
24	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-	-
25	दिल्ली	2	16.65	3	49.50	3	37.88	-	-
26	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-
27	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-
28	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
29	असम	10	180.25	11	223.75	13	313.95	-	-
30	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
31	मेघालय	-	-	1	21.57	-	-	-	-
32	मिजोरम	-	-	-	-	1	4.50	-	-
33	नागालैण्ड	-	-	1	18.50	-	-	1	6.60
34	सिक्किम	-	-	1	7.25	-	-	-	-
35	त्रिपुरा	-	-	1	11.25	3	26.69	-	-
36	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**63**	**1534.44**	**95**	**1448.79**	**89**	**1470.75**	**1**	**6.60**

VIII. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):

क्रम सं.	राज्य का नाम	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	एनजीओ की संख्या	संस्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	उपयोग प्रमाण पत्र अभी देय नहीं
2	आंध्र प्रदेश	95	2500.72	2500.72	105	1275.50	1275.50	98	1538.08	1538.08	30	364.19	
3	अरूणाचल प्रदेश	1	9.66	9.66	0	0.00	0.00	2	20.06	20.06	0	0.00	
4	असम	16	174.00	174.00	13	119.75	119.75	22	162.31	162.31	6	33.31	
5	बिहार	8	137.67	137.67	7	43.43	43.43	8	90.39	90.39	1	24.44	
6	चंड़ीगढ़	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
7	छत्तीसगढ	4	54.68	54.68	3	11.87	11.87	6	80.56	80.56	1	2.69	
8	दादरा और नागर हवेली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
9	दमन और दीव	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
10	दिल्ली	12	188.78	188.78	15	137.98	137.98	16	229.23	229.23	1	9.81	
11	गोवा	0	0.00	0.00	1	11.60	11.60	1	3.25	3.25	0	0.00	
12	गुजरात	8	49.68	49.68	8	30.95	30.95	19	113.80	113.80	1	2.10	
13	हरियाणा	16	159.14	159.14	12	87.35	87.35	12	273.21	273.21	4	21.34	
14	हिमाचल प्रदेश	3	38.30	38.30	7	28.14	28.14	6	39.54	39.54	1	4.89	
15	जम्मू और कश्मीर	3	15.62	15.62	1	3.67	3.67	1	3.73	3.73	0	0.00	
16	झारखंड	0	0.00	0.00	2	9.17	9.17	2	3.85	3.85	0	0.00	
17	कर्नाटक	57	1146.62	1146.62	44	348.00	348.00	47	480.87	480.87	6	38.37	
18	केरल	47	1005.92	1005.92	52	488.05	488.05	56	572.88	572.88	9	62.96	

19	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
20	मध्य प्रदेश	14	158.72	158.72	18	102.78	102.78	19	120.12	120.12	3	27.06
21	महाराष्ट्र	12	228.91	228.91	25	111.50	111.50	19	146.12	146.12	8	38.92
22	मणिपुर	13	191.06	191.06	19	128.05	128.05	21	324.80	324.80	7	22.96
23	मेघालय	5	63.99	63.99	3	79.86	79.86	1	15.45	15.45	1	8.02
24	मिजोरम	2	22.67	22.67	1	5.89	5.89	1	2.03	2.03	1	20.03
25	नागालैण्ड	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
26	ओडिशा	43	605.58	605.58	41	399.85	399.85	39	608.58	608.58	3	18.85
27	पुडुचेरी	1	12.65	12.65	1	12.05	12.05	1	6.28	6.28	0	0.00
28	पंजाब	9	97.64	97.64	7	47.72	47.72	2	13.54	13.54	2	8.81
29	राजस्थान	16	144.45	144.45	22	111.67	111.67	25	159.19	159.19	3	7.34
30	सिक्किम	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
31	तमिलनाडु	33	405.10	405.10	22	199.87	199.87	32	375.41	375.41	7	22.68
32	त्रिपुरा	2	10.66	10.66	2	12.58	12.58	2	25.14	25.14	0	0.00
33	उत्तर प्रदेश	39	597.64	597.64	48	503.76	503.76	49	590.02	590.02	7	25.34
34	उत्तराखण्ड	7	63.83	63.83	6	45.35	45.35	6	27.95	27.95	3	22.61
35	पश्चिम बंगाल	32	544.52	544.52	33	342.72	342.72	35	337.70	337.70	3	12.90
	कुल	**498**	**8628.21**	**8628.21**	**518**	**4699.11**	**4699.11**	**548**	**6364.09**	**6364.09**	**108**	**789.64**

IX. जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) को संस्वीकृत निधियां

(लाख रू. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		डीडीआरसी की संख्या	संस्वीकृत एवम् उपयोग की गई निधियां	डीडीआरसी की संख्या	संस्वीकृत एवम् उपयोग की गई निधियां	डीडीआरसी की संख्या	संस्वीकृत एवम् उपयोग की गई निधियां	डीडीआरसी की संख्या	संस्वीकृत एवम् उपयोग की गई निधियां
1.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	1	17.20	1	17.20	2	27.40	0	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	11.80	1	11.73	1	9.04	0	0
4.	असम	2	22.310	1	18.82	5	69.97	0	0
5.	बिहार	4	104.17	0	0	3	27.00	1	2.11
6.	गुजरात	4	38,66	0	0	5	29.85	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0.34	0	0	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	1	9.21	2	21.43	0	0
10.	झारखंड		---	1	1.02	1	3.23	0	0
11.	कर्नाटक	1	2.77	0	0	0	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	3	21.25	2	11.54	12	81.95	2	6.,61
13.	महाराष्ट्र	4	28.39	2	17.51	4	60.16	0	0
14.	मणिपुर	1	11.50	1	4.21	0	0	1	4.09
15.	मेघालय	1	4.05	0	0	1	11.82	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	ओडिशा	1	8.93	0	0	0	0	0	0
18.	पंजाब	0	0	2	15.67	3	26.10	0	0
19.	पुडुचेरी	2	15.66	0	0	1	3.81	0	0
20.	राजस्थान	6	42.40	0	0	1	12.14	1	4.80
21.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	त्रिपुरा	0	0	2	21.87	2	23.49	0	0
23.	उत्तर प्रदेश	3	39.96	2	16.08	16	222.03	0	0
24.	उत्तराखण्ड	1	8.96	2	14.66	0	0	1	5.43
25.	पश्चिम बंगाल	3	48.02	6	71.00	3	41.77	0	0
	कुल	**37**	**427.05**	**25**	**230.87**	**62**	**670.29**	**6**	**23.03**

अनुबंध-II

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग के संबंध में श्री लक्ष्मण गिलुवा और श्री निशिकान्त दुबे द्वारा पूछे गए दिनांक 05.08.2014 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 385 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा निधियों का दुरुपयोग/दुर्विनियोजन से संबंधित शिकायतों की राज्य-वार और योजना-वार संख्या और पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान की गई कार्रवाई

अनुसूचित जाति प्रभाग

क्रम सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है।	शिकायत का स्वरूप	की गई कार्रवाई
1.	बी.एस. पब्लिक स्कूल, ग्राम महियानवाली, श्रीगंगानगर, राजस्थान	फर्जी गैर-सरकारी संगठन चलाना	शिकायत की प्राप्ति पर, राज्य सरकार से रिपोर्ट आने तक इस एनजीओ को सहायता अनुदान रोक दिया गया था। राज्य सरकार ने निरीक्षण के बाद सहायता अनुदान की सिफारिश की। तथापि, हाल ही में, इस परियोजना का निरीक्षण इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया गया था और इसे बंद पाया गया क्योंकि यह 2013-14 से काम नहीं कर रहा था।
2.	जय भवानी पब्लिक स्कूल समिति, श्रीगंगानगर, राजस्थान	फर्जी गैर-सरकारी संगठन चलाना	शिकायत की प्राप्ति पर, राज्य सरकार से रिपोर्ट आने तक इस एनजीओ को सहायता अनुदान रोक दिया गया था। राज्य सरकार ने निरीक्षण के बाद सहायता अनुदान की सिफारिश की। तथापि, हाल ही में, इस परियोजना का निरीक्षण इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया गया था और इसे बंद पाया गया क्योंकि यह 2012-13 से काम नहीं कर रहा था।
3.	4 एल.एल. पब्लिक स्कूल, सद्भावना नगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान	फर्जी गैर-सरकारी संगठन चलाना	शिकायत की प्राप्ति पर, राज्य सरकार से रिपोर्ट आने तक इस एनजीओ को सहायता अनुदान रोक दिया गया था। राज्य सरकार ने निरीक्षण के बाद सहायता अनुदान की सिफारिश की। तथापि, हाल ही में, इस परियोजना का निरीक्षण इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया गया था और इसे बंद पाया गया क्योंकि यह 2013-14 से काम नहीं कर रहा था।
4.	सीमावर्ती महिला कल्याण सोसायटी, पटाखा फैक्टरी रोड, पुरानी आबादी, 7 नम्बर निकट स्कूल, श्रीगंगानगर, राजस्थान	फर्जी गैर-सरकारी संगठन चलाना	शिकायत की प्राप्ति पर, राज्य सरकार से रिपोर्ट आने तक इस एनजीओ को सहायता अनुदान रोक दिया गया था। राज्य सरकार ने निरीक्षण के बाद सहायता अनुदान की सिफारिश की। तथापि, हाल ही में, इस परियोजना का निरीक्षण इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया गया था और इसे बंद पाया गया क्योंकि यह 2010-11 से काम नहीं कर रहा था।
5.	मीरा त्रिपाठी स्मृति सेवा	निधियों का	शिकायत की प्राप्ति पर, इस एनजीओ को सहायता अनुदान

	संस्थान, गौरीगंज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	दुरुपयोग	रोक दिया गया था। हाल ही में, मंत्रालय के अधिकारियों ने परियोजना का निरीक्षण किया और यह पाया कि यह संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहा है।
6.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण और विकास सोसायटी, नई दिल्ली	निधियों का दुरुपयोग	यह एनजीओ, अनुसूचित जातियों के लिए काम कर रहे एनजीओ को सहायता अनुदान की योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित तीन परियोजनाएं चला रहा है। इन परियोजनाओं का कार्य-करण संतोषजनक पाया गया है। विगत में, इस एनजीओ की पुस्तकालय परियोजना का निरीक्षण 03.07.2012 को इस मंत्रालय के अधिकारी द्वारा किया गया था और इस एनजीओ के असंतोषजनक कार्य के कारण, इसे 24.12.2012 के आदेश द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। बाद में, इस परियोजना का निरीक्षण 28.06.2013 को पुनः किया गया था और इस एनजीओ को 03.02.2014 के आदेश द्वारा ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया था। हाल ही में, सीवीसी के माध्यम से एक और शिकायत प्राप्त हुई है। यह मामला जांचाधीन है।

अन्य पिछड़ा वर्ग

क्रम सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	शिकायत का स्वरूप	की गई कार्रवाई
7.	श्री गोपाल शिक्षण और समाज सेवा समिति (मध्य प्रदेश)	फर्जी दस्तावेजों का उपयोग	इन एनजीओ की आगे की सहायता अनुदान रोक दी गई है और उन्हें नोटिस जारी करके, उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए।
8.	कमला स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रसारक समिति (मध्य प्रदेश)	फर्जी दस्तावेजों का उपयोग	
9.	पवन ग्रामीण समाज सेवा समिति (मध्य प्रदेश)	फर्जी दस्तावेजों का उपयोग	
10.	आकांक्षा बहुद्देशीय संस्थान (महाराष्ट्र)	मानदंड के अनुसार काम नहीं करना।	
11.	संत साईंनाथ मार्डन पब्लिक शिक्षा समिति (दिल्ली)	निधियों का दुरुपयोग	इस एनजीओ को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

यंत्र और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता

क्रम सं.	गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम	शिकायत का स्वरूप	की गई कार्रवाई
12.	धालोफर ग्रामीण	प्रयोजन के लिए प्राप्त	असम राज्य सरकार और एनजीओ से 11.10.2013 को यह

	विकास केन्द्र, करीमगंज, असम	अनुदान से जिले में कैम्प का आयोजन न करना।	अनुरोध किया गया है कि वे लाभार्थियों की रजिस्टर, 01.03.2013 से 20.06.2013 की बैंक स्टेटमेंट, लाभार्थियों के नि:शक्तता प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाण-पत्र की एक-एक प्रति प्रस्तुत करें। 04.05.2014 को अनुस्मारक जारी किया गया।
13.	पटेल नगर विकास समिति लखनऊ, उत्तर प्रदेश	वर्ष 2011-12 में जारी सहायता अनुदान का उपयोग न करना।	मंत्रालय में नोडल अधिकारी को निरीक्षण करने का निदेश दिया गया है।
14.	डीडीआरसी, अलमोड़ा मानव कल्याण समिति) उत्तराखंड	निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान से प्राप्त प्रतिकूल निरीक्षण रिपोर्ट	मंत्रालय में नोडल अधिकारी को निरीक्षण करने का निदेश दिया गया है।
15.	डीडीआरसी, हरिद्वार (हैप्पी फेमिली हेल्थकेयर और रिसर्च एसोसिएशन)	लाभार्थियों की आय में विसंगतियां पाई गई तथा फर्जी बिलों की प्रस्तुति।	मंत्रालय के नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उसकी जांच की गई जिसके परिणामस्वरूप सीसीए से 02.05.2014 को यह अनुरोध किया गया है कि गैर-सरकारी संगठन के लेखे की विशेष लेखा-परीक्षा करवाई जाए।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान जारी किए गए सहायता अनुदान के संबंध में एडिप योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की स्थिति

क्रम सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	शिकायत का स्वरूप	टिप्पणी
16.	प्रबंधन संसाधन विकास संस्थान, नौगांव, असम	वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान का दुरुपयोग	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारियों से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। चूंकि राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं, अत: आयुक्त एवं सचिव, असम राज्य सरकार से अपने विचार/टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
17.	चित्रगुप्ता शिक्षण संस्थान, ग्राम व डाकघर - सकलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान का दुरुपयोग	मुख्य आयुक्त, नि:शक्त व्यक्ति कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.01.2014 को इस संगठन को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस संगठन से कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त हो गया है।
18.	डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश	वर्ष 2010-11 के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान के उपयोग के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना।	मंत्रालय ने संगठन को 31.07.2014 तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि वे यह बताएं कि उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई क्यों न की जाए और वर्ष 2010-11 के लिए संगठन को दी गई सहायता अनुदान की पूरी राशि दंड ब्याज के साथ क्यों न वसूल की जाए, संपूर्ण अनुदान राशि की वसूली के लिए एफआईआर क्यों न दर्ज की जाए तथा संगठन को क्यों न ब्लैकलिस्ट किया जाए।
19.	रत्न निधि चैरीटेबल ट्रस्ट, मुम्बई	वर्ष 2010-11 के दौरान सहायता अनुदान के संबंध में एनजीओ का निरीक्षण करवाने के लिए मंत्रालय द्वारा लिया गया निर्णय।	अधिकारियों की टीम द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, 13.03.2012 को संगठन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। विशेष लेखा-परीक्षा भी की गई थी। मंत्रालय में विशेष लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई और उसकी जांच की गई। संगठन को स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें दिनांक 01.07.2014 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना

क्रम सं.	संगठन का नाम	शिकायत का स्वरूप	की गई कार्रवाई
20.	एक्शन फॉर वाटर एंड रूरल डेवलपमेंट, तमिलनाडु	गैर-सरकारी संगठन समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है।	मामला राज्य सरकार को भेज दिया गया।
21.	विकलांगजन विकास परिषद, आगरा	गैर-सरकारी संगठन समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है।	जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र भेजा गया था। शिकायत निराधार पाई गई थी।
22.	पं. दीनदयाल विकलांग	गैर-सरकारी संगठन समुचित रूप से कार्य नहीं	जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को एक

	कल्याण समिति, वाराणसी	कर रहा है।	पत्र भेजा गया था।
23.	एनएबी, फिरोजपुर, राजस्थान	गैर-सरकारी संगठन समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है।	जांच के लिए राज्य प्राधिकारियों को एक पत्र भेजा गया था।
24.	भारतीय ग्रामीण पुनर्निर्माण और सामाजिक परिवर्तन संस्थान, बिहार	संगठन क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा संचालित है और निधियों का उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है।	निरीक्षण और सत्यापन के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजे गए थे। दोनों प्राधिकारियों से संतोषजनक उत्तर प्राप्त हो गए हैं।
25.	नेत्रहीन संस्थान, दिल्ली	संगठन के सचिव द्वारा दुर्व्यवहार	शिकायत निराधार पाई गई थी।
26.	सीमा सेवा संस्थान, लखनऊ	गैर-सरकारी संगठन समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है।	शिकायत निराधार पाई गई थी।

(Q.385)

श्री लक्ष्मण गिलुवा : अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में स्थापित गैर-सरकारी संगठन के नियंत्रण की प्रक्रिया प्रभावशील है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इसे और अधिक प्रभावशील बनाने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? क्या नए एनजीओ में बदलाव के लिए कोई नीति पर सरकार कोई विचार कर रही है?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनके नियंत्रण के लिए मानीटरिंग की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार के अधिकारी स्वयं जाकर के भी उनके कारोबार को देखते हैं। राज्य सरकार को पत्र लिखकर या वहां के मंत्रालय से और वहां के अधिकारियों के द्वारा भी उनकी जांच-पड़ताल की जाती है। नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से जो-जो खामियां हमें दिखायी दे रही हैं, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसको लागू करने का प्रयास हम करेंगे।

श्री लक्ष्मण गिलुवा : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम, झारखंड में एनजीओ का कार्य तो हो रहा है, लेकिन आप उसको हकीकत में देखेंगे तो वह जमीन में कहीं दिखायी नहीं पड़ता है। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र वर्तमान में काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, साथ ही साथ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक धनराशि का प्रबंध होना चाहिए। साथ ही साथ जो एनजीओ क्षेत्र में काम नहीं करते हैं उन पर सरकार कार्रवाई करे, क्या इसके लिए सरकार कोई कदम उठा रही है?

माननीय अध्यक्ष : इनको सोशल ऑर्गेनाइजैशंस कहें तो वे सामाजिक काम करेंगे। इन्हें एनजीओ नहीं कहिए।

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, गैरसरकारी संगठनों के द्वारा वे जिस क्षेत्र में काम करते हैं, राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव हमारे विभाग, हमारे मंत्रालय के पास आते हैं। झारखंड से वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 में 4 एनजीओज के प्रस्ताव आए थे, उन चारों को हमने स्वीकृति दे दी थी। अभी दो प्रस्ताव विचाराधीन है। 'हरिजन सेवक संघ' नामक एक संस्थान अखिल भारतीय स्तर पर है। वह भी पलामू में एनजीओ के रूप में विद्यालय चलाता है। माननीय सांसद और किसी प्रकार की जानकारी देंगे, तो हम उस संबंध में भी जानकारी दे देंगे। अगर वहां से कोई प्रस्ताव आएगा तो हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, 10 सालों से एनजीओ कुकुरमुत्ते की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आपने खुद कहा है कि 26 अलेज्ड मिसयूज के केसेज हैं। इस देश में डेवलपमेंट के लिए कहीं पावर प्लांट बनाना हो तो उसे एनजीओ रोकने का प्रयास करता है, कहीं डैम बनता हो तो एनजीओ उसे रोकने का प्रयास करता है। इनके कारण कपार्ट जैसी संस्था खत्म हो गई है। आप रूरल डेवलपमेंट कमेटी की अध्यक्षा रह चुकी हैं। कपार्ट जैसी संस्था इन्हीं एनजीओज के कारण खत्म हो गई है। वर्ष 2007 में सीएजी ने 14वीं रिपोर्ट दी जिसके आधार पर मंत्री महोदय ने मुझे उत्तर दिया है कि एनजीओ के पास यूटीलाइजैशन सर्टिफिकैट होना जरूरी है, तब वह उन्हें पैसा देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं, उनका मॉनिटरिंग करते हैं, उनका इवैल्यूएशन करते हैं और उनके बाद उसका इंस्पेक्शन करते हैं, इसके बाद ही उनको पैसा दिया जाता है। यह उन्होंने अपने जवाब में कहा है। यहां दिल्ली के सांसद बैठे हुए हैं। मैंने आर.टी.आई. से कुछ क्वैरिज मंगाई है। इंडियन स्पाइनल इंज्यूरी सेन्टर, वसंतकुंज को आपका डिपार्टमेंट पैसा देता है। मुझे पता नहीं है कि यह आपकी जानकारी में है या नहीं है? मैं भी 25 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, प्रश्न यही है। एक तो मैंने यह उदारहण दिया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट से संबंधित बहुत बड़ा केस हुआ था, आपको पता है, इन्होंने उत्तर में उसके बारे में कहा। यह वर्ष 2010-11 का केस था। इसमें इन्होंने जवाब में कहा है कि वर्ष 2010-11 का जो यह टेंशन है - डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट का, आपको पता है कि उसमें केन्द्रीय मंत्री इन्वॉल्व थे लेकिन उसका एफ.आई.आर. अभी तक लॉज नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ष 2014 तक उसका एफ.आई.आर लॉज नहीं हुआ है। सी.ए.जी. ने आपको जो पांच प्वाइंट्स कहा है उनके आधार पर आपने जो जवाब दिया है तो आप बताएं कि आप किस तरह से इंस्पैक्शन और मॉनिटरिंग कर रहे हैं? भविष्य में इस संबंध में आपका मंत्रालय क्या करने वाला है? मैं आपके माध्यम से यह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, बहुत सारे उत्तर तो उन्होंने ही दिऐ हैं कि हम एनजीओज को जब धनराशि आवंटित करते हैं तो कौन-कौन सी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। ...(व्यवधान) हमने वर्ष 2011-12 में 1465 और वर्ष 2012-13 में 1295 वर्ष 2013-14 में 1424 एनजीओज को धन राशि आवंटित की है। इन सबमें नियम-प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया गया है। 26 एनजओएज ऐसे हैं, जिनके खिलाफ शिकायत आई है। हमने 4 एनजीओज को ब्लैक लिस्टेड किया है। हम शिकायत की जांच राज्य सरकार के माध्यम से कराते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां से जो अधिकारी गए हैं उन्होंने जिसे दोषी पाया, परन्तु राज्य सरकार ने रिपोर्ट भेजी कि नहीं, वह तो सही काम कर रहे हैं। अनेक

जगह से ऐसी बातें आती हैं जिनमें विलंब होता है। डा. जाकिर हुसैन नामक संस्थान की जो बात माननीय सांसद ने कही है, वह जांच विचाराधीन है और उस पर गंभीर विचार-विमर्श के बाद एफ.आई.आर. दर्ज करने की आवश्यकता होगी तो वह भी तत्काल करने की कार्रवाई करेंगे।

श्री नन्दी एल्लैया : अध्यक्ष महोदया, वॉलंट्री आर्गनाइजेशन के बारे में मंत्री जी का उत्तर है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लोक सभा या राज्य सभा में जितने इलैक्टेड मैम्बर्स हैं, उन्हें फंड्स के बारे में कभी पता नहीं चलता। क्या कलैक्टर्स इस बारे में कभी जांच करते हैं? किन-किन कैटेगरीज में उनका काम होता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि उत्तर में लिखा हैं लेकिन वहां के क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। भिन्न-भिन्न प्रकार के आइटम्स होते हैं, एनजीओज आर्गनाइजेशन की जांच करनी चाहिए। लोक सभा या राज्य सभा के सदस्यों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : आप लिख लीजिए। यह इनकी सजैशन है।

श्री थावर चंद गहलोत : ठीक है, धन्यवाद।

श्री नन्दी एल्लैया : मंत्री जी ने क्या बोला है, मुझे समझ में नहीं आया।..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बताइए कि यह सजैशन है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, हम नियम प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं और कौन सा एनजीओ कहां स्थापित है, उनकी क्या गतिविधियां हैं, उसकी जानकारी और उन्हें जो पैसा स्वीकृत करते हैं, उसकी सारी प्रक्रिया है। कलैक्टर या राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव आता है। जहां तक यह सवाल है कि जनप्रतिनिधियों को उसकी जानकारी नहीं होती, मैं इस संबंध में विभाग में आवश्यक विचार-विमर्श करूंगा। अगर जनप्रतिनिधियों की इसमें कोई भूमिका होगी तो उसे भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। एनजीओ गैर-सरकारी संगठन है। वह प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं जो राज्य सरकार के माध्यम से हमारे पास आता है। हम उसे स्वीकृति दे देते हैं, परन्तु मौके पर जो काम होता है, अगर जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में रूचि लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें कसावट भी आएगी।

SHRI KALYAN BANERJEE : Madam Speaker, I am deeply obliged for giving me this chance. In our country, there are mushrooms of NGOs everywhere. Some persons become important all of a sudden. If you just check up with them, then they will say that they are running NGOs. Now the problem is that there are not

sufficient laws to control the NGOs. I am very happy that the hon. Minister for Law is also here. Sufficient laws are not there to control NGOs. There is no accountability of these NGOs as well. Nobody knows about it and there is no procedure laid down in this regard.

I was going through page 12 of the answer given by the hon. Minister. I do not find, from these answers, any *suo motu* action taken by the Department for proceeding against them. They take action only on the basis of the complaints received. I have a question to the hon. Minister. Do the Executives initiate appropriate proceedings against the erring NGOs, specially where politicians are involved? If you lift the veil, you may find that many politicians are involved.

What steps have been taken by the Executives of the Ministry in this regard? They take action on the basis of complaints. Complaints are received and thereafter, the Executives have woken up. I am not blaming you as you have been here for the last three months. I know the background. The question is whether the Executives are working on them or not. They should not wake up only on the basis of complaints received. They have to wake up and initiate proceedings *suo motu*. I want to know whether steps have been taken on their own in this matter. If this is so, in how many cases they have taken action and in how many cases are politicians involved? If you lift the veil, you may find some politicians involved and steps are required in such cases. I want to know whether the Executives have taken action in such cases or not.

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, मैंने बताया कि नियम प्रक्रिया बनी हुई है और उसी के आधार पर एनजीओज के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हैं। हम वार्षिक तौर पर जांच करते हैं, ऑडिट भी करवाते हैं, अर्ध-वार्षिक जांच की व्यवस्था भी है। अमल की कार्यवाही सीधे केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। हम उन सब माध्यमों से जांच करवाते हैं। एक खामी हमें भी दिखाई देती है कि लायेबिलिटी या एकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और यह होने के बाद अगर कोई अपराधी पाया जाता है, तो दंड का प्रावधान भी करना चाहिए। विभागीय स्तर पर हम इस विषय पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अगर आवश्यकता होगी, तो इस आशय से कदम उठायेंगे।

परिशिष्ट पंद्रह

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2593

जिसका उत्तर दिनांक 09.12.2014 को दिया गया

वृद्धजन संबंधी राष्ट्रीय नीति

2593. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वृद्धजनों संबंधी राष्ट्रीय नीति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) देश में राज्यों द्वारा उक्त नीति के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वृद्धजनों को दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय साम्पला): (क) राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी), 1999 में वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, आहार, आश्रय, शिक्षा, कल्याण तथा वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:

- व्यष्टियों को स्वयं के साथ-साथ अपने पति/पत्नी की वृद्धावस्था हेतु प्रावधान करने के लिए प्रोत्साहित करना;
- परिवारों को अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना;
- स्वैच्छिक तथा गैर-सरकारी संगठनों को योग्य बनाना तथा उनका समर्थन करना ताकि वे परिवार द्वारा उपलब्ध करायी गयी देखभाल में और वृद्धि कर सकें;
- असुरक्षित वृद्धजनों को देखभाल एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाना;
- वृद्धजनों को पर्याप्त स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सुविधा उपलब्ध करवाना;
- अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सुविधाओं को प्रोत्साहन देना;
- पराचिकित्सा संबंधी देखभाल करने वाले लोगों तथा वृद्धजनों हेतु सेवाएं देने वाले आयोजकों को प्रशिक्षण देना; और

- वृद्धजनों को उत्पादक तथा स्वतंत्र जीवन जीने में सहायता करने के लिए उनके संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना।

(ख) यह सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, यह राज्यों से एकत्र की जा रही है।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समेकित वृद्धजन कार्यक्रम (आईपीओपी) की केन्द्र सैक्टर की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों/पंचायती राज संस्थानों/स्थानीय निकायों आदि को वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों, चल चिकित्सा देखभाल यूनिटों आदि के संचालन तथा रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान आईपीओपी के तहत सहायता अनुदान की निर्मुक्त की गयी राशि के बारे में राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 9.12.14 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2593 के भाग (ग) में संदर्भित विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं॰	राज्य का नाम	2011-12 निर्मुक्त निधियां	2012-13 निर्मुक्त निधियां	2013-14 निर्मुक्त निधियां
1.	आंध्र प्रदेश	478.74	365.07	347.24
2.	बिहार	2.44	20.44	8.21
3.	छत्तीसगढ़	9.03	12.22	4.88
4.	गोवा	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	0.00	0.00	0.00
6.	हरियाणा	50.73	48.28	56.45
7.	हिमाचल प्रदेश	4.99	6.10	9.82
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
9.	झारखंड	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	237.03	229.33	84.10
11.	केरल	6.90	0.00	11.33
12.	मध्य प्रदेश	14.79	21.52	11.60
13.	महाराष्ट्र	133.32	152.23	157.04
14.	ओडिशा	356.90	303.06	354.43
15.	पंजाब	31.62	5.79	16.71
16.	राजस्थान	8.89	4.88	17.59
17.	तमिलनाडु	242.14	257.72	30.73
18.	तेलगांना	0.00	0.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	39.29	83.88	60.73
20.	उत्तराखंड	5.87	23.22	26.75
21.	पश्चिम बंगाल	141.43	42.14	182.36
संघ राज्यक्षेत्र				
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
23.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00

(लाख रुपए में)

क्रम सं॰ राज्य का नाम	2011-12 निर्मुक्त निधियां	2012-13 निर्मुक्त निधियां	2013-14 निर्मुक्त निधियां
24. दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
25. दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
26. लक्षदीप	0.00	0.00	0.00
27. दिल्ली	18.76	43.46	46.67
28. पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00
पूर्वोत्तर राज्य			
29. अरुणाचल प्रदेश	0.00	4.08	0.00
30. असम	77.48	77.71	50.07
31. मणिपुर	121.67	1122.12	79.90
32. मेघालय	0.00	0.00	0.00
33. मिजोरम	6.18	0.00	0.00
34. नागालैंड	0.00	0.00	0.00
35. सिक्किम	0.00	0.00	0.00
36. त्रिपुरा	10.81	7.78	0.00
कुल	1999.01	1821.03	1556.61

परिशिष्ट – सोलह

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1858
उत्तर देने की तारीख: 14.03.2017

बच्चों में नशे की लत

1858. श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में सरकार को बच्चों में ड्रग, शराब और नशीले पदार्थ की लत को रोकने के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के निदेश दिए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ग) बच्चों विशेषत: किशोरों में नशे की लत की व्यापक समस्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ताजा कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय साम्पला)

(क) से (ग): उच्चतम न्यायालय ने 2014 की रिट याचिका (सिविल) सं. 906 के संबंध में दिनांक 14.12.2016 को दिए अपने निर्णय के अंतर्गत निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

i छः माह की अवधि के भीतर राष्ट्रीय सर्वेक्षण पूरा किया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तैयार किया जाए;
ii चार माह की अवधि के भीतर एक व्यापक राष्ट्रीय योजना तैयार की जाए और उसे लागू किया जाए जो अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व में पता लगाए गए तत्काल ध्यान देने योग्य क्षेत्रों की समस्या को भी हल करेगी;
iii नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तत्वावधान के अंतर्गत स्कूल के पाठ्यक्रम में विशिष्ट विषयवस्तु को शामिल किया जाए।

सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

मंत्रालय ने माह अगस्त, 2016 में भारत में नशीले पदार्थ की सीमा एवं पैटर्न के बारे में राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराने का कार्य नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी), एम्स, नई दिल्ली को सौंपा है जिसे 2018 तक पूरा किया जाना है।

इस मंत्रालय ने नशीली दवा की मांग में कमी लाने संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाई है जिसे फिलहाल, माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह को भेज दिया गया है।

मंत्रालय ने नशीली दवाओं के दुरूपयोग की समस्या को दूर करने के लिए समन्वित कार्य करने के लिए 11.8.2016 को सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को एक सलाह-पत्र जारी किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में बच्चों में नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की रोकथाम शामिल है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय "मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरूपयोग की रोकथाम के लिए सहायता की केंद्रीय क्षेत्र योजना" का कार्यान्वयन करता है जिसमें नशीली दवा के सेवन करने वालों बच्चों सहित व्यसनियों के पुनर्वास के लिए संयुक्त/एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए समेकित व्यसनी पुनर्वास केंद्रों के संचालन हेतु पात्र गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक स्वायत संस्थान है, सहयोगी एजेंसियों के सहयोग से निवारक उपाय के रूप में मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और समुदायों में जागरुकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान एनआईएसडी द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरस्त करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 दिनांक 15.01.2016 से प्रवृत्त हुआ है। उक्त अधिनियम में, एक पृथक अध्याय जोड़ा गया है जिसमें बच्चे को मादक द्रव्य अथवा स्वापक दवा अथवा मन:प्रभावी पदार्थ की उपलब्धता कराने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर दंड अधिरोपित किया गया है।

नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तत्वावधान में विद्यालय पाठ्यक्रम की विशिष्ट विषय वस्तु के संदर्भ में, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे नई शिक्षा नीति तैयार कर रहा है जिसके लिए उन्होंने ऑनलाइन, जमीनी स्तर पर और सभी 33 अभिज्ञात विषयों पर विषयगत विशेषज्ञ परामर्शों के माध्यम से अत्याधिक उच्च भागीदारीपरख, समावेशी और बहु-उन्मुख परामर्श प्रक्रिया लगभग एक वर्ष तक चलाई थी। भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ बैठकें संपन्न की थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित की थी जिसने मई, 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके पश्चात्, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए कुछ इनपुट' तैयार किए हैं और अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए जिनमें नीतिगत पहल कार्य अर्थात् नशीले पदार्थ दुरुपयोग इत्यादि की रोकथाम के संबंध में बाल तथा किशोर के अधिकारों का संरक्षण समाविष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, 30 सितम्बर, 2016 तक भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संसद सदस्यों और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए थे। माननीय संसद सदस्यों के साथ सुझावों पर चर्चा करने तथा उनके विचार जानने के लिए एक 'शिक्षा-संवाद' भी आयोजित किया था। किसी प्रतिष्ठित शिक्षाविद् के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति का अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।

इस स्तर पर, इस समय नई शिक्षा नीति तैयार की जा रही है और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नशीली दवा तथा मद्यपान पर विद्यालय पाठ्यक्रम में विशिष्ट विषय-वस्तुओं को अपनाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय निर्देशों पर समुचित रूप से विचार किया जाएगा।

दिनांक 14.03.2017 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1858 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रम सं.	कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या (अनुमानित)
1.	स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों के छात्रों और एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए जागरूकता/सुग्राहीकरण कार्यक्रम।	152	11400
2.	नशीली दवा दुरुपयोग निवारण पर स्कूल अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।	26	820
3.	मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त नशामुक्ति केन्द्रों के पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में अपने समुदाय में जागरूकता फैलाना शामिल है।	20	520
	कुल	198	12740

*****

परिशिष्ट - सत्रह

लोक सभा

*तारांकित प्रश्न सं. *239*
उत्तर देने की तारीख: 01.08.2017

वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम केयर सेवाएं

*239. **श्री ए.टी. नाना पाटील:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न निजी फर्मों द्वारा वृद्ध लोगों को दी जा रही होम केयर सेवाओं को विनियमित करने के लिए सरकार ने कोई तंत्र बनाया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाएं स्थापित करने तथा गुणवतापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मानक तय करने हेतु सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(श्री थावरचंद गेहलोत)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 1.8.2017 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 239 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): जी, हां। यह मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए गृह देखभाल सेवाओं की रेटिंग करने और ऐसे सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

वृद्धजनों को गृह देखभाल सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों की रेटिंग करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा गठित शिक्षा एवं सामाजिक विकास संबंधी सचिवों के समूह की सिफारिशों में से एक था। यह प्रस्ताव किया गया है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 में समुचित संशोधन करके वरिष्ठ नागरिकों को गृह देखभाल सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में मानक निर्धारित किए जाएं तथा प्रदान की जा रही सुविधाओं के अनुसार उनकी रेटिंग की जाए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायतशासी निकाय राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य क्षमता निर्माण है। जरा-चिकित्सा देखभाल प्रदाताओं के प्रशिक्षण हेतु एनआईएसडी तथा सहयोगी संस्थानों द्वारा प्रमाणन पाठ्यक्रम (सर्टिफिकेशन कोर्सिस) आयोजित किए जाते हैं।

i) सभी क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्रों तथा जरा-चिकित्सा देखभाल प्रदाताओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाली अन्य सहयोगी एजेंसियों को यह निदेश दिया गया है कि वे ट्रेनिंग सेंटर फॉर होम हेल्थ एंड क्वालिफिकेशन पेक के रूप में प्रत्यायन हेतु आवेदन करें और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के तहत स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) से संबद्ध हों।

ii) स्वास्थ्य देखभाल एसएससी से जरा-चिकित्सा देखभाल प्रदाताओं हेतु पृथक मॉड्यूल विकसित करने का भी अनुरोध किया गया है क्योंकि गृह स्वास्थ्य सहायता संबंधी मौजूदा अर्हता पैक अनन्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं है।

iii) अपोलो अस्पताल समूह की एक यूनिट, अपोलो मैडस्किल्स लिमिटेड द्वारा 120 जरा-चिकित्सा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, निगम अपने दो क्षेत्र कौशल परिषदों के माध्यम से वृद्धजन गृह देखभाल सेवाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)-संबद्ध पाठ्यक्रम हैं। ब्यौरा **परिशिष्ट-I** में दिया गया है:-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, जहां तक वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल का संबंध है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2010-11 के दौरान वृद्धजनों की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए "राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)" की शुरूआत की है। एनपीएचसीई का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों हेतु क्षेत्रीय जरा-चिकित्सा केंद्रों के रूप में अभिज्ञात चिकित्सा संस्थानों में जरा-चिकित्सा विभाग की स्थापना करना है तथा राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के

माध्यम से जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और उप-केंद्र स्तरों पर समर्पित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

- क्षेत्रीय जरा-चिकित्सा केंद्रों में जरा-चिकित्सा बाह्य रोगी विभाग, अंतःरोगी देखभाल के लिए 30 बिस्तर वाला जरा-चिकित्सा वार्ड इत्यादि।
- जिला अस्पतालों में जरा-चिकित्सा बाह्य रोगी विभाग तथा 10 बिस्तर वाला जरा चिकित्सा वार्ड।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सप्ताह में दो बार जरा-चिकित्सा क्लीनिक।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में साप्ताहिक जरा-चिकित्सा क्लीनिक।
- उप-केंद्रों में सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की उपलब्धता।

****

एनएसडीसी द्वारा वृद्धजन गृह देखभाल सेवाओं में प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का ब्यौरा

				पीएमकेवीवाई 1•				पीएमकेवीवाई 2••				
क्रम सं.	क्षेत्र कौशल परिषद	क्यूपी का नाम	एनएसक्यूएफ स्तर	नामांकित	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित	नामांकित	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित	तैनाती की गई
1.	घरेलू नौकर	वृद्धजन देखभाल करने वाले (गैर-नैदानिक)	3	0	0	0	0	325	240	208	195	17
2.	स्वास्थ्य देखभाल	गृह स्वास्थ्य सहायता	4	4314	4314	4227	2840	3350	2601	2145	1710	1034

•पीएमकेवीवाई 1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसे वर्ष 2014-15 में एक प्रारंभिक योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया।

•• पीएमकेवीवाई 2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसे 2016-20 के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है।

परिशिष्ट – अठारह

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं०:- 523
उत्तर देने की तारीख : 19.12.2017

वृद्धाश्रम

523. **श्री ए. टी. नाना पाटील:**
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वृद्धाश्रमों के लिए कतिपय मानक विकसित और निर्धारित किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार वृद्धाश्रमों के कामकाज को देखने हेतु एक विनियामक स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा दी गई सेवाओं में बड़े पैमाने पर फैली अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकारी अथवा निजी क्षेत्रों में स्थापित वृद्धाश्रमों में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, सुविधाओं के लिए मानकों का निर्धारण करके एक केन्द्रीय विधान अथवा कार्यकारी आदेश को अधिसूचित करने के लिए क्या नवीनतम कदम उठाए गए हो?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय साम्पला)

(क) तथा (ख): जी, नहीं। यह मंत्रालय समेकित वृद्धजन कार्यक्रम (आईपीओपी) की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं इत्यादि के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की अनुशंसाओं के आधार पर तथा इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार वृद्धाश्रमों के संचालन और अनुरक्षण के लिए सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। तथापि, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरणपोषण एवं कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 में वृद्धाश्रमों के लिए मानक निर्धारित करने संबंधी प्रावधान, उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

(ग): सरकार के पास विनियामक स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): सरकार इस संबंध में एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम/नियमावली में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव कर रही है।

******

परिशिष्ट – उन्नीस

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 604
उत्तर देने की तारीखः 06.02.2018

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

604. श्री अश्विनी कुमारः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा मामलों को निपटाने की गति काफी धीमी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित मामलों की स्थिति क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में इस संबंध में कोई सर्वे करवाया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या रहे?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय साम्पला)

(क) से (घ) : जी, नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए तथा अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक परिसंघ नामक एक बाह्य एजेंसी के माध्यम से 'केंद्रीय वृद्धजन नीति' पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल को कवर करते हुए हाल ही में किए गए एक अनुसंधान अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, भरण-पोषण अधिकरणों का कार्यकरण, भरण-पोषण भत्ता प्रदान करने का कार्य काफी अच्छा प्रतीत हुआ है। विभिन्न न्यायिक मंचों और अगस्त, 2016 में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक की अभ्युक्तियों तथा सरकार द्वारा गठित शिक्षा एवं सामाजिक विकास पर सचिवों के समूह की सिफारिश के अनुरक्षण में, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 के उपबंधों में उपयुक्त संशोधन मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

******

परिशिष्ट - बीस

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 969

उत्तर देने की तारीख: 24.07.2018

वृद्धाश्रमों को स्टार रेटिंग

969. **श्रीमती अंजू बालाः**
श्री तेज प्रताप सिंह यादवः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वृद्धाश्रमों में प्रदान किए गए आधरभूत ढांचे और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की है और होटल ऋंखला को दी जाने वाली स्टार रेटिंग के समान ही रेटिंग देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार निजी वृद्धाश्रमों हेतु सरकार के पास उन्हें पंजीकृत करना अनिवार्य बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की योजना वृद्ध आश्रमों हेतु कतिपय मानक तैयार करने और विनिर्दिष्ट करने का है जोकि आधारभूत ढांचे से लेकर, सुविधाओं से लेकर श्रम बल इत्यादि जैसे उनके कार्यकरण के सभी पक्षों को छूते हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) वरिष्ठजनों हेतु एकीकृत कार्यक्रम (आई पी ओ पी) के अंतर्गत चल रहे वृद्ध आश्रमों की उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित राज्य-वारसंख्या कितनी है; और
(ड.) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में वृद्धजनों के कल्याण हेतु की गई अन्य मुख्य पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय साम्पला)

(क): सरकार ने हाल ही में चल रही एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम (आईपीओपी) की योजना संशोधित की है और उसका नाम बदलकर "एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)" किया गया है जिसमें भोजन, चिकित्सा सुविधाओं, मनोरंजन, सुरक्षा, वस्त्र, कमरों, स्नानघरों/शौचालयों, साफ-सफाई और स्वच्छता तथा शारीरिक सहायक उपकरण आदि के संबंध में मानदंड निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में, होटल ऋंखला को दी जाने वाली स्टार रेटिंग के समान ही किसी वृद्धाश्रम/वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह को रेटिंग देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग): माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 में संशोधन करने के बारे में विचार किया जा रहा है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी संस्थान, चाहे उन्हें किसी सरकारी/गैर-सरकारी/स्वैच्छिक/निजी संगठनों या सोसाइटी/न्यास द्वारा चलाया जा रहा हो और वे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण के लिए आवासीय/बहु-सेवा दिवा देखभाल सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, को सेवा-प्रदाता के रूप में पंजीकृत करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि केन्द्र सरकार वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृहों की स्थापना और बहु-सेवा दिवा देखभाल केन्द्रों के संचालन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानदंड निर्धारित करे।

(घ): एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) (पूर्व में एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम - आईपीओपी) के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे वरिष्ठ नागरिक गृहों (पूर्व में वृद्धाश्रम) की उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्य-वार संख्या संलग्न **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ङ.): मुख्य पहल कार्यों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

विषय : 'वृद्धाश्रमों को स्टार रेटिंग' के बारे में श्रीमती अंजू बाला और श्री तेज प्रताप सिंह यादव द्वारा पूछा गया दिनांक 24.07.2018 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.969 ।

(घ): एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) (पूर्व में एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम - आईपीओपी) के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे वरिष्ठ नागरिक गृहों (पूर्व में वृद्धाश्रम) की उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्य-वार संख्या:

क्रम सं.	राज्य का नाम	वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह	वृद्ध महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह	कुल वरिष्ठ नागरिक गृह
1.	उत्तर प्रदेश	10	00	10
2.	आंध्र प्रदेश	60	01	61
3.	बिहार	02	00	02
4.	छत्तीसगढ़	01	00	01
5.	गोवा	00	00	00
6.	गुजरात	02	01	03
7.	हरियाणा	05	00	05
8.	हिमाचल प्रदेश	01	00	01
9.	जम्मू-कश्मीर	00	00	00
10.	झारखंड	00	00	00
11.	कर्नाटक	38	03	41
12.	केरल	05	00	05
13.	मध्य प्रदेश	10	00	10
14.	महाराष्ट्र	26	07	33
15.	ओड़िशा	35	03	38
16.	पंजाब	05	00	05
17.	राजस्थान	02	00	02
18.	तमिलनाडु	42	02	44
19.	तेलंगाना	16	00	16
20.	उत्तराखंड	04	01	05
21.	पश्चिम बंगाल	16	00	16
22.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	00	00	00
23.	चंडीगढ़	00	00	00
24.	दादरा और नगर हवेली	00	00	00
25.	दमन और दीव	00	00	00
26.	लक्षद्वीप	00	00	00
27.	दिल्ली	02	00	02
28.	पुडुचेरी	00	00	00
29.	अरुणाचल प्रदेश	00	00	00
30.	असम	13	02	15
31.	मणिपुर	17	02	19
32.	मेघालय	00	00	00
33.	मिजोरम	00	00	00
34.	नागालैंड	02	00	02
35.	सिक्किम	00	00	00
36.	त्रिपुरा	04	00	04
कुल		318	22	340

अनुबंध-II

विषयः-श्रीमती अंजु बाला और श्री तेजप्रताप यादव द्वारा "वृद्धाश्रमों की स्टार रेटिंग" के बारे में पूछे गए दिनांक 24.07.2018 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 969 के संबंध में।

(इ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में वृद्धजनों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा किए गए मुख्य पहल कार्य।

1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयः

➢ केन्द्रीय क्षेत्र की एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) योजनाः

इस योजना के अंतर्गत, परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों आदि को सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गृह सहित वरिष्ठ नागरिक गृहों/महिला वरिष्ठ नागरिक गृहों के अनुरक्षण; सतत् देखभाल गृहों और अल्जाइमर के रोग/डिमेंशिया से प्रभावित वरिष्ठ नागरिक गृहों के अनुरक्षण; वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल चिकित्सा देखभाल यूनिट; वरिष्ठ नागरिकों हेतु फिजियोथेरेपी क्लीनिकों; क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र आदि के लिए दी जाती है। परियोजनाओं के लिए लागत संबंधी मानदण्डों में 01.04.2018 से 103 प्रतिशत तक ऊर्ध्वमुखी संशोधन किया गया है।

➢ राष्ट्रीय वयोश्री योजना - बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता यंत्रों और जीवन सहायक उपकरणों को प्रदान करने की योजनाः-

इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर 01 अप्रैल, 2017 से आन्ध्र प्रदेश के नैल्लोर में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों और आयु-जन्य निर्योग्यता/अक्षमता, जैसे कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, दांत झड़ना, चलन संबंधी अक्षमता वाले वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे जीवन सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं जो उनकी शारीरिक कार्यात्मकता को लगभग सामान्य बना देते हैं और वे निर्योग्यता/अक्षमता का सामना कर पाते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, 292 जिलों की पहचान की गई है। अब तक 42 जिलों में वितरण कैम्प आयोजित किए गए हैं।

➢ वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ):

बजट घोषणा, 2015-16 के अनुसरण में, वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा का संवर्धन करने, वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिक आहार, वृद्ध विधवाओं के

कल्याण, वृद्धाश्रमों से संबंधित योजनाओं, अल्पावधि विश्रामगृहों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवा देखभाल केन्द्रों आदि, वरिष्ठ नागरिक के कल्याण को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं के उपयोग के लिए "वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि" का सृजन किया गया है।

इस निधि में केन्द्रीय सरकार की लघु बचत और अन्य बचत योजनाएं जैसे डाक घर बचत खाता, डाक घर आवर्ती जमा खाता आदि, सार्वजनिक भविष्य निधि खाता और कर्मचारी भविष्य निधि खाता सहित योजनाओं में पड़ी ऐसी निधि वाली प्रत्येक संस्था द्वारा अन्तरित अदावी राशि शामिल है जिनमें उनके निष्क्रिय खाता घोषित होने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि से अदावी राशियां पड़ी हुई हैं।

इस निधि का संचालन अन्तर-मंत्रालयीय समिति द्वारा किया जाता है जिसमें वित्तीय सेवाएं विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शामिल हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस निधि के प्रशासन हेतु नोडल मंत्रालय है।

- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण (एमडबल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 में संशोधनः

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण (एमडबल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 में बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण की अनिवार्य व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत न्यायाधिकरणों के माध्यम से न्याय मिलता है; साथ ही इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने; वरिष्ठ नागरिकों के जान-माल के संरक्षण की व्यवस्था भी है; इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी व्यवस्था है की यदि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर सम्पत्ति इस शर्त पर अन्तरित की गई हो की अन्तरिती उनका भरण-पोषण करेगा और यदि अन्तरिती उनका भरण-पोषण करने में असफल रहता है तो अन्तरिती से सम्पत्ति वापस ली जा सकती है और वरिष्ठ नागरिकों का त्याग करने पर सजा की व्यवस्था भी है।

इस अधिनियम का एक दशक से अधिक समय से कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुभव एवं हितधारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर, इस अधिनियम के उपबंधों में उचित संशोधन 2017 में किए गए हैं ताकि उन्हें ज्यादा समसामयिक एवं कारगर बनाया जा सके।

2) **ग्रामीण विकास मंत्रालयः**

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना है। एनएसएपी एक समाज सुरक्षा/समाज कल्याण कार्यक्रम है जो वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के प्राथमिक कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु पर ऐसे पीड़ित परिवारों पर लागू है। वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे रहने वाले परिवारों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाती है। 60-79 आयु के व्यक्तियों को प्रतिमाह 200 रुपये और 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रतिमाह 500 रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान, लाभ की स्वीकृति एवं वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए जारी/आवंटित निधि का ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

वित्तीय वर्ष	जारी निधि की राशि (लाख रुपये में)
2015-16	556269.07
2016-17	590091.72
2017-18	611043.27
2018-19 (20.07.2018 तक)	259772.31

3) **वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभागः**

'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' (पीएमवीवीवाई): सरकार ने बाजार की अनिश्चित स्थितियों के कारण 60 वर्ष या अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी ब्याज आय में भविष्य में गिरावट को रोकने, इसके साथ-साथ वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' नामक एक योजना आरंभ की है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में दस वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से मासिक रूप से अदा किए जाने योग्य आश्वासित आय का प्रावधान है। विभेदक आय अर्थात एलआईसी द्वारा सृजित आय और 8% प्रतिवर्ष की आश्वासित आय के बीच अंतर को वार्षिक आधार पर सब्सिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना एक वर्ष की अवधि के लिए अंशदान हेतु दिनांक 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक खोली गई थी। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम खरीद मूल्य 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति परिवार और 5,000/- रुपये प्रति माह की अधिकतम पेंशन के लिए 7.5 लाख रुपये प्रति परिवार थी।

बजट घोषणा 2018-19 के अनुसरण में, मंत्रिमंडल ने दिनांक 2 मई, 2018 को हुई अपनी बैठक में 31 मार्च, 2020 तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तार अनुमोदित किया है और इस योजना के अंतर्गत 7.5 लाख रुपये प्रति परिवार के अधिकतम खरीद मूल्य की सीमा को बढ़ाकर प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपये भी किया गया है। दिनांक 30.6.2018 की स्थिति के अनुसार पीएमवीवीवाई के अंतर्गत 17,704.65 करोड़ रुपये की संचित निधि से युक्त 2,82,155 अभिदाता लाभान्वित हो रहे हैं।

4) **रेल मंत्रालय**

भारतीय रेल ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i. नियमों के अनुसार न्यूनतम 60 वर्ष के पुरूष वरिष्ठ नागरिकों तथा न्यूनतम 58 वर्ष की महिला वरिष्ठ नागरिकों को रेलगाड़ियों के मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी/दुरंतों सभी श्रेणियों में मूल किराए में छूट प्रदान की जाती है। छूट की दर पुरूषों के लिए 40 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत है।

टिकट खरीदते समय आयु के किसी प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं होती। तथापि, उन्हें यथा निर्धारित अपनी आयु/जन्मतिथि को दर्शाने वाले कुछ दस्तावेजी प्रमाण पत्र पास रखने होते हैं तथा टिकट चेंकिंग स्टॉफ के मांगने पर इसे दिखाना होता है। वरिष्ठ नागरिक आरक्षण काउंटर के साथ-साथ इंटरनेट के माध्यम से भी आरक्षित टिकटें बुक कर सकते हैं।

ii. कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला यात्रियों के लिए यदि कोई विकल्प नहीं दिया गया है तो बुकिंग के समय बर्थ की उपलब्धता के आधार पर स्वत: लोअर बर्थ आबंटित करने का प्रावधान है।

iii. आरक्षित सीटों वाली सभी ट्रेनों में स्लीपर, स्लीपर श्रेणी में प्रति कोच छह (6) लोअर बर्थ का और एससी 3 टायर में प्रति कोच तीन(3) लोअर बर्थ और एससी 2 टायर क्लास में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिला पेसेंजरों और अकेले यात्रा करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए संयुक्त कोटा निर्धारित है। राजधानी, दुरंतो और पूर्णत: वातानुकूलित/एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में सामान्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रति कोच तीन(3) लोअर बर्थ की तुलना में 3एसी में इस कोटा के तहत प्रति कोच चार(4) लोअर बर्थ निर्धारित हैं।

iv. सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे द्वारा सब-अर्बन सेक्शंस पर विनिर्दिष्ट घंटों के दौरान भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें निर्धारित हैं।

v. स्टेशनों पर व्हील चेयर के प्रावधान हेतु निर्देश हैं। यह सुविधा वर्तमान में कुली को भुगतान करने पर विधिवत सहायक के साथ उपलब्ध है। तथापि, क्षेत्रीय रेलवे को रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांग और वृद्ध यात्रियों के लिए नि:शुल्क बैटरी वाले रिक्शा उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यात्री आईआरसीटीसी पोर्टल www.irctc.co.in के माध्यम से ऑन-लाइन ई-व्हील चेयर्स बुक करा सकते हैं।

vi. स्टेशनों में सहायता चाहने वाले वृद्ध तथा दिव्यांग यात्रियों को मदद करने तथा मौजूदा सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए, व्हील चेयर सेवाएं सह कुली सेवाएं आदि बुक करने के लिए यात्रियों को सक्षम बनाने हेतु प्रमुख स्टेशनों पर आईआरसीटीसी के माध्यम से 'यात्री मित्र सेवा' प्रदान की जा रही है।

vii. ट्रेन के निकलने के पश्चात् यदि ट्रेन में कोई लोअर बर्थ खाली है तथा यदि किसी शारीरिक विकलांग व्यक्ति ने विकलांगता छूट पर टिकट बुक कराया है अथवा किसी वरिष्ठ नागरिक अथवा किसी गर्भवती महिला को अपर/मिडिल बर्थ आबंटित किया गया है तो ऑनबोर्ड टिकट चैकिंग स्टॉफ को चार्ट में आवश्यक प्रविष्टि करते हुए खाली लोअर बर्थ उन्हें आबंटित करने का प्राधिकार है।

viii. शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, भूतपूर्व-संसद सदस्यों, विधायकों, प्रत्यायित पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों से आरक्षण मांग-पत्र देखने के लिए यदि औसत मांग प्रति शिफ्ट 120 टिकट से कम नहीं है, तो विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्र पर अलग से कांउटर निर्धारित हैं। दिव्यांग व्यक्तियों अथवा वरिष्ठ नागरिकों सहित इन श्रेणियों में से किसी के लिए एक अनन्य कांउटर निर्धारित करने के लिए कोई औचित्य न होने के मामले में इन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के आरक्षण अनुरोधों का निपटान करने के लिए कुल मांग पर निर्भर करते हुए एक अथवा दो काउंटर निर्धारित होने चाहिए।

******

परिशिष्ट - इकीस

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3426
उत्तर देने की तारीख: 07.08.2018

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

3426. श्री राजीव प्रताप रूडी
श्री प्रताप सिम्हाः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) शुरू करने के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) आरवीवाई के अंतर्गत चुने गए जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनके चयन हेतु क्या मानदंड हैं;

(ग) योजना के आरंभ से 30.06.2018 तक आयोजित किए गए शिविरों की संख्या कितनी है और चालू वित्त वर्ष में कितने शिविर आयोजित किए जाने की योजना है और इस योजना के अंतर्गत कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और अब तक कितने वरिष्ठ नागरिक लाभांवित हुए हैं तथा बचे हुए जिलों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) वयोश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार हेतु पात्रता मानदंड क्या हैं और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सर्वोत्तम योगदान हेतु दिए जाने वाले इस पुरस्कार की श्रेणियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद (एनसीएससी) की तीसरी बैठक आयोजित की है और यदि हां, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई और बैठक के क्या परिणाम रहे;

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि हेतु कितना पूंजी परिव्यय रखा गया है; और

(छ) क्या सरकार ने ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का आकलन किया है जो उनकी वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार की निःशक्तता से ग्रस्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय साम्पला)

(क) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, बीपीएल श्रेणी से संबद्ध तथा बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाली निर्योग्यताओं/कमजोरियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 01 अप्रैल, 2017 से "राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)" नामक बीपीएल श्रेणी से संबद्ध वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनसे उन्हें शारीरिक कार्य करने में यथा संभव आसानी हो सके। इस योजना के तहत, लाभार्थी वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण जैसे छड़ी, एल्बो क्रचिज, वॉकर्स/क्रचिज, ट्राइपॉड्स/क्वाडपॉड्स, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, कृत्रिम दांत तथा चश्मे निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।

(ख) : जिन जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के बीच बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाली निर्योग्यताओं/कमजोरियों को अधिक पाया गया है, उन्हें प्राथमिकता दी गई है और नीति आयोग द्वारा यथा अभिज्ञात महत्वाकांक्षी जिलों को भी शामिल किया गया है। अभी तक, 292 जिलों को चुना गया है। चुने गए जिलों की सूची **अनुबंध-1** में दी गई है।

(ग) : 30.6.2018 तक, कुल 42 वितरण शिविरों का आयोजन किया गया है। 45774 वरिष्ठ नागरिक 1,02,323 सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरणों के वितरण से लाभान्वित हुए हैं। इस वित्त वर्ष में मूल्यांकन/वितरण शिविरों के आयोजन के लिए 150 जिलों की योजना बनाई गई है। चालू वित्त वर्ष में, 1.5 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग से 106.89 करोड़ रुपये की राशि मांगी गई है। भविष्य में, इस योजना का विस्तार भारत के सभी जिलों को कवर करने के लिए किया जाएगा।

(घ) वयोश्रेष्ठ सम्मान 13 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं जिनमें से 7 श्रेणियां "संस्थागत" और 6 श्रेणियां "व्यक्ति विशेष" से संबंधित हैं। श्रेणी-वार पात्रता मानदंड का ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है।

(ङ.) राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की तीसरी बैठक 13 जून, 2018 को आयोजत की गई थी। इस बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था (i) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 में संशोधन, (ii) राष्ट्रीय वयोश्री योजना: बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना, (iii) एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) की संशोधित योजना, (iv) राष्ट्रीय पुरस्कार/वयोश्रेष्ठ सम्मान, 2018, (v) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, (vi) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत वित्तीय सहायता, (vii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, (viii) रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं, और (ix) अंतरपीढ़ीय अंतराल को पाटना। इन मुद्दों पर परिषद के सुझावों की जांच की जा रही है।

(च) : वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) में आज की तारीख तक उपलब्ध मूल राशि 452.09 करोड़ रुपये है।

(छ) : जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार, देश में वृद्धावस्था में निर्योग्यताओं से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 53,76,619 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण का ब्यौरा **अनुबंध-3** में दिया गया है।

*****

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के कार्यान्वयन हेतु चुने गए जिले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चुने गए जिले
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	दक्षिण अंडमान
2.		मध्य और उत्तरी अंडमान
3.	आंध्र प्रदेश	विशाखापतनम
4.		नेल्लोर
5.		विजयनगरम
6.		चित्तूर
7.		राजामंड्री (पूर्वी गोदावरी जिला)
8.		कुरनूल
9.		कुडप्पा
10.	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम कामेंग
11.		पासीघाट
12.		चांगलांग
13.		तिरप
14.		पश्चिम सियांग
15.		तवांग
16.		नामसाई
17.	असम	कामरूप
18.		सोनितपुर
19.		नगांव
20.		लखीमपुर
21.		दरांग
22.		गुवाहाटी
23.		धुबरी
24.		बारपेटा
25.		गोलपाड़ा
26.		बक्सा
27.		उदलगुड़ी
28.		हैलाकांडी
29.	बिहार	बक्सर
30.		पश्चिम चंपारण
31.		पटना
32.		भोजपुर
33.		नवादा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चुने गए जिले
34.		मुजफ्फरपुर
35.		कटिहार
36.		बेगूसराय
37.		शेखपुरा
38.		अररिया
39.		सीतामढ़ी
40.		खगरिया
41.		पूर्णिया
42.		औरंगाबाद
43.		बांका
44.		गया
45.		जमुई
46.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
47.	छत्तीसगढ़	रायपुर
48.		बस्तर
49.		जांजगीर-चंपा
50.		रायगढ़
51.		बिलासपुर
52.		राजनंदगांव
53.		कोरबा
54.		महासमुंद
55.		बीजापुर
56.		दंतेवाड़ा
57.		कांकेर
58.		कौंडागांव
59.		नारायणपुर
60.		सुकमा
61.	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली
62.	दमन और दीव	दमन और दीव
63.	दिल्ली	चांदनी चौक
64.		करोल बाग
65.		दक्षिण दिल्ली
66.		पश्चिम दिल्ली
67.		पूर्वी दिल्ली
68.		उत्तर पूर्व दिल्ली

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चुने गए जिले
69.	गोवा	उत्तर गोवा
70.		दक्षिण गोवा
71.	गुजरात	वडोदरा
72.		अहमदाबाद
73.		भावनगर
74.		जूनागढ़
75.		राजकोट
76.		कच्छ
77.		नर्मदा
78.		दाहोद
79.	हरियाणा	करनाल
80.		अंबाला
81.		रेवाड़ी
82.		सोनीपत
83.		फरीदाबाद
84.		गुडगाँव
85.		पलवल
86.		मेवात
87.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
88.		हमीरपुर
89.		चंबा
90.		उना
91.		सोलन
92.		बिलासपुर
93.	जम्मू-कश्मीर	श्री नगर
94.		उधमपुर
95.		रामबन
96.		डोडा
97.		कथुआ
98.		जम्मू
99.		अनंतनाग
100.		कुपवाड़ा
101.		बारामूला
102.	झारखंड	गुमला
103.		रांची
104.		गिरिडीह
105.		पूर्वी सिंहभूम
106.		कोडरमा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चुने गए जिले
107.		पश्चिम सिंहभूम
108.		साहेबगंज
109.		पकाउर
110.		गोड्डा
111.		लातेहार
112.		लोहरदगा
113.		पलामू
114.		रामगढ़
115.		सिमडेगा
116.		बोकारो
117.		चतरा
118.		दुमका
119.		गढ़वा
120.		हजारीबाग
121.		खूंटी
122.	कर्नाटक	दक्षिण बैंगलोर
123.		धारवाड़
124.		बीजापुर
125.		शिमोगा
126.		उत्तरा कन्नड़
127.		बेलगावी
128.		यादगीर
129.		रायचूर
130.		गडग
131.		कालाबुर्गी
132.	केरल	कोच्चि
133.		तिरुवनंतपुरम
134.		कोझिकोड
135.		पथानामथिट्टा
136.		कोट्टायम
137.		कन्नूर
138.		वायनाड
139.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप
140.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
141.		खंडवा
142.		ग्वालियर
143.		सीहोर
144.		इंदौर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चुने गए जिले
145.		रतलाम
146.		विदिशा
147.		शिवपुरी
148.		सागर
149.		दमोह
150.		सिंगरौली
151.		बड़वानी
152.		छतरपुर
153.		राजगढ़
154.		गुना
155.		नागपुर
156.	महाराष्ट्र	धुले
157.		पुणे
158.		मुंबई उत्तर-पूर्व
159.		कुर्ला और बांद्रा
160.		वर्धा
161.		जलना
162.		नंदुरबार
163.		वाशिम
164.		उस्मानाबाद
165.		गडचिरोली
166.		जलगांव
167.		नांदेड़
168.		इम्फाल पश्चिम
169.	मणिपुर	इम्फाल पूर्व
170.		थौबल
171.		बिश्नुपुर
172.		चुरचंदपुर
173.		उखरूल
174.		चंदेल
175.		पूर्वी जैंतिया हिल्स
176.	मेघालय	रि भोई
177.		पश्चिम गारो हिल्स
178.		पूर्वी खासी हिल्स
179.		पश्चिम खासी हिल्स
180.		पूर्वी गारो हिल्स
181.		आइजोल
182.	मिजोरम	चम्फाई

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चुने गए जिले
183.		लुंगलेई
184.		मामित
185.		लावनगथलई
186.		सेरछिप
187.		दीमापुर
188.	नगालैंड	कोहिमा
189.		मोन
190.		मोकोकचुंग
191.		तुएनसांग
192.		जुनहेबोतो
193.		किफायर
194.		सुंदरगढ़
195.	ओडिशा	अंगुल
196.		हिंजिली
197.		मयूरभंज
198.		ढेंकनाल
199.		नुआपाड़ा
200.		बलांगीर
201.		गजपति
202.		कालाहांडी
203.		कंधमाल
204.		कोरापुट
205.		मल्काजगिरि
206.		रायगढ़
207.	पुडुचेरी	ओलुकारा
208.		कराईकल
209.		गुरदासपुर
210.	पंजाब	होशियारपुर
211.		बठिंडा
212.		फाजिल्का
213.		मनसा
214.		जालंधर
215.		फिरोजपुर
216.		मोगा
217.		झालावाड़
218.	राजस्थान	बीकानेर
219.		जयपुर
220.		जोधपुर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चुने गए जिले
221.		पाली
222.		सवाई माधोपुर
223.		भीलवाड़ा
224.		बरन
225.		जैसलमेर
226.		धौलपुर
227.		करौली
228.		सिरोही
229.		बाड़मेर
230.	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम
231.		दक्षिण सिक्किम
232.		उत्तर सिक्किम
233.		पश्चिम सिक्किम
234.	तमिलनाडु	कन्याकुमारी
235.		दक्षिण चेन्नई
236.		कांचीपुरम
237.		थैनी
238.		नागपट्टिनम
239.		सलेम
240.		रामनाथपुरम
241.		विरुधुनगर
242.	तेलंगाना	हैदराबाद
243.		करीमनगर
244.		महबूबनगर
245.		चैवेल्ला
246.		निजामाबाद
247.		रंगारेड्डी
248.		भुपालपल्ली
249.		असीफाबाद
250.		खम्मम
251.		अदिलाबाद
252.		वारंगल
253.	त्रिपुरा	उनाकोटी
254.		धलाई
255.		पश्चिम त्रिपुरा
256.		पूर्वी त्रिपुरा
257.	उत्तराखंड	हरिद्वार
258.		अल्मोड़ा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चुने गए जिले
259.		नैनीताल
260.		तेहरी गढ़वाल
261.		उधम सिंह नगर जसपुर
262.		पौरी गढ़वाल
263.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
264.		पीलीभीत
265.		वाराणसी
266.		ललितपुर
267.		चंदौली
268.		गोरखपुर
269.		नोएडा
270.		मिर्जापुर
271.		इलाहाबाद
272.		गाजीपुर
273.		चित्रकूट
274.		बलरामपुर
275.		बहराइच
276.		सोनभद्र
277.		श्रावस्ती
278.		सिद्धार्थनगर
279.		फतेहपुर
280.		बरेली
281.		अमेठी
282.		रायबरेली
283.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल
284.		दार्जिलिंग
285.		जयनगर
286.		पश्चिम मेदिनीपुर
287.		आरामबाग
288.		रानाघाट-नादिया
289.		बीरभूम
290.		दक्षिण दिनाजपुर
291.		मालदा
292.		मुर्शिदाबाद

अनुबंध-2

दिनांक 07.08.2018 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3426 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड

वयोश्रेष्ठ सम्मान 13 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं जिनमें से 7 श्रेणियां "संस्थागत" और 6 श्रेणियां "व्यक्ति विशेष" से संबंधित हैं। श्रेणियों और उनसे संबंधित पात्रता मानदंड का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

"संस्थागत" श्रेणियां

(क) श्रेणी-1 वृद्धावस्था के क्षेत्र में अनुसंधान तथा ज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्था

1. यह पुरस्कार उन संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने वृद्धावस्था के क्षेत्र में ज्ञान सृजन तथा प्रचार-प्रसार किया है ।
2. इस पुरस्कार का दावा करने के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा किया जाना आवश्यक है:-
   (क) संस्था अथवा संगठन एक पंजीकृत निकाय होना चाहिए तथा इसे वृद्धावस्था और संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए;
   (ख) संस्था की भारत में वृद्धावस्था के क्षेत्र में अनुसंधान अथवा प्रकाशन अथवा ज्ञान के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण उपलब्धि होनी चाहिए ।
   (ग) वृद्धावस्था अथवा जराचिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में शिक्षा अथवा प्रशिक्षण आदि में उत्कृष्ट उपलब्धि;
   (घ) संस्था, राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीतियां बनाने तथा कार्यक्रम तैयार करने में सहायक होनी चाहिए;
   (ङ) सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाओं तथा अन्य साधनों के माध्यम से वृद्धावस्था से संबंधित मुद्दों पर ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा जागरूकता सृजन;
   (च) समुदाय तथा सिविल सोसाइटी को वृद्धावस्था के क्षेत्र में मुख्य सरोकार के रूप में सहयोगी नेतृत्व ।

(ख) श्रेणी-2 वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ संस्था

(1) यह पुरस्कार वृद्धजनों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था को प्रदान किया जाएगा ।

(2) इस पुरस्कार को पाने के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा किया जाना आवश्यक है:-
   (क) संस्था, भारत के ग्रामीण अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में वृद्धजनों विशेषकर निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक सेवाएं प्रदान करती हो;
   (ख) संस्था अथवा संगठन पंजीकृत निकाय हो तथा इसे वृद्धजनों को सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो;
   (ग) संस्था ने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो तथा इसे व्यापक मान्यता मिली हो;
   (घ) संस्था ने समाज में वृद्धजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशिष्टीकृत अथवा नवीन सेवाएं तथा कार्यक्रम संचालित किए हो;

(ङ.) समाज में वृद्धजनों की बेहतरी के लिए नवीन तथा प्रभावी पहुंच कार्यनीति अथवा कार्यक्रम उपलब्ध कराने में उत्कृष्ट उपलब्धि रही हो;

(ग) **श्रेणी–3 सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत**

(1) यह पुरस्कार उन जिला पंचायतों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया हो;

(2) इस पुरस्कार का दावा करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है:-

(क) वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य, परामर्श, कानूनी सहायता, जागरूकता सृजन, संस्थागत तथा गैर संस्थागत कार्यक्रमों के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान;

(ख) ग्रामीण स्तर पर वृद्धजनों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका;

(ग) वृद्धजनों के लिए देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय व्यक्तियों अथवा समुदाय की भागीदारी तथा सहयोग में महत्वपूर्ण उपलब्धि;

(घ) पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक भवनों में बाधामुक्त वातावरण को प्रोत्साहन ।

(घ) **श्रेणी–4 सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय**

(1) पुरस्कार उन नगर निगम निकायों या छावनी बोर्डों या अन्य सांविधिक शहरी स्थानीय निकायों को दिया जाएगा, जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए उत्कृष्ट कार्य हो ।

(2) पुरस्कार के दावे के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए; नामत:-

(क) वृद्धों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र , परामर्श, कानूनी सहायता, जागरूकता और संस्थागत और गैर-संस्थागत कार्यक्रमों में उल्लेखनीय योगदान;

(ख) नगर निगम स्तर पर वृद्धजनों के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका;

(ग) वृद्धों की देखभाल में स्थानीय व्यक्तियों या समुदाय की सहभागिता या भागीदारी में उत्कृष्ट उपलब्धि;

(घ) नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक भवनों में बाधामुक्त वातावरण को प्रोत्साहन;

(ङ.) श्रेणी–5 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के कार्यान्वयन और वरिष्ठ नागरिकों को सेवाओं और सुविधाओं उपलब्ध कराने में सर्वश्रेष्ठ राज्य:–

(1) पुरस्कार उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान किया जाएगा जो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन में अग्रणी रहे हैं ।

(2) पुरस्कार के दावे के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, नामत: -

(क) अधिनियम अधिसूचित करना, नियम बनाना; भरण-पोषण अधिकारी की नियुक्ति, भरण-पोषण और अपीलीय अधिकरणों का गठन;

(ख) भरण-पोषण के दावों के निपटान का उच्च स्तर

(ग) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य परिषद गठित की हो और नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित की हो;

(घ) वरिष्ठ नागरिकों की जीवन रक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना की तैयारी और निष्पादन;

(ङ.) वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय सहायता के लिए संस्थागत प्रबंध और जरा-चिकित्सा देखभाल के लिए अवसंरचना और सुविधाओं का निर्माण ।

(च) वृद्धजनों में गंभीर, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के उपचार के कार्य में अनुसंधान को प्रोत्साहन;

(छ) वृद्धाश्रमों, सेवा केन्द्रों, हेल्प लाईनों या स्वैच्छिक ब्यूरों के नेटवर्क की स्थापना ।

(च) **श्रेणी–6 वरिष्ठ नागरिकों के कुशल क्षेम और कल्याण प्रोत्साहन के लिए सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र संगठन:**

(1) पुरस्कार निजी क्षेत्र के उस संगठन को दिया जाएगा जिसने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य किया हो ।

(2) पुरस्कार के दावे के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, नामत:

(क) वृद्धजनों को या तो उन्हें लाभप्रद रोजगार प्रदान करके; या समाज के लाभ के लिए उनके कौशलों और अनुभव के उपयोग द्वारा उनकी समस्याओं को सुलझाना ।

(ख) समुदाय के रूप में वृद्धजनों के लाभ के लिए जरा-चिकित्सा देखभाल में अवसंरचना का निर्माण या इसके समान कोई अन्य कदम ।

(ग) इसके पूर्व (अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले) कर्मचारियों की देखभाल के लिए प्रबंध करना ।

(घ) कार्य स्थल पर वरिष्ठ नागरिकों को बाधामुक्त वातावरण प्रदान करना ।

(छ) **श्रेणी–7 वरिष्ठ नागरिकों के कुशल क्षेम और कल्याण को प्रोत्साहन करने वाला सर्वश्रेष्ठ सरकारी क्षेत्र संगठन।**

(1) पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सरकारी क्षेत्र उपक्रम को दिया जाएगा जिसने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य किया हो ।

(2) पुरस्कार के दावे के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, नामत:

(क) अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्तोर कैरियर नीति बनाना ।

(ख) समुदाय के रूप में वृद्धजनों के लाभ के लिए जरा-चिकित्सा देखभाल में अवसंरचना का निर्माण या इसके समान कोई अन्य प्रयास ।

(ग) अपने कर्मचारियों के स्वस्थ एवं उत्पादक वृद्धावस्था के लिए प्रबंधन किए गए हो ।

(घ) कार्य स्थल पर वरिष्ठ नागरिकों को बाधा-मुक्त वातारण प्रदान करना ।

"व्यक्ति विशेष" श्रेणियां

(ज) **श्रेणी–8 शतवर्षीय पुरस्कार**

(1) पुरस्कार ख्यातिप्राप्त उन व्यक्तियों को मिलेगा जो 90 वर्ष से अधिक आयु के है और अभी तक शारीरिक रूप से सक्रिय, स्वतंत्र और समाज को योगदान दे रहे हो ।

(2) पुरस्कार के दावे के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, नामत:

(क) व्यक्ति 90 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए ।

(ख) व्यापक रूप से समुदाय और समाज की प्रगति में अनुकरणीय सेवाएं प्रदान की होनी चाहिए ।

(ग) व्यक्ति जिसने सामाजिक कुरीतियों और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया हो ।

(घ) वृद्धजनों के लाभ के लिए या समाज अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए अविरत प्रतिबंधता ।

(ङ) उसके योगदान को समाज से व्यापक मान्यता मिली हो ।

(च) जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो और अभी तक सामाजिक के कार्यों के लिए सक्रियता से भागीदारी हो ।

(छ) विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय मंचों पर भागीदारी ।

(झ) **श्रेणी-9 प्रतिष्ठित माता पुरस्कार**

(1) पुरस्कार उस वरिष्ठ नागरिक महिला को दिया जाएगा जिसने अत्यधिक विपत्तियों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन-पोषण किया हो और उन्हें सफल बनने में सहायता की हो ।

(2) पुरस्कार के दावे के लिए, निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, नामत:

(क) अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में अविचल समर्पण तथा बच्चों को बढ़िया नैतिक मूल्य सिखाए हों;

(ख) उनके समर्पण, दूरदर्शिता तथा कठिन मेहनत से बच्चों ने समाज में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हो;

(ग) माता, जिसने बालिका के संरक्षण, प्रोत्साहन तथा सशक्तिकरण के लिए लड़ाई की हो;

(घ) उनके योगदान को समाज ने व्यापक रूप से सराहा हो;

(ङ) आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक हो ।

(ञ) **श्रेणी-10 <u>आजीवन उपलब्धि पुरस्कार</u>**

(1) पुरस्कार उस वरिष्ठ नागरिक, 70 वर्ष से अधिक, को प्रदान किया जाएगा, जिसने समाज में महत्वपूर्ण योगदान विशेषत: वृद्धों के लिए योगदान दिया हो;

(2) पुरस्कार के दावे के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए, नामत:

(क) समाज में वृद्धों के उत्थान और बेहतरी के लिए कार्य

(ख) शिक्षा या अनुसंधान या प्रकाशन और बेहतरी के लिए कार्य आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि

(ग) सामाजिक कल्याण क्षेत्र में पथप्रदर्शक या प्रगतिशील कार्यक्रम और सेवाएं उपलब्ध कराई हो;

(घ) व्यापक रूप से समुदाय और समाज को अनुकरणीय योगदान के लिए रोल मॉडल के लिए ख्याति प्राप्त हो;

(ङ) 70 वर्ष या अधिक आयु का होना चाहिए ।

(ट) **श्रेणी-11 <u>सृजनात्मक कला के लिए पुरस्कार</u>**

(1) पुरस्कार उन राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विजेताओं को दिया जाएगा जिन्होंने साहित्य, रंगमंच, सिनेमा, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी आदि में अपना योगदान दिया हो और जिन्होंने अपनी वृद्धावस्था में भी सक्रियरूप से अपने क्षेत्र में योगदान जारी रखा हो ।

(2) पुरस्कार के दावे के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी:

(क) कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान

(ख) उनकी कला समकालीन मुद्दों पर सामाजिक संदेशों से अभिप्रेरित होनी चाहिए ।

(ग) कला के संवर्धन और प्रसारण में उत्कृष्ट उपलब्धि ।

(घ) उनकी कला व्यापक रूप से जानी जाती हो ।

(ठ) **श्रेणी-12 खेल-कूद और साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार (पुरुष और महिला)**

(1) पुरस्कार उन वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योगदान हासिल किया हो और जिनका खेलकूद क्षेत्र में योगदान जारी है । पुरुष और महिला दोनों को उप-श्रेणी के रूप में एक-एक पुरस्कार दिया जाएगा ।

(2) पुरस्कार के दावे के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, नामत:-

(क) खेल-कूद के क्षेत्र में योगदान

(ख) उनकी खेल भावना राज्य या राष्ट्रीय या अंतराष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हो

(ग) खेलकूद के माध्यम से एकता की भावना जागृत, प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयास करना ।

(घ) युवा पीढ़ी में खेल-कूद के संवर्धन और प्रसारण में उत्कृष्ट उपलब्धि ।

(ड) **श्रेणी-13 शौर्य और बहादुरी पुरस्कार (पुरूष और महिला)**

(1) पुरस्कार उस वरिष्ठ नागरिक को दिया जाएगा जिसने भंयकर खतरे का सामना करने में अनुकरणीय साहस दिखाया हो । पुरुष और स्त्री खिलाड़ी दोनों को उप-श्रेणी के रूप में एक-एक पुरस्कार प्रस्तावित है ।

(2) पुरस्कार के दावे के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए, नामत:

(क) मानव अधिकारों का संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक बुराईयों का शमन

(ख) समाज में लोगों के जीवन संरक्षण के लिए सतत प्रयास

अनुबंध-3

दिनांक 7.8.2018 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3426 के भाग (छ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

किसी भी दिव्यांगता वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिव्यांता वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या
01	जम्मू और कश्मीर	83887
02	हिमाचल प्रदेश	48776
03	पंजाब	121552
04	चंडीगढ़	2403
05	उत्तराखंड	44373
06	हरयाणा	124185
07	दिल्ली के एनसीटी	50085
08	राजस्थान	558192
09	उत्तर प्रदेश	660245
10	बिहार	327172
11	सिक्किम	4527
12	अरुणाचल प्रदेश	4846
13	नागालैंड	7145
14	मणिपुर	9013
15	मिजोरम	2877
16	त्रिपुरा	13324
17	मेघालय	5460
18	असम	107682
19	पश्चिम बंगाल	365892
20	झारखंड	147684
21	ओडिशा	328352
22	छत्तीसगढ़	174926
23	मध्य प्रदेश	333712
24	गुजरात	191513
25	दमन और डीआईयू	400
26	दादरा और नगर हवेली	430
27	महाराष्ट्र	513756
28	आंध्र प्रदेश	491816
29	कर्नाटक	219668
30	गोवा	9234
31	लक्षद्वीप	318
32	केरल	224855
33	तमिल नाडु	190254
34	पुडुचेरी	6585
35	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1480
कुल		**5376619**

परिशिष्ट– बाईस

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.:112*
उत्तर देने की तारीख: 18.12.2018

राज्य अनुसूचित जाति आयोग

*112. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी राज्यों में राज्य अनुसूचित जाति आयोग (एससीएससी) हैं और यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें आज की तिथि के अनुसार ऐसा कोई आयोग है;
(ख) क्या उक्त आयोग वाले सभी राज्यों में एससीएससी के कार्यकरण यथा आयोग का गठन, सदस्यों की योग्यताएं एवं शक्तियां इत्यादि को शासित करने वाला कोई विधान अथवा प्रक्रिया नियम है;
(ग) यदि हां, तो ऐसे सभी राज्यों के नाम क्या हैं तथा उनके संबंधित विधान अथवा नियमों के नाम क्या हैं;
(घ) ऐसे राज्यों में एससीएससी की शक्तियों का स्रोत क्या है जिनमें एससीएससी को शासित करने वाला कोई विधान अथवा नियम अधिसूचित नहीं हैं/बनाए नहीं गये हैं; और
(ङ) ऐसे राज्यों में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के लिये क्या समाधान उपलब्ध है जिनमें कोई एससीएससी नहीं है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(श्री थावरचंद गेहलोत)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य अनुसूचित जाति आयोग के बारे में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पूछे गए 18.12.2018 को उत्तार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 112 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) से (घ): उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इत्यादि जैसे कुछ राज्यों ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग गठित किए हैं। ऐसे सभी आयोगों का ब्यौरा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से एकत्र किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ): भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 में यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) नामक एक आयोग होगा। जिन राज्यों में राज्य अनुसूचित जाति आयोग (एससीएससी) नहीं है, उन राज्यों के अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य उपचारात्मक कार्रवाई के लिए एनसीएससी से संपर्क कर सकते हैं।

परिशिष्ट - तेइस

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.: 59
उत्तर देने की तारीख: 25.06.2019

अन्य पिछड़ा वर्गों का उप श्रेणीकरण

*59. श्रीमती रक्षानिखिल खडसे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आरक्षण के लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों का उप श्रेणीकरण करके इन्हें समूहों में विभाजित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए यह उप श्रेणीकरण करने हेतु किसी आयोग का गठन किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(श्री थावरचन्द गेहलोत)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(14)

विवरण

(क) से (घ): सरकार ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों में उप-श्रेणीकरण की जांच करने की दृष्टि से 2 अक्तूबर, 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग गठित किया है:

(i) केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे वर्गों के संदर्भ में, अन्य पिछड़ा वर्ग की विस्तृत श्रेणी में शामिल जातियों/समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की प्रमात्रा की जांच करना;

(ii) ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के भीतर उप-श्रेणीकरण हेतु, क्रिया विधि, मानदंड, मानकों एवं पैरा-मीटरों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना; तथा,

(iii) अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों अथवा समुदायों अथवा उप-जातियों अथवा पर्यायों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणी में श्रेणीकृत करने की कवायद आरंभ करना।

(अधिसूचना की प्रति संलग्न है)

आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी प्रस्तुत करनी है। सरकार द्वारा समय-समय पर आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है और पिछली बार इसे 31.07.2019 तक बढ़ाया गया है।

****

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2809] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 2, 2017/आश्विन 10, 1939
No. 2809] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 2, 2017/ASVINA 10, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3210(अ).—संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, राष्ट्रपति अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण की व्यवहार्यता की जांच करने की दृष्टि से अन्य पिछड़ा वर्गों के एक आयोग का निम्नानुसार गठन करते हैं :—

(i) अध्यक्ष - जस्टिस (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी, मुख्य न्यायधीश (सेवानिवृत्त), उच्च न्यायालय दिल्ली

(ii) सदस्य - डॉ. जे.के. बजाज, निदेशक, समाजनीति समीक्षण केंद्र, नई दिल्ली

(iii) सदस्य (पदेन) - निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता

(iv) सदस्य (पदेन) - महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, भारत

2. आयोग के प्रस्तावित विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :

(i) केंद्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्गों के संदर्भ में, अन्य पिछड़ा वर्गों की विस्तृत श्रेणी में शामिल जातियों/समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की प्रमात्रा की जांच करना।

(ii) ऐसे, पिछड़े वर्गों के अंतर्गत उप-श्रेणीकरण हेतु, क्रिया विधि, मानदंड, मानकों एवं पैरा-मीटरों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना, तथा

(iii) अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उप-जातियों या पर्यायों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणी में श्रेणीकृत करने की प्रक्रिया आरंभ करना।

3. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

4. आयोग हेतु कार्यालय व्यवस्था एवं सचिवालयीय सहायता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

5. आयोग के अध्यक्ष द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से बारह सप्ताह की अवधि में आयोग राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।

149

6. आयोग के सचिव को सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कनिष्ठ अधिकारी नहीं होगा।

रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति

[फा. सं. 12015/09/2017-बी.सी.-II]
बी. एल. मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

ORDER

New Delhi, the 2nd October, 2017

S.O. 3210(E).—In exercise of the powers conferred by article 340 of the Constitution the President is pleased to appoint a Commission for Other Backward Classes to examine sub-categorisation of Other Backward Classes with the following composition namely:—

(i)	Chairperson	Justice (Retd.) G. Rohini, Chief Justice (Retd.), Delhi High Court
(ii)	Member	Dr. J.K. Bajaj, Director, Centre for Policy Studies, New Delhi
(iii)	Member (Ex-officio)	Director, Anthropological Survey of India, Kolkata
(iv)	Member (Ex-officio)	Registrar General and Census Commissioner, India

2. The terms of reference of the Commission are as under:—

(i) to examine the extent of inequitable distribution of benefits of reservation among the castes or communities included in the broad category of Other Backward Classes with reference to such classes included in the Central List;

(ii) to work out the mechanism, criteria, norms and parameters in a scientific approach for sub-categorisation within such Other Backward Classes; and

(iii) to take up the exercise of identifying the respective castes or communities or sub-castes or synonyms in the Central List of Other Backward Classes and classifying them into their respective sub-categories.

3. The Headquarters of the Commission shall be situated at New Delhi.

4. The Secretarial assistance and office space for the Commission shall be provided by the Ministry of Social Justice and Empowerment.

5. The Commission is required to present their Report to the President within a period of twelve weeks of assumption of charge by the Chairperson of the Commission.

6. The Secretary of the Commission shall be appointed by the Government and he/she shall be an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment.

RAM NATH KOVIND
PRESIDENT

[F. No. 12015/09/2017-BC-II]
B. L. MEENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.02 23:40:53 +05'30'

150

परिशिष्ट – चौबीस

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 480
उत्तर देने की तारीख: 25.06.2019

ओबीसी के उप-वर्गीकरण के लिए आयोग

480. श्री विद्युत वरण महतो:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण की समीक्षा के लिए गठित आयोग की समयावधि बढ़ाने हेतु छठी बार स्वीकृति दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और
(ङ) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ङ): जी, हां। सरकार ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों में उप-श्रेणीकरण की जांच करने की दृष्टि से 2 अक्तूबर, 2017 को अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग गठित किया है:

- केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे वर्गों के संदर्भ में, अन्य पिछड़ा वर्ग की विस्तृत श्रेणी में शामिल जातियों अथवा समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की प्रमात्रा की जांच करना;
- ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के भीतर उप-श्रेणीकरण हेतु, क्रिया-विधि, मानदंड, मानकों एवं पैरा-मीटरों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना; तथा
- अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों अथवा समुदायों अथवा उप-जातियों अथवा पर्यायों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणी में श्रेणीकृत करने की कवायद आरंभ करना।

आयोग ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय आयोग ने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 12 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तथापि आयोग ने जाति-वार आंकड़े प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस की, जिसके लिए अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता थी। अतः, सरकार द्वारा समय-समय पर आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है। वर्तमान में, आयोग के कार्यकाल को छठी बार 31.07.2019 तक बढ़ा दिया गया है।

****

157

परिशिष्ट- पच्चीस

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2422
उत्तर देने की तारीख: 03.12.2019

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए योजनाएं

+2422. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा असम में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों से संबंधित लोगों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) किसी योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए अपनाए गए मानकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित लोगों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) : अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) : इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ सुयोग्य व्यक्तियों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं में मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। पारिवारिक आय सीमा और अन्य चयन संबंधी मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उनमें संशोधन किया जाता है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र ऑन-लाइन मंगाए जाते हैं, उन्हें ऑन-लाइन प्रोसेस किया जाता है और निपटाया जाता है ताकि समय पर छात्रवृत्ति जारी करना सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 3.12.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2422 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याणार्थ कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची:

1. कक्षा 9वीं और 10वीं में अध्ययनरत एससी छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना।
2. सफाई और स्वास्थ्य के लिए हानिकर व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना।
3. अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना।
4. अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता।
5. बालक-बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना।
6. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना।
7. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना।
8. एससी और ओबीसी छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना।
9. एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना।
10. राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति।
11. अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक और अन्य संगठनों को अनुदान सहायता संबंधी योजना।
12. सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन।
13. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी)।
14. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीडीसी) को सहायता।
15. अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी)।
16. अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (सीईजीएसएससी)।
17. अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी)।
18. ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।
19. ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति।
20. ओबीसी बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।
21. ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप।
22. ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी संबंधी डा. अम्बेडकर योजना।
23. ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के लिए कौशल विकास हेतु सहायता।

अनुबंध-II

दिनांक 3.12.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2422 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>योजना का नाम</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कक्षा 9वीं और 10वीं में अध्ययनरत एससी छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना।</td><td colspan="3">पिछले तीन वर्षों के दौरान असम की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सफाई और स्वास्थ्य के लिए हानिकर व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना।</td><td colspan="3">पिछले तीन वर्षों के दौरान असम की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना।</td><td>38366</td><td>23874</td><td>7606*</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता।</td><td>5067</td><td>4919</td><td>6104</td></tr>
<tr><td>5</td><td>बालक-बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना।</td><td>0</td><td>450</td><td>800</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना।</td><td colspan="3">यह, अलग-अलग लाभार्थियों की बजाए, समस्त गांव को लाभान्वित करने वाली क्षेत्र आधारित विकास योजना है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना।</td><td colspan="3" rowspan="4">ये केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं हैं, जिनके संबंध में लाभार्थियों को सीधे निधियां जारी की जाती हैं, न कि राज्यों को। इसलिए जिला/राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन।</td><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>12</td><td>अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक और अन्य संगठनों को अनुदान सहायता संबंधी योजना।</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>जिला</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th></tr>
<tr><td>कामरुप</td><td>300</td><td>200</td><td>200</td></tr>
<tr><td>नौगांव</td><td>580</td><td>600</td><td>190</td></tr>
<tr><td>गोलाघाट</td><td>209</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>लखीमपुर</td><td>0</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>13</td><td>ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति।</td><td>$</td><td>0.00</td><td>$</td></tr>
<tr><td>14</td><td>ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोतर छात्रवृति।</td><td>0.41 लाख</td><td>0.48 लाख</td><td>$</td></tr>
<tr><td>15</td><td>ओबीसी बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>16</td><td>ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज संब्सिडी संबंधी डा. अम्बेडकर योजना।</td><td>4</td><td>6</td><td>9</td></tr>
<tr><td>17</td><td>ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप।</td><td>23</td><td>23</td><td>66</td></tr>
<tr><td>18</td><td>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी)।</td><td colspan="3"><table><tr><td></td><td>2016-17</td><td>2017-18</td><td>2018-19</td></tr><tr><td>ऋण आधारित योजना</td><td>250</td><td>104</td><td>87</td></tr><tr><td>गैर-ऋण आधारित योजना</td><td>320</td><td>1190</td><td>1130</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>19</td><td>राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीडीसी) को सहायता।</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>20</td><td>अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी)।</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>21</td><td>अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (सीईजीएसएससी)।</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>22</td><td>अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी)।</td><td colspan="3">लागू नहीं</td></tr>
</table>

$ राज्य सरकार से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

* 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार राज्य द्वारा प्रतिवेदित।

परिशिष्ट - छब्बीस

पदोन्नतियों में आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में मंत्री का वक्तव्य' विषय से संबंधित दिनांक 10.02.2020 का विशेष उल्लेख

STATEMENTS BY MINISTERS- Contd.

(iii)Regarding reservation for Scheduled Castes And Scheduled Tribes in promotions*

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 7 फरवरी, 2020 को सिविल अपील संख्या 1226/2020 मुकेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में प्रमोशन में रिज़र्वेशन विषय पर फैसला आया है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर उच्च स्तरीय विचार कर रही है। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मामले में न तो भारत सरकार को कभी पक्षकार बनाया गया है और न ही भारत सरकार से शपथ पत्र मांगा गया है। उक्त मामला एसएलपी उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिनांक 5.09.2012 में लिए गए निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ है, जिससे उत्तराखंड में प्रमोशन में रिज़र्वेशन लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्ष 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।...(व्यवधान) हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। ...(व्यवधान) इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार के बाद भारत सरकार समुचित कदम उठाएगी। ...(व्यवधान)

---

* Placed in Library, See No. LT 2067A/17/20.

परिशिष्ट – सत्ताईस

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1927
उत्तर देने की तारीखः 03.03.2020

ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल करना

1927. कुमारी शोभा कारान्दलाजेः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए वोक्कालिगा की एक उप जाति कुंचितिगा की सिफारिश की है;
(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में विभिन्न हितधारकों और जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है;
(घ) क्या कर्नाटक राज्य के लिए ओबीसी की केन्द्रीय सूची में उक्त उप जाति को शामिल करने के प्रस्ताव पर पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दो बार विचार किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) कर्नाटक के लिए ओबीसी की केन्द्रीय सूची में वोक्कालिगा की एक उपजाति कुंचितिगा को शामिल करने में देरी के क्या कारण हैं;
(च) क्या नवीन अनुच्छेद 342क में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने या सूची से बाहर किए जाने का प्रावधान है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) : जी हां।

(ख) और (ग) : इस संबंध में कुल 28 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे सभी अभ्यावेदन कर्नाटक राज्य सरकार को भेजे गए हैं।

(घ) : "कुंचितिगा" जाति/समुदाय को कर्नाटक राज्य के लिए अन्य पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) द्वारा पूर्व में

दो बार विचार किया गया था और दोनों समय एनसीबीसी ने उनके दिनांक 20.01.1998 के मशवरा संख्या 65/97/कर्नाटक और वर्ष 2004 में मशवरा संख्या 115/2004/कर्नाटक से इस प्रस्ताव की सिफारिश न करने का निर्णय लिया था क्योंकि "कुंचितिगा" जाति/समुदाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है।

(ड.) : संविधान के अनुच्छेद 343क(2) के प्रावधान के अनुसार, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी जाति अथवा समुदाय को शामिल करने अथवा बाहर करने के तौर-तरीके सरकार के विचाराधीन है और अभी इसे अंतिम रूप दिया जाना है। वोक्कालिगा की कुंचितिगा उप-जाति को एसईबीसी की केंदीय सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर उक्त तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही विचार किया जा सकेगा।

(च) और (छ) : संविधान (एक सौ दो वां संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद यथा अनुच्छेद 342क जोड़ा गया था। अनुच्छेद 342क में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की केंद्रीय सूची में समुदायों को जोड़ने अथवा हटाने का प्रावधान है।

*****

परिशिष्ट - अठाइस

'सामान्य बजट - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा' के संबंध में दिनांक 16.03.2020 की सामान्य चर्चा (श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन चौधरी जी, आप भी बोल लीजिए, ताकि वे आपका जवाब भी दे सकें।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, मंत्री जी इस सदन और हम सभी को बहुत सारे ऐतिहासिक कदम गिना रहे हैं । मैं भी उनकी मदद करने के लिए दो-चार ऐतिहासिक कदम गिनाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कदम मत गिनाइए । आप क्लैरिफिकेशन कर लीजिए । वे आपका जवाब दे देंगे।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Increase in upgradation of merit of Scheduled Caste students is zero. Allocation for Research Studies and Publication is zero. यह ऐतिहासिक कदम है । Assistance to voluntary organization for programmes relating to aged is zero. राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लिए एक करोड़ रुपये आबंटित है । Grants to States and UTs under the Scheme for implementation of Persons with Disabilities Act is zero. Allocation for Information and Mass Education Cell is zero. Allocation for Research on Disability related Technology, Products and Issues is zero. Allocation for Establishment of colleges for deaf is zero. Support to Establishment/Modernization/Capacity augmentation of Braille presses is zero. आइए, आइए, मैं आपको ऐतिहासिक कदम गिनाता हूं।...(व्यवधान)

Ailocation for National University for Rehabilitation Sciences and Disabilities Studies is Rs.0.1 crore. Allocation for Indian Sign Language Research and Training Centre is zero. Allocation for National Institute for Inclusive and Universal Design is Rs.0.1 crore. Allocation for National Institute of Mental Health Rehabilitation is zero. मैं आपको शून्य गिना रहा हूं।...(व्यवधान) आपने कहा है कि Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers. मैं आपको उसके बारे में भी गिनाता हूं। आप यह देखिए कि स्टैंडिंग कमेटी क्या कह रही है। The Standing Committee on Social Justice and Empowerment, 2019-20 noted that:

> "There were 42,303 manual scavengers in the country in 2018. However, skill development training under the scheme has only been imparted to only 2,600 candidates. Between 2018-19 and 2019-20, cash assistance under the scheme had only been provided to only 726 manual scavengers."

इसी पीरियड में, मैं आपकी जानकारी लेकर बता रहा हूं कि 282 सैनिटेशन वर्कर्स मर चुके हैं।...(व्यवधान) 282 सैनिटेशन वर्कर्स मर चुके हैं। आप तो हमें यह बात नहीं गिना रहे हैं। इस बार आपके बजट में भी यह कहा गया था कि आप केयरिंग सोसायटी बनाने जा रहे हैं। आप बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करते हैं। हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं, उनकी संख्या काफी तादाद में बढ़ती जा रही है। उनकी संख्या दो-चार सालों में 15 से 20 करोड़ हो जाएगी। लेकिन हमारे देश में जो 71 प्रतिशत बुजुर्ग हैं, वे वंचना का शिकार होते हैं, अत्याचार का शिकार होते हैं। क्या आपकी इसमें कोई पालिसी है? कोई पालिसी नहीं है। हिन्दुस्तान में सालाना 60 से 70 हजार बच्चा-बच्ची गायब हो जाते हैं। उन्हीं सब लोगों को बेगिंग में नियोजित किया जाता है।...(व्यवधान)

इन भिखारियों की संख्या क्या है, आपको पता नहीं है। यह भिखारी माफिया सारे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। भिखारी माफिया और भिखारियों के लिए आप क्या पॉलिसी अपना रहे हैं? यह जानकारी भी दें तो बेहतर होगा। आपने कहा था कि आप ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, अंधे

लोगों के खेल में हमें भी दिलचस्पी है, लेकिन आज से नहीं, बहुत दिनों से यह सारा सिलसिला चल रहा है । आपने ड्रग्स के बारे में अभी कहा । Drug abuse has been increasing at an alarming level across the country. हिंदुस्तान अभी नोटोरियस बन गया है, ड्रग एडिक्टिड कंट्री बन गया है । ...(व्यवधान) सर, मैं पंजाब की एक बात आपके सामने रखता हूँ । 16-17 सालों में, पंजाब में एक घटना घटी, मैं सिर्फ इसका जिक्र कर के अपनी बात समाप्त करूंगा । पंजाब के एक व्यक्ति ने भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक मेमोरेंडम भेजा । उस मेमोरेंडम में क्या है । Shroud of memorandum to Prime Minister, Government of India. सर, सुन लीजिए, सारे सदन को सुनना जरूरी है । Thousands of youngsters have already died of drug abuse so far. My son Manjeet Singh has died of the same drug abuse. I am sending my son's body as a memorandum to the Indian Government through administration with the hope that the rest of the youngsters would be saved. मृतक की देह भेज रहे हैं । 16-17 साल तक पंजाब में किसकी सरकार थी, यह आपको जानकारी है । पंजाब में काफी मशक्कत के दौरान इसमें कमियां आ रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ड्रग एब्यूज़ अभी भरपूर चल रहा है । इस विषय पर आपकी पॉलिसी क्या है? ये दो-तीन बातें मैंने रखी हैं । आप जो मंत्रालय चलाते हैं, इसका मेंडेट बहुत बड़ा है । हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमारा शिड्युल-7, शिड्युल-11,12 सारे आपके दायरे में आते हैं । हम भी चाहते हैं कि आपके मंत्रालय में इस पर काफी काम हो, लेकिन पैसे की जरूरत है । आपका हाल क्या हुआ? कभी अण्डर यूटिलाइजेशन होता है, कहीं भी ओवर यूटिलाइजेशन होता है । कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि आपको पैसा सरेंडर भी करना पड़ता है । इन सारी बातों को ध्यान में रख कर जवाब दें ।

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Speaker, Sir, the Minister has given a very detailed reply regarding how much funds was allotted in different fields like for senior citizens, disabled persons and others. But I would like to ask a few sharp questions regarding what

he has spoken on the Demands for Grants. What is the necessity of a three-member committee when the NCBC is already existing? I want a sharp answer from the Minister on that. Besides, I had raised a question regarding the OBC reservations for the MBBS seats in the State. The All India Medical Council is not following it. I want a sharp answer from the Minister. Regarding the senior citizens, palliative care has been totally neglected. What is the policy of the Government to augment the palliative care? Is there any proposal State-wise to monitor and maintain palliative care centres for the senior citizens? Is there any security for unmarried elderly women? I would like the Minister to answer whether there is any policy regarding this.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, तब बड़े कनफ्यूज़ नज़र आ रहे थे। जिन-जिन योजनाओं में पैसा कम नज़र आ रहा है, कांग्रेस के मंत्री चोरी करते थे, पूर्व केन्द्रीय मंत्री साहब के ऊपर एफआईआर है, जेल है। ...(व्यवधान) इन्हीं दिव्यांगों का, विकलांगों का, ओबीसी का, शेड्यूल्ड कास्ट्स का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सारा पैसा उन्होंने लिया हुआ है, उनके ऊपर एफआईआर है। ...(व्यवधान) दूसरा उन्होंने पैरा ओलंपिक के लिए कहा कि यह सतत् प्रक्रिया है, लेकिन जो भिखारी बनने की बात कही, क्या पांच सालों में भिखारी बन गए? ...(व्यवधान) भिखारियों की संख्या इसके पहले ज्यादा थी, वह कम हो गई है। ...(व्यवधान) दूसरा, जहां तक ओबीसी, शेड्युल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसद सबकी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठिए।

13.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं है? क्या माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार नहीं है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य भी सवाल पूछ सकता है, क्लेरिफिकेशन पूछ सकता है, जैसे आप पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चेयर को गाइड मत कीजिए। श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. ...(*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, I am on a point of order. He is not speaking from his seat. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने अलाऊ किया है। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I had raised during course of discussion on the Demands for Grants a very serious matter of urgent concern regarding reservation to the economicaliy weaker sections of the society but unfortunately the Minister has not responded to that issue. ...(*Interruptions*)

It was a landmark legislation made by Parliament during the term of the 16th Lok Sabha, as you may be well aware, providing reservation to the economically weaker sections of the society. The Government of India has issued instructions and guidelines in order to get this reservation for which five acres of agricultural land, a residential flat of a thousand square feet, a residential plot of a hundred square yards, etc. have been prescribed. ...(*Interruptions*) All these norms are relating to the north Indian scenario. As far as the Kerala people are concerned, even if they are having two-and-a-half cents of property in the municipal area, they are not entitled. ...(*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सवाल यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो पैसा मिल रहा है, वह कितना मिल रहा है? पहले कितने लोगों को मिलता था और उसमें चोरी कितनी होती थी? दूसरा, सवाल यह है कि सीनियर सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बना है, वह पहले कैसा था और अब कैसा है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मारन जी।

SHRI DAYANIDHI MARAN : Sir, I am on a point of order. The Member is not speaking from his seat. ...(*Interruptions*) This is not his seat. The Member is not speaking from his assigned seat. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मारन जी, एक मिनट, उनको कनक्लूड करने दीजिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Let me conclude my point. Even if they are having two-and-a-half cents in the municipal area in Kerala, they are not entitled to get reservation but as per this instruction if they are having five acres of land, they would be getting reservation. ...(*Interruptions*) This contradiction or anomaly

has to be rectified. I am seeking a clarification from the hon. Minister. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मारन जी, आप एक सैकेंड में क्या बोलना चाह रहे थे?

SHRI DAYANIDHI MARAN: Hon. Speaker, Sir, you have been reminding Members to speak from their assigned seats. The Member is not speaking from his seat. ...(*Interruptions*) He is sitting in a Minister's seat and trying to answer. You should give a ruling. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं एक व्यवस्था दे दूँ। जब आसन अलाऊ कर दे, आसन से इजाजत मांगो, उन्होंने इजाजत मांगी, मैंने अलाऊ कर दिया।

माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने इजाजत माँगी, मैंने अलाऊ कर दिया।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I have to seek a clarification. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी के जवाब के बाद क्लेरिफिकेशन पूछ लीजिएगा।

...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: अध्यक्ष जी, मेरा भाषण अभी पूरा नहीं हुआ था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसलिए आपको जवाब देने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सर, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है।...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: सब कुछ मिल रहा है।...(व्यवधान) बैठ जाइये। जिन राज्यों में स्कॉलरशिप संबंधी शिकवा-शिकायतें हैं, भारत सरकार से उन राज्यों को एक पैसा भी देना बाकी नहीं है। अगर कोई अनियमितता है, तो वह राज्य सरकार की है। वे उन राज्य सरकारों से सम्पर्क करें। मैं माननीय सांसदों से निवेदन करना चाहता हूँ।

यह नशा मुक्ति का विषय निकला। ऐसा लग रहा था कि अधीर रंजन जी धारा प्रवाह, फ्रंटियर मेल की तरह बोल रहे थे। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैं धीरे-धीरे बोलता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: नशा मुक्ति के क्षेत्र में जो हमने किया है, वह मैं बताना चाहता हूँ। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक बजट एस्टिमेट 137.62 करोड़ रुपये था, एक्स्पेन्डिचर 137.75 करोड़ रुपये हुआ था। खर्च भी कम हुआ। लाभार्थियों की संख्या 5,09,586 थी। वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2018-19 तक बजट प्रावधान 244.26 करोड़ रुपये था, एक्स्पेन्डिचर 242.55 करोड़ रुपये और लाभार्थियों की संख्या 5,47,954 थी। आपके टाइम से ज्यादा लाभार्थियों की संख्या है और अगर मैं इस साल का आंकड़ा इसमें जोड़ूँ, तो 53 हजार और जोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर 6 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है।

इसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों के क्षेत्र में भी आपने पूछा, तो जो पुराना कानून बना हुआ है, उस कानून में हमने सुधार करने का भी प्रस्ताव किया है। हमने वह विधेयक लोक सभा में ही प्रस्तुत किया है और लोक सभा से वह स्टैन्डिंग कमेटी में गया है। स्टैन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो भी एक्शन टेकन करना होगा, वह करेंगे और उस विधेयक को यहाँ पारित कराने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में भी मैं आपको बता दूँ कि वर्ष 2009-10 से लेकर वर्ष 2013-14 तक बजट का संशोधित अनुमान 120.56 करोड़ रुपये था, वास्तविक खर्चा हुआ 94.15 करोड़ रुपये।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है।...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: सर, आप इन्हें बिठाइए।...(व्यवधान) आप सुनिए तो सही।...(व्यवधान) साहब, सुन तो लो, ऐसे क्यों करते हो?...(व्यवधान)

खर्चा हुआ था 94.15 करोड़ और लाभार्थियों की संख्या 1,56,890 थी। अभी लाभार्थियों की संख्या 16,05,203 है। हमें 190.65 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे, जबकि हमने 190.62 करोड़ रुपये खर्च किए। जितना मंजूर हुआ, उतना हमने खर्च करने की कोशिश की है। अन्य बहुत सारी बातें आपने बताईं कि इसमें शून्य है, इसमें शून्य है, इसमें शून्य है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी थीं, जो उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही थीं, उनको हमने दूसरी योजनाओं के साथ क्लब कर दिया। आप वे आंकड़े कहीं से लेकर आए हैं। जो आपने बातें कही हैं, उसका मैं बाद में जवाब आपके पास भिजवा दूँगा। वह जो आपने जल्दी-जल्दी बोला, खूब जल्दी-जल्दी आपने बोला, मैं उसको पढ़कर उसका व्यवस्थित जवाब आपके पास भिजवाने की कोशिश कर दूँगा।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप बुजुर्गों के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाइए।...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: बुजुर्गों के लिए नेशनल पॉलिसी बनाने का काम जारी है।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अच्छी बात है। आप जल्द से जल्द बनाइए।...(व्यवधान) अभी हिन्दुस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग हैं।...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति बनाने का काम जारी है। हम पहले वाली नीति में काफी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में जो विधेयक हम लाए हैं, उसमें डे केयर सेंटर की भी व्यवस्था की है। ओल्ड ऐज होम की भी व्यवस्था की है। हर पुलिस थाने में एक अलग विंग होगी और वह उनकी देख-रेख करने का काम करेगा। एक पुलिस अधिकारी अधिकृत होगा और वह उनके घरों में जाकर भी जाँच-पड़ताल करेगा। एनजीओ के माध्यम से, जो वरिष्ठ नागरिक ओल्ड ऐज होम या डे केयर सेंटर में नहीं जा सकते हैं या जाने की स्थिति में नहीं हैं, उनके घरों में जाकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। यह ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। आपने कुछ किया हो तो बता देना, अगर अभी याद न आ रहा हो तो बाद में बता देना।...(व्यवधान)

परिशिष्ट—इनतीस

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1401
उत्तर देने की तारीख: 20.09.2020

क्रीमी लेयर का मामला

1401. डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री भोला सिंहः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) में क्रीमी लेयर समतुल्यता से संबंधित मामलों की जांच हेतु कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;
(ख) सरकार द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार की अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए क्रीमी लेयर के मानदंड की समीक्षा की योजना है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में मंत्री समूह का गठन किया है;
(ङ) यदि हां, तो मंत्री समूह (जीओएम) द्वारा की गई सिफारिशें का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(च) सरकार द्वारा ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर मानदंड के युक्तिकरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): जी, हां। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) में क्रीमी लेयर की समानता से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए श्री बी.पी. शर्मा (पूर्व सचिव, डीओपीटी) की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो सरकार के विचाराधीन है।

(ग) से (च): ओबीसी के क्रीमी लेयर मानदंड की समीक्षा से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है।

*****

अध्याय–8

आश्वासन

परिभाषा

8.1 प्रश्न का उत्तर देते समय या चर्चा के दौरान यदि मंत्री सरकार की ओर से आगे कार्रवाई किए जाने के संबंध में सदन को फिर से सूचित करने का वचन देता है तो उसे "आश्वासन" कहा जाता है। सामान्यतः जो कथन आश्वासन मान लिए जाते हैं उनकी एक मानक सूची अनुबंध–3 में दी गई है। यह मानक सूची लोक सभा और राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (सीजीए) द्वारा अनुमोदित है। चूंकि आश्वासनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यान्वित करना अपेक्षित होता है इसलिए सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रश्नों के उत्तरों का प्रारूप तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन कथनों का प्रयोग केवल ऐसे अवसरों पर किया जाए जबकि इन कथनों द्वारा सदन के समक्ष स्पष्टतः कोई आश्वासन देने का इरादा हो।

आश्वासन को पूरा करने की समय–सीमा

8.2 दोनों सदनों में से किसी भी सदन में दिया गया आश्वासन, आश्वासन दिए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा किया जाना आवश्यक है। इस समय सीमा का पूरी तरह से पालन किया जाए।

ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओ.ए.एम.एस.)

8.3 आश्वासनों को जल्दी से जल्दी पूरा किए जाने के लिए सदन की कार्यवाहियों से आश्वासनों को छांटने से लेकर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक तथा समय सीमा बढ़ाने, आश्वासनों को छोड़ने तथा अंतरित करने तक की पूरी प्रक्रिया को एक "ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम" (ओ.ए.एम.एस.) नामक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जरिए स्वचालित बना दिया गया है। किसी अन्य ऑफलाइन तरीके से समय सीमा को बढ़ाने, आश्वासनों को छोड़ने तथा अंतरित करने के लिए किए गए निवेदन या कार्यान्वयन रिपोर्ट की प्रस्तुति को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आश्वासनों को छांटना

8.4 जब कोई आश्वासन किसी मंत्री ने दिया हो अथवा पीठासीन अधिकारी ने सदन को कोई सूचना प्रस्तुत करने के लिए सरकार को निर्देश दिया हो तो संसदीय कार्य मंत्रालय संबंधित कार्यवाही से आश्वासनों को छांट लेता है और जिस तारीख को सदन के समक्ष वह आश्वासन दिया गया हो, उससे सामान्यतः 20 दिन के भीतर ओ.ए.एम. एस के जरिए संबंधित विभाग को ऑनलाइन सूचित कर देता है।

आश्वासनों की सूची से निकाल देना

8.5 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को ऐसे किसी वक्तव्य को आश्वासन मानने में आपत्ति हो या वह महसूस करे कि सार्वजनिक हित में आश्वासन की पूर्ति नहीं की जा सकती हो, तो वह इस प्रकार के वक्तव्य को आश्वासन माने जाने के एक सप्ताह के भीतर ही इसको आश्वासनों की सूची से हटा देने का अपना निवेदन 'ओ.ए.एम.एस' पर अपलोड कर सकता है। ऐसे निवेदनों को उनके मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और उक्त निवेदन वाले उनके पत्र में इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए। यदि ऐसा निवेदन 3 मास की निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने के करीब किया जाता है तो, उक्त निवेदन में समय सीमा बढ़ाने के लिए निवेदन भी अवश्य ही साथ में होना चाहिए। जब तक सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का कोई निर्णय ओ.ए.एम.एस. के माध्यम से उन्हें प्राप्त न हो जाए, तब तक विभाग को समय–सीमा बढ़वाने का निवेदन करते रहना चाहिए। ऑफलाइन तरीके से प्राप्त निवेदनों पर राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय या संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।

आश्वासनों को पूरा करने की समय–सीमा बढ़ाना

8.6 यदि विभाग यह अनुभव करे कि आश्वासन तीन महीने की निर्धारित अवधि अथवा पहले ही बढ़ाई जा चुकी अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो वह समय बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होते ही समय बढ़वाने के लिए लिए निवेदन करेगा जिसमें देरी के कारण, संभावित अतिरिक्त समय तथा इस मामले में की गई कार्रवाई तथा प्रगति का उल्लेख किया जाएगा। इस आशय के सभी निवेदन संबंधित मंत्री का अनुमोदन लेकर सीजीए के निर्णय के लिए 'ओ.ए.एम.एस' पर किए जाने चाहिए।

आश्वासनों का रजिस्टर

8.7.1 प्रत्येक आश्वासन के ब्यौरे, संबंधित मंत्रालय/विभाग के संसद एकक द्वारा अनुबंध–4 में दिए गए रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और इसके पश्चात् आश्वासन संबंधित अनुभाग को भेज दिया जाएगा

8.7.2 इस प्रकार के आश्वासनों को पूरा करने की कार्रवाई प्रत्येक अनुभाग द्वारा शीघ्रता से यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्रालय से 'ओ. ए.एम.एस' द्वारा पत्रादि प्राप्त होने से पूर्व ही कर ली जानी चाहिए और आश्वासनों की पूर्ति पर अनुबंध–5 में दिए गए रजिस्टर के माध्यम से निगरानी रखी जानी चाहिए।

8.7.3 लोक सभा और राज्य सभा के आश्वासनों के लिए पैरा 8.7.1 तथा पैरा 8.7.2 में उल्लेख किए गए अनुसार अलग–अलग रजिस्टर बनाए जाएंगें और उनमें सत्रवार प्रविष्टियां की जाएंगी।

अनुभाग अधिकारी और शाखा अधिकारी की भूमिका

संबंधित अनुभाग का प्रभारी अनुभाग अधिकारी:–

(क) रजिस्टरों की सप्ताह में एक बार छानबीन करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न की जाए;

(ग) यदि संबंधित सदन का सत्र चल रहा हो, तो पखवाड़े में एक बार अन्यथा महीने में एक बार इन रजिस्टरों को शाखा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसका ध्यान ऐसे आश्वासनों की ओर विशेष रूप से आकर्षित करेगा जिनके तीन महीने के भीतर पूरे होने की संभावना नहीं है; और

(घ) लंबित आश्वासनों की समय–समय पर उच्चतम स्तर पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए ताकि आश्वासनों का जल्द से जल्द कार्यान्वयन किया जा सके।

8.8 इसी प्रकार शाखा अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों और मंत्री को आश्वासनों के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति के बारे में लगातार अवगत कराएगा और विलंब के कारणों की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करेगा ।

आश्वासन को पूरा करने की प्रक्रिया

8.9.1 आश्वासन को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। यदि सूचना का केवल कुछ अंश ही उपलब्ध हो और शेष सूचना को एकत्र करने में काफी समय लग सकता हो, तो एक कार्यान्वयन रिपोर्ट (आई आर) निर्धारित समय के भीतर आश्वासन के आंशिक कार्यान्वयन के तौर पर 'ओ.ए.एम.एस.' पर अपलोड कर दी जानी चाहिए। लेकिन आश्वासन को शीघ्र पूरा करने के लिए शेष सूचना को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की कोशिश जारी रहनी चाहिए।

8.9.2 किसी आश्वासन को पूरा करने के संबंध में भेजी जाने वाली आंशिक या पूर्ण सूचना के अनुबंध–6 में उल्लिखित निर्धारित फार्म में हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किए गए पाठ और अनुलग्नकों को संबंधित मंत्री का अनुमोदन लेने के बाद ही 'ओ.ए.एम.एस' पर अपलोड करवाया जाना चाहिए। आश्वासन को यथास्थिति आंशिक या पूर्णरूप से पूरा करने संबंधी रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद उसके अंग्रेजी और हिन्दी पाठ में से प्रत्येक की 4–4 हार्ड प्रतियां संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए, जिनमें से एक हिन्दी प्रति और एक अंग्रेजी प्रति संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित होनी चाहिए। संबंधित सदन द्वारा ई–रिपोर्ट स्वीकार किए जाने तक इन प्रतियों को सदन के पटल पर रखा जाएगा।

8.9.3 कार्यान्वयन रिपोर्ट को केवल 'ओ.ए.एम.एस' पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी अन्य तरीके से भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट अथवा राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय को सीधे भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा ।

कार्यान्वयन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना

8.10 कार्यान्वयन रिपोर्ट की छानबीन करने के पश्चात् संसदीय कार्य मंत्रालय उसे संबंधित सदन के पटल पर रखने की व्यवस्था करेगा। यह मंत्रालय सदन के पटल पर रखी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सदस्य (सदस्यों)को भेजेगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा दी कार्यान्वयन रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने का ब्यौरा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 'ओ.ए.एम.एस' पर उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग का संसद एकक तथा संबंधित अनुभाग 'ओ.ए.एम.एस' पर उपलब्ध विवरण के आधार पर अपने–अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे।

सदन के पटल पर किसी विषय से संबंधित दस्तावेज रखने का दायित्व बनाम उसी विषय पर दिया गया आश्वासन

8.11 जिन मामलों में दस्तावेज (नियम/आदेश/अधिसूचना आदि) सदन के पटल पर रखा जाना बाध्यकारी हो और जिसके लिए आश्वासन भी दे दिया गया हो, तो इस दायित्व को पूरा करने के लिए पहले दस्तावेज को सदन के पटल पर रखा जाएगा, इसका दिए गए आश्वासन से कोई संबंध नहीं होगा। इसके बाद आश्वासन को पूरा किए जाने के संबंध में एक औपचारिक रिपोर्ट, सभा पटल पर दस्तावेज रखे जाने की तारीख का उल्लेख करते हुए, 'ओ.ए.एम.एस' पर (अनुबंध–6 में) निर्धारित फार्म में पैरा 8.9.2 में पहले ही बताए अनुसार अपलोड कर दी जाएगी।

सरकारी आश्वासनों पर समितियां

राज्य सभा नियम 211(क)

लोक सभा नियम 323, 324 और

8.12 संसद के प्रत्येक सदन में सरकारी आश्वासनों की एक समिति होती है जिसे सभापति/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। यह समिति कार्यान्वयन रिपोर्टों और सरकारी आश्वासनों की पूर्ति में लगे समय की छानबीन करती है और उनके संबंध में हुई देरी के कारणों और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर, यदि कोई हो, ध्यान आकर्षित करती है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर 'ओ.ए.एम.एस.' पर जारी किए गए अनुदेशों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए ।

सरकारी आश्वासनों पर समितियों की रिपोर्ट

8.13 मंत्रालय/विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय से परामर्श करके जहां कहीं आवश्यक होता है सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इन दोनों समितियों की रिपोर्टों की छानबीन करेंगे ।

लोक सभा भंग होने का आश्वासनों पर प्रभाव

8.14 लोक सभा भंग होने पर कार्यान्वयन के लिए लंबित आश्वासन रद्द नहीं होते हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी एक नई समिति सभी आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं या वचनों की छानबीन करके उनमें से ऐसे आश्वासनों का चयन करती है जो अत्यधिक लोक महत्व के होते हैं। उसके बाद समिति लोक सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसमें समिति द्वारा उन आश्वासनों के संबंध में विशेष रूप से सिफारिश की जाती है जिन्हें सरकार द्वारा छोड़ा जा सकता है या कार्यान्वित किया जा सकता है।

परिशिष्ट-द्वितीय

<u>कार्यवाही सारांश</u>

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2020-2021)

(सत्रहवीं लोक सभा)

दसवीं बैठक

(28.09.2021)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1615 बजे तक समिति कक्ष "सी" संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

<u>उपस्थित</u>

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

<u>सदस्य</u>

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. श्री संतोष पाण्डेय
6. श्री एम.के. राघवन
7. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल

<u>सचिवालय</u>

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री लवकेश कुमार शर्मा - निदेशक
3. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव

साक्षी

<u>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)</u>

1. श्री आर. सुब्रमण्यम, सचिव
2. श्री आर. पी. मीणा, संयुक्त सचिव
3. श्री राधिका चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव
4. श्री बी. एल. मीणा, निदेशक

<u>संसदीय कार्य मंत्रालय</u>

1. श्री पी.के.हलदर - अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि यह बैठक (i) 47 लंबित आश्वासनों को छोड़ने हेतु विभिन्न मंत्रालयों /विभागों से प्राप्त अनुरोधों वाले 20 ज्ञापनों पर विचार करने; (ii) लंबित आश्वासनों के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलायी गई है।

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

3. तत्पश्चात, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि भीतर आए। समिति की बैठक में साक्षियों का स्वागत करते हुए सभापति ने उनसे कहा कि चर्चा का उल्लेख किसी बाहरी व्यक्ति से न करें। तत्पश्चात, समिति ने लंबित आश्वासनों के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति यह जानकर क्षुब्ध थी कि मंत्रालय में बड़ी संख्या में आश्वासन काफी समय से लंबित हैं। सभापति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के सचिव से मंत्रालय के लंबित आश्वासनों के बारे में जानकारी देने को कहा और साथ ही यह पूछा कि मंत्रालय में लंबित आश्वासनों की निगरानी और समीक्षा करने हेतु कौन सा आंतरिक तंत्र एवं प्रणाली विद्यमान है।

4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के सचिव ने तदनुसार समिति को संक्षेप में जानकारी दी। सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों से लंबित आश्वासनों की निगरानी हेतु आयोजित समीक्षा बैठकों के कार्यवाही सारांश भेजने को कहा।

5. तत्पश्चात, सभापति और सदस्यों ने उस दिन उठाए गए 29 लंबित आश्वासनों (अनुबंध-तीन) के संबंध में कई प्रश्न पूछे और कुछ स्पष्टीकरण मांगे।साक्षियों ने प्रश्नों का उत्तर दिया और स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराया। चूंकि कुछ प्रश्नों के संबंध में विस्तृत उत्तर अपेक्षित था और कई स्थानों से जानकारी एकत्र की जानी थी, अतः सभापति ने साक्षियों से उनके संबंध में नियत अवधि में लिखित उत्तर भेजने को कहा।

6. साक्ष्य पूरा हुआ।

7. सभापति ने समिति के समक्ष साक्ष्य देने और उठाए गए प्रश्नों के संबंध में उपलब्ध जानकारी प्रदान करने और संबंधित स्पष्टीकरण देने हेतु साक्षियों का धन्यवाद किया।

8. तत्पश्चात, साक्षी चले गए।

9. कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021) लोक सभा

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों जिन पर 28.09.2021 को मौखिक साक्ष्य के दौरान चर्चा की गई, का विवरण

क्र.सं	ता.प्र.सं/अता.प्र.सं.और दिनांक	विषय
1.	अता.प्र.सं.137 दिनांक 26.07.2010	बाल उत्पीड़न
2.	अता.प्र.सं.1035 दिनांक 28.11.2011	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति
3.	अता.प्र.सं.1757 दिनांक 22.07.2014	वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति की समीक्षा
4.	अता.प्र.सं.4750 दिनांक 12.08.2014	वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित नीति
5.	अता.प्र.सं. 3784 दिनांक 16.12.2014	वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या
6.	अता.प्र.सं.2625 दिनांक 02.08.2016	वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण
7.	ता.प्र.सं.72 दिनांक 07.02.2017	वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति
8.	अता.प्र.सं.835 दिनांक 07.02.2017	वरिष्ठ नागरिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएं
9.	अता.प्र.सं.3518 दिनांक 08.08.2017	राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति
10.	अता.प्र.सं.596 दिनांक 06.02.2018	राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति
11.	अता.प्र.सं.1826 दिनांक 06.03.2018	वरिष्ठ नागरिकों हेतु सहायता उपकरण
12.	अता.प्र.सं.42 दिनांक 11.12.2018	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007

13.	दिनांक 16.03.2020 की सामान्य चर्चा (श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य)	सामान्य बजट - वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा
14.	ता.प्र.सं.385 दिनांक 05.08.2014 (श्री लक्ष्मण गिलुवा, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग
15.	अता.प्र.सं.2593 दिनांक 09.12.2014	वृद्धजन संबंधी राष्ट्रीय नीति
16.	अता.प्र.सं.1858 दिनांक 14.03.2017	बच्चों में नशे की लत
17.	ता.प्र.सं.239 दिनांक 01.08.2017	वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम केयर सेवाएं
18.	अता.प्र.सं.523 दिनांक 19.12.2017	वृद्धाश्रम
19.	अता.प्र.सं.604 दिनांक 06.02.2018	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007
20.	अता.प्र.सं.969 दिनांक 24.07.2018	वृद्धाश्रमों को स्टार रेटिंग
21.	अता.प्र.सं.3426 दिनांक 07.08.2018	राष्ट्रीय वयोश्री योजना
22.	ता.प्र.सं.112 दिनांक 18.12.2018	राज्य अनुसूचित जाति आयोग
23.	ता.प्र.सं.59 दिनांक 25.06.2019	अन्य पिछड़ा वर्गों का उप श्रेणीकरण
24.	अता.प्र.सं.480 दिनांक 25.06.2019	ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए आयोग
25.	अता.प्र.सं.2422 दिनांक 03.12.2019	अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए योजनाएं

26.	दिनांक का 10.02.2020 विशेष उल्लेख	पदोन्नतियों में आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में मंत्री का वक्तव्य
27.	अता.प्र.सं.1927 दिनांक 03.03.2020	ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल करना
28.	दिनांक 16.03.2020 की सामान्य चर्चा (श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य)	सामान्य बजट - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा
29.	अता.प्र.सं. 1401 दिनांक 20.09.2020	क्रीमी लेयर का मामला

परिशिष्ट - बत्तीस

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

पाँचवीं बैठक

(20.12.2021)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1645 बजे तक सभापति कक्ष, कमरा संख्या '216', संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. श्री अशोक महादेवराव नेते
6. श्री संतोष पान्डेय
7. श्री एम के राघवन

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव

सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित पाँच (05) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया:

(i) 'शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय संबंधी प्रारूप 54वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा);

(ii) 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय संबंधी प्रारूप 55वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा);

(iii) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किए गए)' विषय के संबंध में प्रारूप 56वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा);

(iv) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय के संबंध में प्रारूप 57वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा); और

(v) 'रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय संबंधी प्रारूप 58वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) ।

2. समिति ने सभापति को उक्त प्रतिवेदनों को चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत करने हेतु भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति*(2020-2021)
की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चंद्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पांडेय
11. श्री एम.के.राघवन
12. श्री चंद्र शेखर साहू
13. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
14. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
15. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
16. रिक्त@

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री लवकेश कुमार शर्मा - निदेशक
3. श्री एसहसिं .एल. - उप सचिव

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर 2020 से किया गया है, देखिए दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 1773.

@ कैंद्रीय मंत्रिपरिषद् में शामिल होने के कारण श्री पशुपति कुमार पारस दिनांक 7.7.2021 से समिति के सदस्य नहीं रहे ।